

वित्त विधेयक, 2017

प्रत्यक्ष कर से संबंधित उपबंध

प्रस्तावना

वित्त विधेयक, 2017 के प्रत्यक्ष करों से संबंधित उपबंध, आय-कर अधिनियम, 1961 ("अधिनियम") अधिनियम, 2016, में निम्नलिखित का संशोधन करने के लिए हैं—

- क. आय-कर दरें
- ख. अतिरिक्त संसाधनों का संग्रहण
- ग. आवासन और भू-सम्पदा सेक्टर के संप्रवर्तन के लिए उपाय
- घ. वृद्धि को तेज करने के उपाय
- ङ. डिजीटल अर्थव्यवस्था का संवर्धन
- च. निर्वाचन निधिकरण में पारदर्शिता
- छ. कारबार करने की सहजता
- ज. दुरुपयोग रोधी उपाय
- झ. सुव्यवस्थीकरण के उपाय
- ञ. एन.पी.एस अंशदाता के लिए फायदे ।

प्रत्यक्ष कर

क. आय-कर की दरें

I. निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए कर के लिए दायी आय की बाबत आय-कर की दरें

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए कर के लिए दायी निर्धारितियों के सभी प्रवर्गों की आय की बाबत, आय की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-1 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये वही दरें हैं जो "अग्रिम कर" की संगणना, "वैतन" से स्रोत पर कर की कटौती और कतिपय मामलों में संदेय कर के प्रभारण के प्रयोजनों के लिए कराधान विधि (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2016 (2016 का 48) द्वारा यथा संशोधित वित्त अधिनियम, 2016 की पहली अनुसूची के भाग-3 में अधिकथित हैं।

(1) आय-कर पर अधिभार

संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार द्वारा :—

- (क) प्रत्येक व्यक्ति या अविभक्त कुटुम्ब या व्यक्तियों का निकाय चाहे वे निगमित हो या नहीं या अधिनियम, की धारा 2 के खंड (31) उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में आय-कर की रकम को ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर का पंद्रह प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाएगा।
- (ख) सहकारी समितियों, फर्म या स्थानीय निकायों की दशा में आयकर की रकम को जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आयकर का बारह प्रतिशत की दर से बढ़ाया जाएगा :—

तथापि, इन सभी मामलों में सीमान्त राहत यह सुनिश्चित करने के लिए अनुज्ञात की जाएगी कि एक करोड़ रुपए से अधिक कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम उस आय की रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

ऊपर (क) और (ख) में उल्लिखित ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और जहां ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऊपर उल्लिखित दर पर अधिभार उदगृहीत किया जाएगा और सीमान्त राहत भी प्रदान की जाएगी।

(ग) ऐसी देशी कंपनी की दशा में,—

- (i) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के सात प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा;
 - (ii) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के ऐसे प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।
- (घ) देशी कंपनी से भिन्न किसी कंपनी की दशा में,—
- (i) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा,
 - (ii) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, संगणित आय-कर की रकम को संघ के प्रयोजनों के लिए ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, इन सभी मामलों में सीमान्त राहत यह सुनिश्चित करने के लिए अनुज्ञात की जाएगी कि एक करोड़ रुपए से अधिक कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है। दस करोड़ रुपए से अधिक कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में तथा अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह दस करोड़ रुपए से अधिक है।

प्रत्येक कंपनी की दशा में भी जिसकी अधिनियम की धारा 115 जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है और जहां ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक हो जाती है, किन्तु यथास्थिति, दस करोड़ रुपए से अनधिक है या दस करोड़ रुपए से अधिक है, पूर्वोक्त वर्णित दरों पर अधिभार उद्गृहीत किया जाएगा और सीमांत राहत भी उपलब्ध करायी जाएगी।

(ड) अन्य मामलों में (जिनके अन्तर्गत धारा 115ण, 115थक, 115द, 115नक या 115नघ भी हैं) बारह प्रतिशत की दर पर अधिभार का उद्गृहण किया जाएगा।

(2) शिक्षा उपकर

निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए "आय-कर पर शिक्षा उपकर" और आय-कर पर "माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार सभी मामलों में अधिभार को सम्मिलित करके संगणित कर रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर पर उद्गृहीत होता रहेगा। ऐसे उपकरों की बाबत कोई सीमांत अनुतोष उपलब्ध नहीं होगा।

II. "वेतन" से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें ।

"वेतन" से भिन्न कतिपय आयों से वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। सभी प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए दरें वही रहेंगी जो वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान स्रोत पर आय-कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए वित्त अधिनियम, 2016 की पहली अनुसूची के भाग-2 में विनिर्दिष्ट हैं ।

(1) अधिभार

किसी अनिवासी व्यक्ति (कंपनी से भिन्न) की दशा में, इस प्रकार कटौती की गई कर की रकम को, अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा—

(i) किसी व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों का संगम, व्यक्ति का निकाय या कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा —

(क) ऐसा कर दस प्रतिशत की दर पर है, जहां आय या ऐसी आयों का सकल संदत्त है या संदत्त होने वाला है और कटौती के लिए अध्यक्षीन होगा यदि पचास लाख रुपए से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं होती है;

(ख) ऐसा कर पंद्रह प्रतिशत की दर पर है जहां आय या ऐसी आयों का सकल संदत्त है या संदत्त होने वाला है और कटौती के लिए अध्यक्षीन होगा यदि एक करोड़ रुपए से अधिक है; और

(ii) किसी फर्म या सहकारी सोसाइटी की दशा में ऐसे कर का बारह प्रतिशत,

जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ रुपये से अधिक है।

किसी देशी कंपनी से भिन्न अन्य किसी कंपनी की दशा में, इस प्रकार कटौती की गई कर की रकम को, अधिभार भी निम्नलिखित दर से बढ़ाया जाएगा—

(i) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए एक करोड़ से अधिक है किन्तु दस करोड़ से अधिक नहीं है, ऐसे कर का दो प्रतिशत;

(ii) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए आय या ऐसी आयों का योग कटौती के अधीन रहते हुए दस करोड़ से अधिक है, ऐसे कर का पांच प्रतिशत।

अन्य मामलों में कटौतियों के संबंध में कोई अधिभार उद्गृहीत नहीं किया जाएगा ।

(2) शिक्षा उपकर

भारत में अनिवासी व्यक्तियों की दशा में, जिसके अन्तर्गत देशी कंपनी से भिन्न कंपनियां भी हैं, जहां कहीं लागू हो, अधिभार सहित, आय-कर के क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से "आय-कर पर शिक्षा उपकर" और "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" उद्गृहीत किया जाता रहेगा।

III. वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती, "अग्रिम कर" की संगणना और विशेष दशाओं में आय-कर प्रभासित करने के लिए दरें ।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान "वेतन" से स्रोत पर आय-कर की कटौती के लिए दरें और सभी प्रवर्गों के निर्धारितियों की दशा में उक्त वर्ष के दौरान संदेय "अग्रिम कर" की संगणना से लिए भी दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ऐसे मामलों में, जहां त्वरित निर्धारण किए जाने हैं, उदाहरणार्थ अनिवासियों को भारत में उद्भूत होने वाले पोत संबंधी लाभों का अनंतिम निर्धारण, वित्तीय वर्ष के दौरान हमेशा के लिए भारत छोड़ने वाले व्यक्तियों का निर्धारण, ऐसे व्यक्तियों का निर्धारण जिनके द्वारा कर से बचने के लिए संपत्ति अंतरित करने की संभावना है, अल्प कालावधि के लिए बने निकायों का निर्धारण, आदि, वहां ये दरें विद्यमान आयों पर वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान आय-कर प्रभासित करने के लिए भी लागू हैं।

उक्त भाग-3 में विनिर्दिष्ट दरों की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित पैराओं में उपदर्शित की गई हैं—

अ - व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, व्यक्तियों का संगम, व्यष्टियों का निकाय, कृत्रिम विधिक व्यक्ति ।

विधेयक की पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क आय-कर की निम्नलिखित दरों को उपबंधित करता है :—

(i) प्रत्येक व्यष्टि [नीचे (ii) और (iii) में जो उल्लिखित है, उससे भिन्न] या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के प्रत्येक संगम या व्यष्टियों के निकाय चाहे निगमित हो या नहीं, या अधिनियम की धारा 2 के खंड(31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में (जो ऐसी दशा नहीं है, जिसको भाग-3 का कोई अन्य पैरा लागू होता है) हैं, आय-कर की दरें निम्नानुसार हैं:—

2,50,000 रुपए तक	शून्य
2,50,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(ii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्व वर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक आयु का है किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है,—

3,00,000 रुपए तक	शून्य
3,00,001 रुपए से 5,00,000 रुपए तक	5 प्रतिशत
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

(iii) ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है,—

5,00,000 रुपए तक	शून्य
5,00,001 रुपए से 10,00,000 रुपए तक	20 प्रतिशत
10,00,000 रुपए से अधिक	30 प्रतिशत

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को —

(i) ऐसे व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय पचास लाख रुपए से अधिक है लेकिन एक करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय कर के दस प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा, और

(ii) ऐसे व्यक्ति की दशा में जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय कर के पंद्रह प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा।

तथापि, ऊपर (i) की दशा में पचास लाख रुपए से अधिक की आय लेकिन एक करोड़ रुपए से अनधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, पचास लाख रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह पचास लाख रुपए से अधिक है।

और उपर (ii) की दशा में, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय कर के रूप में संदेय रकम की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

आ - सहकारी सोसाइटी

सहकारी सोसाइटियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ख में विनिर्दिष्ट की गई हैं। ये दरें वही बनी रहेंगी जो निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए विनिर्दिष्ट हैं।

आय-कर की रकम को, ऐसी सहकारी सोसायटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

इ - फर्म

फर्मों की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा ग में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए विनिर्दिष्ट है।

आय-कर की रकम को, ऐसी फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

ई - स्थानीय प्राधिकारी

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, आय-कर की दर विधेयक की पहली अनुसूची के भाग-3 के पैरा घ में विनिर्दिष्ट की गई है। यह दर उसी प्रकार बनी रहेगी जो वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विनिर्दिष्ट है।

आय-कर की रकम को, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के बारह प्रतिशत की दर से अधिभार बढ़ाया जाएगा।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है।

उ - कंपनी

कंपनियों की दशा में, आय-कर की दरें विधेयक की पहली अनुसूची के भाग - 3 के पैरा 3 में विनिर्दिष्ट की गई हैं। देशी कंपनी की दशा में आय-कर की दर, यदि पूर्व वर्ष 2015-16 का कुल आवृत्त या सकल प्राप्ति पचास करोड़ से अधिक नहीं है, कुल आय का पच्चीस प्रतिशत होगी और अन्य सभी दशाओं में आय-कर की दर कुल आय का तीस प्रतिशत होगी। देशी कंपनी से भिन्न अन्य कंपनी की दशा में कर की दरें वही हैं जो वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए विनिर्दिष्ट की गई हैं।

किसी देशी कंपनी की दशा में सात प्रतिशत की दर के अधिभार को उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा यदि देशी कंपनी की कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किन्तु दस करोड़ रुपए से कम है। यदि देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है तो बारह प्रतिशत की दर से अधिभार उद्गृहीत किया जाना जारी रहेगा। देशी कंपनियों से भिन्न कंपनियों की दशा में विद्यमान दो प्रतिशत के अधिभार को उद्गृहीत किया जाता रहेगा यदि कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक है। पांच प्रतिशत की दर पर अधिभार उद्गृहीत होता रहेगा यदि देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है।

तथापि, एक करोड़ रुपए से अधिक किन्तु दस करोड़ रुपए से अनधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी जितनी वह एक करोड़ रुपए से अधिक है। दस करोड़ रुपए से अधिक की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जितनी वह दस करोड़ रुपए से अधिक है।

अन्य मामलों में (जिनके अन्तर्गत धारा 115ण, 115थक, 115द, या 115नक या 115नघ भी हैं) बारह प्रतिशत की दर पर अधिभार का उद्ग्रहण किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, सभी मामलों में "आय-कर पर शिक्षा उपकर" और "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नामक अतिरिक्त अधिभार, अधिभार सहित (जहां कहीं लागू हों) संगणित कर की रकम पर क्रमशः दो प्रतिशत और एक प्रतिशत की दर से उद्गृहीत किया जाता रहेगा। ऐसे उपकरों के संबंध में कोई सीमांत राहत उपलब्ध नहीं होगी।

[खंड 2, पहली अनुसूची]

ख. अतिरिक्त संसाधनों का संग्रहण और दुरुपयोग रोधी उपाय लाभांश के रूप में आय के कराधान का सुव्यवस्थीकरण

धारा 115खखघक के विद्यमान उपबंधों के अधीन किसी निवासी व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या फर्म की दशा में 10 लाख रुपए से अधिक लाभांश के रूप में आय सकल आधार पर 10% की दर से कर प्रभावी है।

लाभांश से आय वाले करदाताओं के सभी प्रवर्गों के बीच क्षैतिज साम्यता को सुनिश्चित करने की दृष्टि से, यह उपबंध करने के लिए कि उक्त धारा के उपबंध सभी निवासी निर्धारित देसी कंपनी और भविष्य निधि, न्यास, संस्थान के सिवाय लागू होंगे। धारा 115खखघक का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध से लागू होगा।

[खंड 44]

कतिपय व्यक्ति और हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में स्रोत पर कर की कटौती

अधिनियम की धारा 194-झ के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ-2 यह उपबंध करते हैं कि पाने वाले के खाते में प्रारंभ सीमा से अधिक किराए का जमा या संदाय होने पर स्रोत पर कटौती होगी। और यह उपबंध करते हैं कि कोई व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब इस वित्तीय वर्ष जिसमें किराए के रूप में ऐसी आय खाते में जमा हुई हो से शीघ्र पूर्ववर्ती वर्ष के लिए धारा 44कख के अधीन कर संपरीक्षा के दायी होंगे, और इस धारा के अधीन स्रोत पर कर कटौती अपेक्षित होगी।

इस प्रकार, उपरोक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अधीन कोई व्यक्ति और हिन्दू अविभक्त कुटुंब करदाताओं के रूप में (जो कर संपरीक्षा के लिए दायी है के सिवाय) अधिनियम की धारा 194-झ के विस्तार से बाहर हैं।

स्रोत पर कर कटौती के विस्तार को विस्तृत करने के लिए अधिनियम में नई धारा 194-झख के अंतःस्थापन प्रस्तावित है जिससे उपबंधित हो सके कि पूर्व वर्ष के दौरान व्यक्ति या हिन्दू अविभक्त कुटुंब (अधिनियम की धारा 44कख के अधीन आने वाले के सिवाय) जो किसी निवासी को पचास हजार रुपए से अधिक मासिक या अर्द्धमासिक किराया देने के जिम्मेदार हैं, की ऐसी आय में से 5 प्रतिशत कर के रूप में कटौती कर सकेंगे।

और यह प्रस्तावित है कि ऐसी आय पर कर की कटौती, पूर्ववर्ती वर्ष के आखिरी मास या किराएदारी के आखिरी मास यदि वर्ष के दौरान संपत्ति छोड़ दी हो के लिए, यथास्थिति पाने वाले के खाते में या नकद संदाय के समय या चैक जारी करने या ड्राफ्ट या किसी अन्य प्रकार से, किराया जमा होने पर जो भी शीघ्र हो, की जाएगी।

अनुपालन के बोझ को कम करने के लिए यह और प्रस्तावित है कि अधिनियम की धारा 203क के अनुसार कटौतीकर्ता द्वारा कर कटौती खाता संख्या प्राप्त करना अपेक्षित नहीं है। और यह भी निश्चित किया गया कि कटौतीकर्ता पूर्ववर्ती वर्ष में केवल "एक बार कटौती के लिए दायी होगा।

यह और प्रस्तावित है कि जहां धारा 206कक के उपबंधों के अनुसार कटौती किया जाना अपेक्षित है ऐसी कटौती यथास्थिति, पूर्ववर्ती वर्ष के आखिरी मास या किराएदारी के आखिरी मास के लिए संदेय किराए की रकम से अधिक नहीं होगी।

यह संशोधन 1 जून, 2017 से प्रभावी होगा।

[खंड 63]

ग. आवासन और भू-सम्पदा सेक्टर के संप्रवर्तन के लिए उपाय स्थायर सम्पत्ति में विनिधान के संप्रवर्तन हेतु प्रोत्साहन

अधिनियम के विद्यमान उपबंध, दीर्घ-कालिक पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भव होने वाले पूंजी अभिलाभ के कराधान के लिए भी कर की रियायती दर और सूचकांकिक फायदे का उपबंध करता है। दीर्घ-कालिक आस्ति अर्हित करने के लिए, किसी निर्धारिती को कतिपय अपवादों के अधधीन 36 मास की अधिक अवधि से आस्ति धारण की हो; उदाहरणार्थ असूचीबद्ध शेरारी के लिए 24 मास की धारण अवधि विनिर्दिष्ट है।

भू-सम्पदा सेक्टर का संप्रवर्तन और विनिधान हेतु इसे और आकर्षक बनाने की दृष्टि से आय-कर अधिनियम, की धारा 2(42क) का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि, दीर्घ-कालिक पूंजी आस्ति के रूप में सीमित करने के लिए भूमि या भवन या दोनों स्थावर संपत्ति के मामले में विद्यमान 36 मास से धृति अवधि को घटाकर 24 मास किया जा सके ।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चात्तर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

[खंड 3]

वहनीय आवासन का संप्रवर्तन करने के लिए धारा 80-झखक के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 80-झखक के विद्यमान उपबंध विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन कतिपय आवासीय परियोजनाओं के विकास और निर्माण से होने वाले लाभ और अभिलाभों की बाबत 100% कटौती के लिए 100% कटौती का उपबंध करते हैं। विनिर्दिष्ट दशाओं में अन्य बातों के साथ चैन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुम्बई या इन चारों शहरों की नगरीय सीमा से 25 कि.मी. के भीतर अवस्थित परियोजनाओं के संबंध में आवासीय ईकाई के निर्मित क्षेत्र के लिए 30 वर्ग मीटर भी शामिल है।

आगे, यह भी प्रस्ताव किया गया है कि कटौतियों का दावा करने के लिए पात्र होने के लिए, परियोजना को तीन वर्षों की अवधि के भीतर पूरा करना होगा ।

वहनीय आवासीय सेक्टर का संप्रवर्तन करने के लिए, निम्नलिखित छूटों का उपबंध करने के लिए धारा 80खखक का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है —

(i) आवासीय ईकाई का आकार भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम 2016 के यथा परिभाषित "फर्शी क्षेत्रफल" को ध्यान में रखकर मापा जाएगा न कि "निर्मित क्षेत्र" को

(ii) आवासीय ईकाइयों के आकार पर 30 वर्ग मीटर का निर्बंधन चैन्नई, दिल्ली, कोलकाता, या मुम्बई की नगरीय सीमा से 25 कि.मी. की दूरी के भीतर अवस्थित स्थान पर लागू नहीं होंगे ।

(iii) इस धारा के अधीन कटौती या कटौती या दावा करने के लिए परियोजना के समापन की अवधि की शर्त को विद्यमान तीन वर्ष से पांच वर्ष तक बढ़ाना होगा ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से लागू होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चात्तर्वी वर्षों के संबंध में लागू होंगे ।

[खंड 37]

आन्ध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए कर प्रोत्साहन

भूमि अर्जन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2014 की धारा 96 के अनुसार भू-स्वामी द्वारा भूमि अर्जन के बदले में प्राप्त विनिर्दिष्ट प्रतिकर पर आय कर से छूट है। भूमि स्पष्टीकरण योजना भूमि अर्जन विवाद से बचने के लिए और भूमि अर्जन अधिनियम के अधीन प्रतिकर के संदाय के साथ जुड़े हुए वित्तीय बोझ को कम करने के लिए अमरावती को नई राजधानी शहर के गठन हेतु आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई व्यवस्था का एक वैकल्पिक प्ररूप है। भूमि एकत्रीकरण योजना में, प्रतिकर ऐसे पुनर्गठित भूखंड या भूमि के प्ररूप में भू-स्वामी को दिया जाना है। तथापि आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के विद्यमान उपबंध के साथ भूमि एकत्रीकरण स्कीम के अधीन ऐसे पुनर्गठित भूखंड या भूमि, भूमि एकत्रीकरण स्वामित्व प्रमाणपत्रों के अंतरण कर से छूट का उपबंध नहीं करते हैं ।

किसी व्यक्ति या हि.अ.कु. जो 2 जून, 2014 को ऐसी भूमि का स्वामी है और जिसने आन्ध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2014 के उपबंधों के अधीन अधिसूचित भूमि एकत्रीकरण योजना के अधीन ऐसी भूमि का अंशदान किया है को राहत का उपबंध करने की दृष्टि से धारा 10में किसी खंड का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे यह उपबंध करने के लिए कि उक्त व्यक्तियों के संबंध में निम्नलिखित अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभ अधिनियम के अधीन प्रभावी नहीं होगा :—

- भूमि एकत्रीकरण स्कीम के अधीन भूमि या भवन या दोनों के कारण पूंजी आस्ति का अंतरण।
- ऐसे निर्धारिती द्वारा स्कीम के अधीन उसके द्वारा अंतरित भूमि के बदले में प्राप्त भूमि एकत्रीकरण स्वामित्व प्रमाणपत्रों का पहला विक्रय ।
- ऐसे निर्धारिती द्वारा उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष के भीतर पुनर्गठित भूखंड/भूमि का विक्रय जिसमें उक्त व्यक्ति को ऐसे भूखंड/भूमि को सुपुर्द किया गया था।

यह संशोधन, 1 अप्रैल, 2015 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2015-16 और पश्चात्तर्वी वर्षों के संबंध में लागू होगा।

धारा 49 में भी संशोधन का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि जहां भूमि एकत्रीकरण स्कीम के अधीन प्राप्त पुनर्गठित भूखण्ड या भूमि को उक्त निर्धारिती को ऐसे वित्तीय वर्ष में जिसमें उसे ऐसे भूखण्ड या भूमि को सौंपा गया था कि समाप्ति से दो वर्ष के अवसान के पश्चात् अंतरित किया गया है, ऐसे भूखण्ड या भूमि के अर्जन की लागत उस वित्तीय वर्ष जिसमें निर्धारिती को ऐसी आस्ति का कब्जा सौंपा गया था कि समाप्ति से दूसरे वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन पर, इसका स्टाम्प शुल्क मूल्य समझा जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा ।

[खंड 6 और 25]

संयुक्त विकास करार के मामले में पूंजी अभिलाभों के लिए विशेष उपबंध

धारा 45 के विद्यमान उपबंधों के अधीन पूंजी अभिलाभ उस वर्ष में जिसमें कतिपय मामलों के सिवाय अंतरण होता है, प्रभावी है। "अंतरण" की परिभाषा में अन्य बातों के साथ कोई ऐसी व्यवस्था या संव्यवहार भी शामिल है जहां किन्हीं अधिकारों को संविदा के अंशतः कार्य के निष्पादन में सुपुर्द किया गया है, यद्यपि वैधानिक शीर्षक को अंतरित नहीं किया गया है। ऐसे परिप्रेक्ष्य में स्थावर सम्पत्ति के स्वामी और विकासक के बीच संयुक्त विकास करार का निष्पादन, उस वर्ष में जिसमें स्थावर सम्पत्ति के कब्जा को किसी परियोजना के विकास के लिए विकासक को सुपुर्द किया गया है, पूंजी अभिलाभ कर दायित्व स्वामी के दावों में प्रवर्तित हो जाएगा।

ऐसी यथार्थ कठिनाई जिसका भू का स्वामी अंतरण के वर्ष में पूंजी अभिलाभ कर का संदाय करने में सामना करता है को कम करने की दृष्टि से धारा 45 में नई उपधारा (5क) को अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी परियोजना के विकास के लिए जो विशिष्ट करार में प्रवेश करता है, व्यक्ति या एचयूएफ के होते हुए भी निर्धारणकर्ता के मामले में, पूंजी अभिलाभ उस पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें परियोजना के संपूर्ण या किसी भाग के लिए समापन प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, की आय के रूप में आय कर से प्रभावी रहेगा ।

यह उपबंध करने कि भूमि या भवन या दोनों के कारण, किसी धनीय प्रतिफल द्वारा यथा वृद्धि किये गये उक्त समापन प्रमाण पत्र के जारी करने की तारीख पर परियोजना में उसके हिस्से का स्टॉप शुल्क मूल्य, को पूंजी आस्ति के अंतरण के परिणामस्वरूप प्राप्त या उदभूत प्रतिफल यदि कोई प्राप्त हो, के पूर्ण मूल्य के रूप में समझा जाएगा ।

यह उपबंध करने के लिए भी प्रस्ताव किया गया है कि प्रस्तावित शासन के फायदे वहां लागू नहीं होंगे जिसमें किसी ऐसी निर्धारिती जो उक्त समापन प्रमाणपत्र को जारी करने की तारीख पर या उससे पहले किसी अन्य व्यक्ति को परियोजना में अपने हिस्से का अंतरण करता है यह भी उपबंध करने हेतु प्रस्ताव किया जाता है कि ऐसी स्थिति में अधिनियम के साधारण उपबंधों द्वारा यथा अवधारित पूंजी अभिलाभों को उस पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें ऐसा अन्तरण हुआ है, की आय माना जाएगा और इस प्रस्तावित संशोधन के क्रम के बिना अधिनियम के उपबंध के अनुसार गणना की जाएगी।

पद "सक्षम प्राधिकारी, "विनिर्दिष्ट करार" और "स्टॉप शुल्क मूल्य" को भी इस प्रयोजन के लिए परिभाषित करने का प्रस्ताव है।

धारा 49 के परिणामिक संशोधन करने के लिए भी प्रस्ताव किया गया है कि जिससे यह उपबंध किया जा सके कि भूस्वामी के हाथों में भूमि या भवन या दोनों के कारण किसी परियोजना में हिस्से के अर्जन की लागत वह रकम होगी जिसे प्रस्तावित उपधारा (5क) में प्रतिफल पूर्ण मूल्य के रूप में समझा जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध से लागू होंगे।

यह अधिनियम नई धारा 194झग अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव करती है जो उपबंध करती है कि विशिष्ट करार के अधीन संदेय किसी धनीय प्रतिफल के मामले में, दस प्रतिशत की दर या ऐसे संदाय से कटौती योग्य होगी ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे ।

[खंड 22, 25, 64]

पूंजी अभिलाभों की संगणना हेतु 1981 से 2001 तक आधार वर्ष का स्थान परिवर्तन

धारा 55 के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि अभिलाभों की संगणना करने के लिए किसी निर्धारिती को आस्ति के अर्जन की लागत और सुधार की लागत, यदि कोई हो, के लिए कटौती को अनुज्ञात किया जाएगा। तथापि 01.04.1981 से पहले किसी अर्जित आस्ति के बाबत पूंजी अभिलाभ की संगणना के लिए, निर्धारिती को 01.04.1981 तक आस्ति के उचित बाजार मूल्य को या अर्जन की लागत के रूप में आस्ति की वास्तविक लागत को, दोनों विकल्पों में से एक लेने के लिए अनुज्ञात किया गया है। निर्धारिती को 01.04.1981 के पश्चात् उदभूत सुधार की लागत, यदि कोई हो, के लिए दावा करना भी अनुज्ञात है।

चूंकि पूंजीगत लाभों की संगणना के लिए आधार वर्ष दो दशकों से अधिक पुराना हो गया है, तारीख 01.04.1981 को ही ऐसी आस्ति के उचित बाजार मूल्य की संगणना के लिए सुसंगत सूचना की उपलब्धता के कारण विशेषकर 01.04.1981 से पूर्व अर्जित स्थावर संपत्ति के लिए पूंजी आस्ति की बाबत पूंजीगत लाभ की संगणना में निर्धारिती वास्तविक कठिनाईयों का अनुभव कर रहे हैं।

पूंजी अभिलाभों की संगणना के लिए आधार वर्ष का पुनरिक्षित करने के लिए अधिनियम की धारा 55 का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि 01.04.2001 से पहले अर्जित किसी आस्ति के अर्जन की लागत को 1 अप्रैल, 2001 तक उचित बाजार मूल्य के रूप में लेने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा और सुधार की लागत में केवल वे पूंजी व्यय जो 01.04.2001 के पश्चात् उदभूत हुए हैं शामिल होंगे।

धारा 48 में परिणामिक संशोधन का भी प्रस्ताव किया गया है जिससे कि प्रस्तावित आधार वर्ष के लागत मुद्रास्फीति सूचकांक से सम्बन्धित उपबंधों का संरक्षण किया जा सके ।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध से लागू होंगे।

[खंड 28 और 24]

54डग के अधीन दीर्घ कालिक बंधपत्रों के क्षेत्र का विस्तार करना

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54डग के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि किसी दीर्घकालिक आस्ति के अंतरण से उदभूत होने वाले 50 लाख रुपये के विस्तार तक पूंजी अभिलाभ पर छूट है यदि निर्धारित विनिर्दिष्ट समय के भीतर, दीर्घ कालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में पूंजी अभिलाभों के पूर्ण या किसी भाग का विनिधान करता है। वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा या ग्रामीण विद्युतीकरण कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी बंधपत्रों में विनिधान इस धारा के अधीन छूट के लिए पात्र हैं।

उन सेक्टरों के दायरे को विस्तृत करने के लिए जो बंधपत्रों के निर्गमन द्वारा निधि उगाह सकते हैं; धारा 54डग के अधीन छूट के लिए पात्र हैं जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी बंधपत्र में विनिधान तीन वर्ष के पश्चात् मोचनीय है जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है, धारा 54डग के अधीन भी छूट के लिए पात्र होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 27]

व्यापार स्टाक के रूप में धारित गृह संपत्ति के लिए कोई आनुमानिक आय न होना

अधिनियम की धारा 23 गृह संपत्ति के वार्षिक अवधारण की रीति के लिए उपबंध करती है।

भू संपदा विकासकर्ताओं के मामले में कारबार अत्यावश्यकताओं पर विचार करते हुए, उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां-जहां किसी भवन और उससे संबद्ध भूमि से मिलकर बनी गृह संपत्ति व्यापार स्टाक के रूप में धारित की जाती है तथा संपत्ति या संपत्ति का कोई हिस्सा पूर्ववर्ती संपूर्ण वर्ष या उसके किसी भाग के दौरान किराए पर नहीं दिया जाता है, ऐसी संपत्ति या, उसके हिस्से का वार्षिक मूल्य उस वित्तीय वर्ष के अंत में जिसमें सक्षम प्राधिकारी से संपत्ति का निर्माण पूर्ण होने का प्रमाणपत्र प्राप्त किया जाता है, से एक वर्ष तक की अवधि शून्य मानी जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 12]

घ. वृद्धि को तेज करने के उपाय

विदेशी वाणिज्यिक उधारी के मामले में ब्याज पर रियायती कर दर फायदे की पात्र अवधि का विस्तार और रुपए अंकित मूल्य बंधपत्र को फायदे का विस्तार

अधिनियम की धारा 194ठग के विद्यमान उपबंध यह उपबंधित करते हैं कि भारत से बाहर स्रोतों से विनिर्दिष्ट कंपनी द्वारा ऋण करार के अधीन या दीर्घकालीन बंधपत्र, जिसके अंतर्गत दीर्घकालीन अवसंरचना बंधपत्र भी है, जारी करके विदेशी मुद्रा में इसके द्वारा लिए गए उधार पर अनिवासी ब्याज के संदाय का पात्र होगा।

यह और उपबंध करता है कि उधार क्रमशः उधार करार के अधीन 1 जुलाई, 2012 को किसी समय पर या उसके पश्चात्, लेकिन 1 जुलाई, 2017 से पूर्व; या किसी दीर्घकाल बंधपत्र जिसके अंतर्गत दीर्घकाल अवसंरचना बंधपत्र 1 अक्टूबर, 2014 को या उसके पश्चात् लेकिन 1 जुलाई, 2017 से पूर्व, लिया जाएगा।

विदेशी पूंजी के प्रवेश द्वारा अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अधिनियम की धारा 194ठग के अधीन टीडीएस की रियायती दर के विस्तार हेतु निवेदन के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

अतः, धारा 194ठग के संशोधन का प्रस्ताव करके यह उपबंध किया जाता है कि 1 जुलाई, 2020 से पूर्व उधार के संदर्भ में उपलब्ध इस धारा के अधीन ब्याज संदाय पर पांच प्रतिशत का टीडीएस है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

और, विभिन्न पणधारियों से मांग होने पर परिणामतः रुपए अंकित मूल्य बंधपत्र को निम्न कर प्रतिदाय का फायदा देने के लिए तारीख 29 अक्टूबर, 2015 को प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि पांच प्रतिशत पर टीडीएस की दर बंधपत्रों पर उसी तरह लागू होगी जैसे यह अपतट डॉलर अंकित मूल्य बंधपत्र पर लागू होती है।

ऊपर दिए गए को प्रभावी बनाने के लिए और यह प्रस्तावित है कि 1 जुलाई, 2020 से पूर्व धारा 194 ठग के फायदों का भारत से बाहर जारी रुपए अंकित मूल्य बंधपत्र का विस्तार किया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 67]

धारा 194ठग के अधीन रियायती कर के लिए पात्र अवधि का विस्तार

अधिनियम की धारा 194ठग के विद्यमान उपबंध, सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान पर एफ आई आई और क्यू एफ आई को 1 जून, 2013 को या 1 जुलाई, 2017 से पूर्व किसी समय पर ब्याज संदेय की दशा में पांच प्रतिशत निम्न कर प्रतिदाय के लिए उपबंध करता है और रुपए अंकित मूल्य कार्पोरेट बंधपत्र उपबंध करता है कि ब्याज दर केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित दर से अधिक नहीं होगी।

जैसा कि, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ई सी बी) के संदर्भ में धारा 194ठग के अधीन उपलब्ध घटी हुई कर दर के फायदों के लिए पात्रता अवधि की परिसीमा तारीख 30 जून, 2017 से 30 जून, 2020 तक विस्तारित की गई है। तदनुसार धारा 194ठग का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जाता है कि इस धारा के अधीन ब्याज संदाय पर कर प्रतिदाय की पांच प्रतिशत की रियायती दर अब 1 जुलाई, 2020 से पूर्व तक ब्याज संदाय पर उपलब्ध होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 68]

कतिपय कंपनियों की दशा में हानि का अग्रनयन और मुजरा

अधिनियम की धारा 79 के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करते हैं कि किसी कंपनी की दशा में पूर्ववर्ष में शेयरधृति में परिवर्तन हुआ है, जो ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें जनता सारवान रूप से हितबद्ध है, वहां किसी भी ऐसी हानि को जो उस पूर्ववर्ष में उपगत हुई थी, तब तक अग्रनीत नहीं किया जाएगा या पूर्ववर्ष की आय के प्रति उसका मुजरा तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक कि पूर्ववर्ष के अंतिम दिन को कंपनी के वे शेयर, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे, ऐसे व्यक्तियों द्वारा फायदाप्रद रूप से धारित है, न रहे हों, जो उस वर्ष या उन वर्षों के जिसमें या जिनमें हानि उपगत हुई थी, अंतिम दिन कंपनी के ऐसे शेयरों को फायदाप्रद रूप से धारण करते थे, जो इक्यावन प्रतिशत से अन्यून मतदान शक्ति वाले थे।

कारबार करने की सहजता और स्टार्ट-अप इंडिया को सुकर बनाने के लिए धारा 79 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कंपनी की दशा में पूर्ववर्ष में शेयरधृति में परिवर्तन हुआ है जो ऐसी कंपनी नहीं है, जिसमें जनता सारवान रूप से हितबद्ध है किंतु जो इस अधिनियम की धारा 80अकग में यथाविनिर्दिष्ट पात्र स्टार्ट-अप है, पूर्ववर्ष से पूर्व किसी वर्ष में उपगत हानि को अग्रनीत किया जाएगा और पूर्ववर्ष की आय के प्रति उसका मुजरा किया जाएगा, यदि ऐसी कंपनी के सभी शेयरधारकों ने जिनके पास उस वर्ष या उन वर्षों के जिसमें या जिनमें ऐसी हानि उपगत हुई थी, अंतिम दिन को मतदान शक्ति वाले शेयरों को धारण कर रहे थे, ऐसी हानि होगी जो उन सात वर्षों में उपगत हुई है, जो उस वर्ष से आरंभ हुई थी जिसमें ऐसी कंपनी को निगमित किया गया था, ऐसे पूर्ववर्ष के अंतिम दिन उन शेयरों को धारण कर रहे थे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 32]

स्टार्ट-अप द्वारा कटौती का दावा करने के लिए अवधि का विस्तार

धारा 80अकग के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ यह उपबंध करते हैं कि किसी पात्र स्टार्ट-अप को उस वर्ष जिसमें ऐसे पात्र स्टार्ट-अप को निगमित किया गया है कि शुरुआत से पांच वर्षों में से तीन क्रमवार निर्धारण वर्ष के लिए पात्र कारबार से होने वाले लाभ और अभिलाभ के एक सौ प्रतिशत के बराबर रकम की कटौती को अनुज्ञात किया जाएगा।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि स्टार्ट-अप अपने कारबार से लाभ निकालने में समय लेगा, यह उपबंध करने का प्रस्ताव किया गया है कि धारा 80अकग के अधीन कटौती का उस वर्ष से जिसमें ऐसे स्टार्ट-अप को निगमित किया गया है, से आरंभिक सात वर्षों में से किन्ही तीन क्रमवार निर्धारण वर्षों के लिए किसी पात्र स्टार्ट-अप द्वारा दावा किया जा सकेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 36]

निम्नतम वैकल्पिक कर और वैकल्पिक निम्नतम कर के लिए कर प्रत्यय से संबंधित उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 115अकक में धारा 115अख के अधीन कंपनियों द्वारा संदत्त निम्नतम वैकल्पिक कर से संबंधित कर प्रत्यय का अग्रनयन और मुजरा से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं। वर्तमान कर प्रत्यय दस वर्षों तक अग्रनीत किया जा सकता है। निम्नतम वैकल्पिक कर देने वाले निर्धारितियों को राहत देने की दृष्टि से धारा 115अकक के संशोधन का प्रस्ताव है जिससे इस धारा के अधीन निर्धारित कर प्रत्यय को शीघ्र उत्तरवर्ती निर्धारण वर्षों में ऐसे कर प्रत्यय जो अनुज्ञेय हो जाते हैं, को पंद्रह वर्ष तक अग्रनीत किया जा सकता है, और धारा 115अघ में समान संशोधन किए गए जिससे गैरकार्पोरेट निर्धारिती की दशा में धारा 115अग के अधीन संदत्त वैकल्पिक निम्नतम कर के अग्रनयन को अनुज्ञात किया जाए।

और धारा 115अकक और 115अघ का संशोधन प्रस्तावित है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निम्नतम वैकल्पिक कर/वैकल्पिक निम्नतम कर के संबंध में कर प्रत्यय की रकम वैकल्पिक निम्नतम कर/निम्नतम वैकल्पिक कर के उपबंधों के अतिरिक्त अधिनियम के नियमित उपबंधों के अधीन संगणित कर के लिए अनुज्ञेय निम्नतम वैकल्पिक कर/वैकल्पिक निम्नतम कर और विदेशी कर के संबंध में विदेशी कर प्रत्यय की रकम का अंतर जो ऐसे प्रत्यय से संबंधित है को पश्चात्वर्ती वर्ष में अग्रनीत करना अनुज्ञात नहीं होगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 46 और 48]

सहकारी बैंकों के लिए धारा 43घ की परिधि का विस्तार

अधिनियम की धारा 43घ का विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ उपबंध करता है कि कतिपय संस्थाओं, अथवा बैंकों या कार्पोरेशन या अन्य कंपनी द्वारा प्राप्त की गई खराब या संदेहप्रद कर्ज के कतिपय प्रवर्गों के संबंध में ब्याज आय उस पूर्ववर्ती वर्ष में कर प्रभाय होगा जिसमें वह अपने लाभ के और उस वर्ष के लिए हानि लेखा या वास्तविक रूप से प्राप्त की गई, जो भी पूर्ववर्ती हो, प्रत्यय की गई है, यह उपबंध गणना की उपचयप्रणाली के लिए कोई छूट जो कि कुल आय की गणना के लिए ऐसे निर्धारणकर्ता द्वारा नियमित रूप से अपनाई जाती है।

इस उपबंध के लाभ वर्तमान में अनुसूचित बैंकों, लोक वित्तीय संस्थाओं, राज्य वित्तीय कार्पोरेशन, राज्य औद्योगिक निवेश कार्पोरेशन और कतिपय पब्लिक कंपनियों जैसे कि गृह वित्तीय कंपनियां हैं, के लिए उपलब्ध हैं। धारा 43घ का विस्तार का सुव्यवस्थीकरण करने तथा अनुसूचित बैंकों के मुकाबले सहकारी बैंक

के फील्ड स्तर का उपबंध करने की दृष्टि के साथ, अधिनियम की धारा 43 का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जिससे प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी अथवा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सिवाय सहकारी बैंक को जोड़ने के लिए इस धारा के विस्तार बढ़ा सके।

परिणामस्वरूप कराधान में समान सिद्धांत के अनुसार यदि खराब या संदेहप्रद कर्ज पर ब्याज आय प्राप्ति आधार पर कर के लिए प्रभार्य है, तो ऐसे खराब या संदेहप्रद कर्ज पर संदेय ब्याज को वास्तविक संदाय पर अनुज्ञात करने की आवश्यकता है। इसकी दृष्टि में, अधिनियम की धारा 43 का संशोधन करने की प्रस्तावना करती है जो उपबंध करती है कि किसी प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी अथवा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सिवाय सहकारी बैंक से किसी उधार या अग्रिम पर ब्याज के रूप में निर्धारणकर्ता द्वारा संदेय कोई राशि को कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा यदि वह सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष की आय की रिटर्न को तैयार करने की सम्यक तारीख को या उससे पूर्व वास्तविक रूप से अदा कर दी जाती है।

ये संशोधन 1 अप्रैल 2018 को लागू होंगे और तदनुसार, निर्धारण वर्ष 2018-2019 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 17 और 18]

डूबंत और संदेहास्पद ऋणों के उपबंध के संबंध में कटौती सीमा में वृद्धि

अधिनियम की धारा 36 (i) (vii) के उपबंध (क) के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करते हैं कि कोई अनुसूचित बैंक (जो भारत से बाहर किसी देश की विधि द्वारा या उसके अधीन निगमित बैंक नहीं है) या गैरअनुसूचित बैंक या प्राथमिक कृषि प्रत्यय सोसाइटी या प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से भिन्न, सहकारी बैंक डूबंत और संदेहास्पद ऋणों के संबंध में कटौती का दावा कर सकते हैं। ऐसी कटौती की रकम कुल आय की रकम की साढ़े सात प्रतिशत तक (उस खंड और अध्याय 6 के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व संगणित) तथा पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति पर विहित नीति में ऐसे बैंक की ग्रामीण शाखाओं द्वारा किए गए कुल औसत अग्रिमों के दस प्रतिशत रकम से अनधिक तक सीमित हैं।

अधिनियम की धारा 36(1) (vii) के उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट निकायों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (vii) के उपखंड (क) के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कुल आय की रकम की वर्तमान साढ़े सात प्रतिशत की सीमा को बढ़ाकर साढ़े आठ प्रतिशत किया जा सके (उस खंड और अध्याय 6 के अधीन कोई कटौती करने से पूर्व संगणित)।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-2019 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 14]

ड. डिजिटल अर्थव्यवस्था का संवर्धन करना

नकद संदान का निर्बंधन

धारा 80छ के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किए गए संदानों की बाबत कटौती अनुज्ञात नहीं है यदि वह नकद के अलावा किसी अन्य रीति में संदत्त नहीं किया जाता।

नकद रहित अर्थव्यवस्था और पारदर्शिता उपलब्ध कराने के लिए, अधिनियम की धारा 80छ का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि दो हजार रुपये से अधिक की किसी राशि के संदान की बाबत धारा 80छ के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं होगी, यदि ऐसी राशि नकद से भिन्न किसी अन्य ढंग से संदत्त नहीं की जाती।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 35]

धारा 32 के अधीन अवक्षयण तथा धारा 35कघ के अधीन पूंजी व्यय नकद संदाय पर अनुज्ञात करना

अधिनियम के विद्यमान उपबंध के अधीन, आय-कर नियम 1962 के नियम 6घ में यथा निर्दिष्ट विशिष्ट परिस्थितियों के सिवाय, अधिनियम की धारा 40 ककी उपधारा (3) के अनुसार कतिपय धनीय सीमा से अधिक नकद में उद्भूत राजस्व व्यय अनुज्ञेय नहीं है। तथापि, नकद में उद्भूत पूंजी व्यय के व्यवस्थित करने के लिए कोई उपबंध नहीं है। और, अधिनियम की धारा 35कघ, अन्य बातों के साथ, किसी भूमि के अर्जन या सद्दावी कार्य या वित्तीय लिखत के लिए उपगत पूंजी व्यय के सिवाय, किसी विनिर्दिष्ट कारबार के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान कारबार के प्रयोजनों के लिए पूर्णतः या विशिष्टया उपगत पूंजी व्यय की रकम का 150S तक की कटौती का उपबंध करती है।

पूंजी व्यय के लिए भी नकद संव्यवहार को हतोत्साहित करने के लिए, अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां बैंक से आहरित खाता संदाय बैंक या खाता संदाय बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक व्हीयरिंग सिस्टम के उपयोग के सिवाय, कोई व्यय जिसके संबंध में किसी एक दिन में किसी व्यक्ति को संदाय या संदाय का योग किया जाता है, दस हजार रुपये से अधिक है, तो ऐसा व्यय ऐसी आस्ति के वास्तविक कीमत के अवधारण के प्रयोजनों के लिए उपेक्षित कर दिया जाएगा।

अधिनियम की धारा 35कघ के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि जहां बैंक से आहरित खाता संदाय बैंक या खाता संदाय बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रॉनिक व्हीयरिंग सिस्टम के उपयोग के सिवाय, कोई व्यय जिसके संबंध में किसी एक दिन में किसी व्यक्ति को संदाय या संदाय का योग किया जाता है, दस हजार रुपये से अधिक है तो अधिनियम की धारा 35कघ के अधीन ऐसे व्यय के संबंध में कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 13 और 16]

नकद संव्यवहारों को हतोत्साहित करने के लिए उपाय

अधिनियम की धारा 40क की उपधारा (3) का विद्यमान उपबंध यह उपबंधित करता है कि जहां बैंक ड्राफ्ट के सिवाय, कोई व्यय जिसके संबंध में किसी एक दिन में किसी व्यक्ति को संदाय या संदाय का योग किया जाता है, कटौती के तौर पर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

और, धारा 40क की उपधारा (3क) कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ को संदाय के रूप में मानने का भी उपबंध करती है, यदि व्यय किसी विशिष्ट वर्ष में किया जाता है किन्तु किसी पश्चातवर्ती वर्ष में किया गया संदाय, बैंक से आहरित खाता संदाय चैक या खाता संदाय बैंक ड्राफ्ट के सिवाय, बीस हजार रुपये से अधिक की धनराशि है।

नकद संव्यवहारों को हतोत्साहित करने के लिए, निम्नलिखित का उपबंध करने हेतु अधिनियम की धारा 40क के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

- (i) किसी एक दिन में बीस हजार रुपये के नकद संदाय की विद्यमान ऊपरी सीमा को घटाकर दस हजार रुपये करना; अर्थात् एक दिन में किसी व्यक्ति को दस हजार रुपये से अधिक का नकद संदाय 'कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ' के रूप में संगणित करने में कटौती के तौर पर अनुज्ञात नहीं किया जाएगा;
- (ii) संदाय को कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ मानना यदि किसी विशिष्ट वर्ष में व्यय उपगत किया जाता है किन्तु एक दिन में किसी व्यक्ति को दस हजार रुपये से अधिक का नकद संदाय किसी पश्चातवर्ती वर्ष में किया जाता है; और
- (iii) धारा 40क की क्रमिक उपधारा के अधीन संदाय के विनिर्दिष्ट ढंग को बैंक से आहरित खाता संदाय चैक या खाता संदाय बैंक ड्राफ्ट से बैंक से आहरित खाता संदाय चैक या खाता संदाय बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के उपयोग तक विस्तृत करना।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 15]

लघु असंगठित कारबार के मामले में डिजिटल संदाय के संवर्धन के उपाय

अधिनियम की धारा 44कघ के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ पात्र कारबार करने वाले पात्र निर्धारिती के मामले में उपधारणात्मक आय स्कीम का उपबंध करती है। इस स्कीम के अधीन किसी पात्र कारबार में लगा पात्र निर्धारिती जिसका पूर्ववर्ती वर्ष में आवर्त या सकल प्राप्तियां दो करोड़ रुपये से अधिक नहीं है, या, यथास्थिति निर्धारिती क्षरा अपनी आय की विवरणी में निर्धारिती द्वारा घोषित पूर्वोक्त धनराशि से अधिक धनराशि 'कारबार या वृत्ति से लाभ या अभिलाभ' शीर्ष के अधीन कर से प्रभार्य ऐसे कारबार से लाभ और अभिलाभ समझा जाएगा।

डिजिटल संव्यवहार के संवर्धन और लघु असंगठित कारबार को डिजिटल संदाय स्वीकार करना सुकर बनाने के लिए, अधिनियम की धारा 44कघ को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे आठ-प्रतिशत की कुल आय की विद्यमान दर को घटाकर पूर्ववर्ती वर्ष के संबंध में धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट शोध्य तीख के पूर्व पूर्ववर्ती (1) में विनिर्दिष्ट शोध्य तारीख के पूर्व पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान बैंक से आहरित खाता संदाय चैक या खाता संदाय बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के उपयोग द्वारा तथापि, आय-कर अधिनियम की धारा 44कघ में निर्दिष्ट 85 की विद्यमान दर कुल आवर्त या किसी अन्य ढंग से प्राप्त कुल प्राप्तियों के संबंध में लागू रहेगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 21]

नकद संव्यवहारों पर निर्बंधन

भारत में घरेलू कालेधन की मात्रा अत्यधिक है जो सरकार के राजस्व पर विपरीत प्रभाव डालती है और इसके विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए संसाधनों की कमी पैदा करती है। मौटे तौर पर काले धन का संव्यवहार नकद में किया जाता है। एसआईटी ने अपनी पांचवीं रिपोर्ट में टिप्पणी की है कि बेहिसाब धन की बड़ी मात्रा नकद के रूप में रखी और उपयोग की जाती है तथा उसने 3,00,000 से अधिक नकद संव्यवहार पर रोक लगाने की सिफारिश की है।

काले धन को उत्पन्न होने तथा उसके परिचालन में कमी लाने के लिए कम नकद वाली अर्थव्यवस्था की ओर बढ़नेके सरकार के मिशन को प्राप्त करने के लिए, अधिनियम में धारा 269 धन को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कोई व्यक्ति तीन लाख रुपये या अधिक की रकम —

(क) एक दिन में कुल योग किसी व्यक्ति से;

(ख) एक संव्यवहार के संबंध में; या

(ग) किसी व्यक्ति से एक बार या अवसर के संबंध में संव्यवहार की बाबत,

खाता संदाय चैक या खाता संदाय बैंक ड्राफ्ट या बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के उपयोग से अन्यथा, प्राप्त नहीं करेगा।

यह और उपबंधित करने का प्रस्ताव है कि उक्त निर्बंधन सरकार, किसी बैंककारी कंपनी, पोस्ट आफिस बचत बैंक या सहकारी बैंक तथा धारा 269धध में निर्दिष्ट प्रकृति के संव्यवहारों की बाबत लागू नहीं होगा। और, यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग या प्राप्तियां अधिसूचित किए जा सकेंगे जिनपर नकद संव्यवहारों पर प्रस्तावित निर्बंधन लागू नहीं होगा। धारा 269धध में निर्दिष्ट प्रकृति के संव्यवहारों को उक्त धारा के दायरे से अपवर्जित करने का प्रस्ताव है।

अधिनियम में धारा 271घक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे प्रस्तावित धारा 269घन के उपबंधों के उल्लंघन में राशि प्राप्त करने वाले व्यक्ति पर शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध किया जा सके। शास्ति अधिरोपित करने का उपबंध किया जा सके। शास्ति ऐसी प्राप्ति की रकम के बराबर करना प्रस्तावित है। तथापि, उक्त शास्ति अधिरोपनीय नहीं होगी यदि वह व्यक्ति यह साबित करता है कि ऐसे उल्लंघन के लिए उचित और पर्याप्त कारण थे। यह भी प्रस्ताव है कि ऐसी कोई शास्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाएगी। धारा 206ग के उपबंधों के पारिणामिक संशोधन का भी प्रस्ताव है जिससे पांच लाख रुपये से अधिक के आभूषणों के नकद विक्रय पर विक्रय प्रतिफल की एक प्रतिशत की दर से कर संग्रहण के उपबंध वाले खण्ड का लोप किया जा सके।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

[खंड 71,83 और 84]

च. निर्वाचन निधिकरण में पारदर्शिता

आय-कर अधिनियम की धारा 13क के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, यह उपबंधित करते हैं कि राजनैतिक दल जो भारत के निर्वाचन आयोग में रजिस्ट्रीकृत हैं आयकर के संदाय से छूट प्राप्त हैं। छूट प्राप्त करने के लिए राजनैतिक दलों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29 ग की उपधारा (3) आदेशित भारत के निर्वाचन आयोग को किसी व्यक्ति से किसी राजनैतिक दल को 20 हजार रुपए से अधिक प्राप्त अभिदायों के व्यौर की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित होता है। किसी राजनैतिक दल द्वारा नकद में किसी रकम के संदान की प्राप्ति पर कोई निर्बंधन नहीं है।

द्वितीयक, कोई राजनैतिक दल से अधिनियम की धारा 139 (4ख) के अधीन अपनी आय की विवरणी फाइल करने की अपेक्षा भी कि जाती है, यदि आय की अधिकतम रकम कर से प्रभार्य नहीं है (धारा 13क के अधीन छूट पर विचार किए बिना)। तथापि विवरणी फाइल करना उक्त धारा के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए कोई पूर्वापेक्षा शर्त नहीं है।

नकद संयवहारों को हतोत्साहित करने के लिए और राजनैतिक दलों के निधिकरण के स्रोत को पारदर्शी बनाने के लिए धारा 13क के उपबंधों को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे उक्त धारा के फायदों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त शर्तें उपबंधित की जा सकें जो निम्नानुसार हैं:

- 2000 हजार रुपए से अधिक का कोई संदान लेखा संदाए चेक या किसी बैंक पर आहरित लेखा संदाए बैंक ड्राफ्ट या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम द्वारा या निर्वाचन बंधपत्रों द्वारा किया जाए,
- राजनैतिक दल धारा 139 की उपधारा (4ख) के उपबंधों के अनुसार पूर्ववर्ती वर्ष के लिए आय की विवरणी विहित प्ररूप में धारा 139 के अनुसार देय तारीख को या उसके पूर्व विहित रीति में सत्यापन करके दाखिल करें।

और, दानदाताओं की गुप्तता की चिंता को दूर करने के लिए उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है कि राजनैतिक दलों से दानदाताओं के नाम और पते का विवरण दाखिल करना अपेक्षित नहीं होगा जो निर्वाचक बंधपत्र द्वारा अभिदाय करते हैं।

[खंड 11]

छ. कारबार करने की सहाजता

अप्रत्यक्ष अन्तरण उपबंधों से संबंधित स्पष्टता

अधिनियम की धारा 9 आय के मामलों से संबंधित हैं जो भारत में उद्भूत या उत्पन्न होते हैं। उक्त धारा की उपधारा (1) यह विदिक कथन करती है कि कतिपय आय भारत में उद्भूत या उत्पन्न समझी जाएगी। उपधारा (1) का खंड (i) परिस्थितियों के एक सैट का उपबंध करता है जिनमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उद्भूत या उत्पन्न आय भारत में कराधेय हैं। उक्त खंड उपबंध करता है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में कारबार संबंध से या भारत में किसी संपत्ति से या भारत में किसी आस्ति या आय के स्रोत से या भारत में स्थित पूंजी आस्ति के अन्तरण से उद्भूत या उत्पन्न सभी आय चाहे प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष भारत में उद्भूत या उत्पन्न समझी जाएगी।

वित्त अधिनियम, 2012 ने धारा 9 के उपबंधों में कतिपय स्पष्टीकारक संशोधन अंतःस्थापित किए। इस संशोधन से अन्य बातों के साथ 1 अप्रैल, 1962 से धारा 9(1)(i) में स्पष्टीकरण 5 अंतःस्थापित किया। स्पष्टीकरण 5 ने यह स्पष्ट किया कि भारत से बाहर रजिस्ट्रीकृत या निगमित किसी कंपनी या निकाय में कोई शेयर या हित होकर कोई आस्ति या पूंजीगत आस्ति भारत में स्थित आस्ति समझी जाएगी यदि शेयर या हित प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत में स्थित आस्तियों से इसका सारवान मूल्य व्युत्पन्न करता है।

अप्रत्यक्ष अन्तरण उपबंधों के विस्तार पर पणधारियों द्वारा स्पष्टीकरण मांगने के लिए किए गये विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में सीबीडीटी ने 2016 का परिपत्र संख्या 41 जारी किया। तथापि पणधारियों द्वारा विभिन्न चिंताएं उठाई गई कि इन उपबंधों का परिणाम बहु कराधान होता है।

इन चिंताओं को दूर करने के लिए उक्त धारा को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि स्पष्टीकरण 5 भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 के अधीन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (विदेशी पत्राधान निवेशक) विनियम 2014 के अधीन प्रवर्ग 1 या प्रवर्ग 2 विदेशी पत्राधान निवेशक के रूप में रजिस्ट्रीकृत तथा धारा 115 कघ के स्पष्टीकरण के खंड (क) में यथानिर्दिष्ट किसी विदेशी संस्थागत निवेशक में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अनिवासी द्वारा धारित विनिधान होकर किसी आस्ति या पूंजीगत आस्ति को लागू नहीं होगा, क्योंकि ये निकाय विनियमित और व्यापक आधार वाले हैं। प्रस्तावित संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2012 से भूतलक्षीरूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 4]

धारा 9क के अधीन अपतट निधियों के लिए विशेष कराधान शासन की शर्तों में उपांतरण

अधिनियम की धारा 9क अपतट निधियों की बावत विशेष शासन का उपबंध करती है। यह उपबंध करती है कि किसी पात्र निवेश निधि के मामलों में ऐसी निधि की ओर से कार्य करने वाले पात्र निधि प्रबंधक के माध्यम से किए गए निधि प्रबंध क्रियाकलाप भारत में उक्त निधि के कारबार सम्पर्क का गठन नहीं

करेंगे। और कोई पात्र निवेशनिधि मात्र इस कारण से भारत में निवासी नहीं कही जाएगी क्योंकि पात्र निधि प्रबंधक इसकी ओर से भारत में स्थित होने के कारण निधि प्रबंधक क्रियाकलाप करता है। धारा 9क के अधीन फायदा इस धारा की उपधारा (3)(4) और (5) में उपबंधित शर्तों के अधीन उपलब्ध है।

धारा 9 क की उपधारा (3) निधि की पात्रता के लिए शर्तों का उपबंध करती है। यह शर्तें अन्य बातों के साथ निधि के निवास, समग्र निधि, निवेशक वृहद् आधार, निवेश विभिन्नता और निधि प्रबंधक को सनिकट मूल्य पर पारश्रमिक के संदाय से संबंधित हैं। समग्र निधि के संबंध में यह शर्त की निधि के समग्र का मासिक औसत 100 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा सिवाय वहां जहां निधि पूर्ववर्ती वर्ष में स्थापित या निगमित कि गई है, उस मामले में निधि का समग्र ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष की समाप्ति पर 100 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा।

यह कथन करते हुए प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि वह वर्ष जिसमें निधि को समेटा जाता है, निधि का समग्र के मासिक औसत को बनाए रखना संभव नहीं होगा जो 100 करोड़ रुपए से अन्यून की रकम है जैसा अपेक्षित है।

शासन को सुव्यस्थित करने के लिए तथा पणधारियों की चिंता को दूर करने के लिए यह प्रस्ताव है कि पूर्ववर्ती वर्ष में जिसमें निधि को समेटा जा रहा है, निधि के समग्र के औसत मासिक की शर्त की यह 100 करोड़ रुपए से कम नहीं होगी, लागू नहीं होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2016 से भूतलक्षीरूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 5]

अधिनियम का करार या ठहराव की समाप्ति पर रणनीतिक आरक्षितियों से कच्चे तेल के छूटे हुए स्टॉक के विक्रय से विदेशी कंपनी को आय पर छूट

धारा 10 के खंड (48क) के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि किसी विदेशी कंपनी को भारत में किसी प्रसुविधा में कच्चे तेल के भंडारण के कारण उद्भूत या उत्पन्न होने वाली कोई आय और किसी व्यक्ति को उससे कच्चे तेल का विक्रय जो भारत में निवासी है, छूट प्राप्त होगा, यदि उक्त भंडारण और क्रय केंद्रीय सरकार द्वारा किए गए करार या ठहराव के अनुसरण में है; और राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उक्त विदेशी कंपनी और उक्त करार या ठहराव का इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में छूट के फायदे उक्त करार या ठहराव की समाप्ति के पश्चात् कच्चे तेल के छूटे हुए स्टॉक की विक्रय के लिए उपलब्ध नहीं है।

भारत को इसके रणनीतिक पेट्रोलियम आरक्षितियों को फायदा पहुंचाने वाले परियोजनाओं की रणनीतिक प्रकृति को देखते हुए धारा 10 में एक नया खंड 48ख अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि भारत में किसी प्रसुविधा से किसी विदेशी कंपनी को कच्चे तेल के छूटे हुए स्टॉक के विक्रय से होने वाली कोई आय जो करार या ठहराव के अवसान के पश्चात् होती है, ऐसी शर्तों के अधीन अधिनियम की धारा 10 के खंड (48क) के अधीन छूट प्राप्त होगी जो इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

धारा 194घ के अधीन विनिर्दिष्ट कमीशन संदायों के लिए प्ररूप 15छ/15ज फाइल करना समर्थ बनाना

अधिनियम की धारा 194घ के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करते हैं कि प्रति वित्तीय वर्ष पन्द्रह हजार रुपए की ऊपरी सीमा से आगे बीमा कमीशन की प्रकृति में संदायों के लिए पांच प्रतिशत की दर पर स्रोत पर कर कटौती होगी। और अधिनियम की धारा 197क के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ, यह उपबंध करते हैं कि कर की कटौती नहीं की जाएगी यदि कतिपय संदायों का प्राप्तकर्ता जिस पर कर कटौती योग्य है, करदाता को प्ररूप 15छ/15ज में विहित घोषणा करता है कि कर उसकी सुसंगत पूर्ववर्ती वर्ष की कुल आय पर शून्य होगा। वर्तमान में धारा 194घ में निर्दिष्ट संदाय की प्रकृति धारा 197क के उपबंधों के अधीन नहीं आती है।

व्यष्टियों और हिन्दू अविभक्त कुटुंबों के मामले में अनुपालन बोझ को कम करने के लिए धारा 197क के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे कि उन्हें धारा 194घ में निर्दिष्ट बीमा कमीशन की बाबत स्रोत पर कर की अकटौती के लिए प्ररूप 15छ/15ज में स्वतः घोषणा फाइल करने के लिए पात्र बनाया जा सके।

यह संशोधन 1 जून, 2017 से प्रभावी होगा।

[खंड 69]

व्यष्टिक और हिन्दू अविभक्त कुटुंब की दशा में लेखा बहियों के रखरखाव के लिए प्रारंभ सीमा को बढ़ाना

अधिनियम की धारा 44कक की उपधारा (2) के खंड (i) और खंड (ii) के विद्यमान उपबंध, प्रत्येक व्यक्ति जो कारबार या वृत्ति [उपधारा (i) में उल्लिखित जैसे विधि, चिकित्सा, इंजीनियरी, या वास्तुकलाकृति वृत्ति या लेखा वृत्ति या तकनीकी परामर्श या आंतरिक सजावट या अन्य कोई वृत्ति जो बोर्ड द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की गई है, के सिवाए] चला रहे हैं, पर बाध्यता लगाती है कि वह अधिनियम के उपबंध के अनुसरण में पूर्ववर्ती वर्ष में ऐसी लेखा बहियों और दस्तावेजों को रखे जिससे निर्धारण अधिकारी उसकी कुल आय की संगणना करने में समर्थ हो, यह उपबंधित है कि आय और कुल विक्रय या आवर्त या सकल प्राप्तियों आदि की मुद्रा सीमा जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44कक की उपधारा (2) के खंड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट है क्रमशः एक लाख पच्चीस हजार रुपए और दस लाख रुपए है।

अनुपालन बोझ कम करने के लिए, धारा 44 कक के उपबंधों का संशोधन प्रस्तावित है जिससे कि आय और कुल विक्रय या सकल प्राप्तियों आदि की मुद्रा सीमा जो अधिनियम की उक्त धारा की उपधारा (2) के खंड (i) और (ii) में विनिर्दिष्ट है को बढ़ाकर लेखा बहियों के रखरखाव के लिए क्रमशः एक लाख बीस हजार रुपए से एक लाख पच्चीस हजार रुपए किया जाए और दस लाख से पचास लाख रुपए किया जाए, जो क्रमशः व्यष्टिक और हिन्दू अविभक्त कुटुंब जो कारबार या वृत्ति चला रहे हैं की दशा में हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 19]

धारा 44कख के अधीन लेखा संपरीक्षा की अपेक्षा से कतिपय विनिर्दिष्ट व्यक्ति का अपवर्जन

अधिनियम की धारा 44कख के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो कारबार चला रहा है यदि उसका पूर्ववर्ष में कुल विक्रय, आवर्त या सकल प्राप्तियां एक करोड़ रुपए से अधिक है तो उसके द्वारा अपने लेखों की संपरीक्षा अपेक्षित हैं। धारा 44कख के अधीन पात्र व्यक्ति द्वारा चलाए गए पात्र कारबार की दशा में उपधारणात्मक कराधान को लागू करने के लिए प्रारंभ सीमा, वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा निर्धारण वर्ष 2017-18 से सुसंगत 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी एक करोड़ रुपए से दो करोड़ रुपए तक बढ़ाई गई थी। और तारीख 20 जून 2016 की प्रेस विज्ञप्ति में यह साफ किया गया था कि यदि कोई पात्र व्यक्ति अधिनियम की धारा 44कघ (1) के अनुसार उपधारणात्मक कराधान स्कीम को चुनता है, तो उसे अपने लेखों की संपरीक्षा करवाने की आवश्यकता नहीं है यदि सुसंगत पूर्व वर्ष में उसकी कुल आवर्त या सकल प्राप्तियां दो करोड़ से अधिक नहीं होती है।

उपर दिए गए विधायी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए और लघु कर संदायकर्ताओं के अनुपालन बोझ को कम करने और सहज कारबार को सुकर बनाने के लिए, धारा 44कख का संशोधन करके पात्र व्यक्ति जिसने पूर्व वर्ष में धारा 44 कख की उपधारा (1) के अनुसरण में लाभ घोषित किए हैं और उसके कुल विक्रय, कुल आवर्त या सकल प्राप्तियों, यथास्थिति कारबार में ऐसे पूर्व वर्ष में दो करोड़ से अधिक नहीं है, की धारा 44कख के अधीन लेखा बहीनों की संपरीक्षा की अपेक्षा से अपवर्जित करने का प्रस्ताव किया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चात् वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 20]

भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 के अधीन प्रतिकर की छूट की दशा में कर की गैर कटौती

अधिनियम की धारा 194 ठक का विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ-साथ यह उपबंध करता है कि ऐसा व्यक्ति जो प्रतिकर संदाय कर रहा है इसमें विनिर्दिष्ट कतिपय शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, तत्समय, प्रवृत्त किसी विधि के अधीन प्रतिकर या बड़े हुए प्रतिकर या किसी स्थावर संपत्ति (कृषि योग्य भूमि के सिवाय) के अनिवार्य अर्जन के ऊपर प्रतिफल पर दस प्रतिशत पर दस प्रतिशत की दर से स्रोत पर कर कटौती करेगा।

केन्द्रीय सरकार ने भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 [‘आर.एफ.सी.टी.एल.ए.ए.आर अधिनियम’] के नाम से एक नई विधि 26 सितंबर, 2016 को अधिनियमित की है, जो 1 जनवरी, 2014 को प्रवृत्त हुई थी। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम की धारा 96, अन्य बातों के साथ-साथ उपबंध करता है कि उक्त अधिनियम की धारा 46 में उल्लिखित सीमाओं के अध्यधीन रहते हुए बनाए गए आदेश और करार पर आयकर उपग्रहित नहीं करेगा। इस प्रकार, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 [आर.एफ.टी.सी.एल.ए.आर.आर अधिनियम की धारा 46 के अधीन बनाए गए के सिवाय] के अधीन अनिवार्य अर्जन के लिए प्राप्त प्रतिकर पर. आयकर या स्टाम्प शुल्क या फीस उदग्रहित होने से छूट है।

भूमि के अनिवार्य अर्जन पर प्राप्त प्रतिकर के कराधान के मुद्दे को सुलझाने हेतु बोर्ड द्वारा स्थिति स्पष्ट करने के लिए तारीख 25 अक्टूबर, 2016, परिपत्र संख्या 36/2016 जारी किया गया है। जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि किसी आदेश या करार के संदर्भ में प्राप्त प्रतिकर दर, आर.एफ.सी.टी.एल.ए.ए.आर अधिनियम की धारा 96 द्वारा आयकर उदग्रहित होने से छूट प्राप्त है, जिस पर अधिनियम के उपबंधों के अधीन भी कराधेय नहं होगा, यदि अधिनियम के अधीन ऐसे प्रतिकर पर छूट हेतु कोई विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं है। तथापि, परिपत्र में केवल अनिवार्य भूमि अर्जन पर प्राप्त प्रतिकर पर कर से संबंधित मुद्दे को सुलझाया गया है न कि अधिनियम की धारा 194ठक के अधीन स्रोत पर कटौती को सुलझाया गया।

अतः अधिनियम के उपबंधों को सुव्यवस्थित करने के लिए, धारा 194ठक का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध हो जाए कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 96 (धारा 46 के अधीन बनाए गए के सिवाय) के अधीन कोई आदेश या करार जो कर उदग्रहण से छूटप्राप्त है के संदर्भ में जहां ऐसा संदाय किया गया है, इस धारा के अधीन कोई कटौती नहीं की जाएगी

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा ।

[खंड 66]

कतिपय विनिर्दिष्ट क्रेताओं की दशा में धारा 206 ग की उपधारा (1च) के अधीन स्रोत पर कर संग्रहण से छूट

अधिनियम की धारा 206ग की उपधारा (1च) के विद्यमान उपबंध, अन्य बातों के साथ साथ उपबंध करता है कि कोई विक्रेता जो मोटर वाहन के विक्रय पर दस लाख से अधिक का प्रतिफल प्राप्त करता है, तो विक्रय प्रतिफल का एक प्रतिशत विक्रेता से कर के रूप में संग्रहित किया जाएगा

कतिपय मामलों में अनुपालन के भार को कम करने के लिए क्रेताओं के निम्नलिखित वर्ग अर्थात् केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, राजदूतावास, उच्च आयोग, दूतावास, आयोग कैंसिल कार्यालय और विदेशी राज्य के वाणिज्य प्रतिनिधित्व, को धारा 10के खंड (20) के स्पष्टीकरण में यथा परिभाषित स्थानीय प्राधिकारी, कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी जो यात्रियों के वहन किए जाने के कारबार में लगी हुई है, को अधिनियम की धारा 206 ग की उपधारा (1च) के उपबंधों के लागू किए जाने से छूट देने के लिए अधिनियम की धारा 206ग के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

[खंड 71]

धारा 194 ज के अधीन वृत्तिक या तकनीकी सेवाओं के लिए केस फीस में स्रोत से कर की कटौती के उपबंधों का सरलीकरण

अधिनियम की धारा 194ज की उपधारा (1) के विद्यमान उपबंधों में अन्य बातों के साथ साथ यह उपबंधित है किसी किसी निवासी को, विनिर्दिष्ट व्यक्तियों वृत्तिक सेवाओं के लिए तकनीकी सेवाओं के लिए फीस के रूप में संदेय या संदत्त किसी राशि का दस प्रतिशत के बराबर की कटौती अनुज्ञात होगी, परन्तु ऐसी संदत्त/संदेय राशि या संदत्त या संदेय राशि का योग किसी वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति के प्रति तीस हजार रुपए से अधिक हो।

कारबार करने में सहूलियत देने के लिए ऐसे पाने वाले द्वारा, जो केवल कॉल सेंटर के प्रचालन में लगा हुआ कोई व्यक्ति है, प्राप्त किए गए या उसे प्रत्यय किए गए संदायों की दशा में, स्रोत पर कर की कटौती दर को कम करके दस प्रतिशत के स्थान पर दो प्रतिशत करने के लिए अधिनियम की धारा 194 ज के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जून, 2017 से प्रभावी होगा।

[खंड 65]

विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहारों से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 92 खक की परिधि

अधिनियम की धारा 92 खक के विद्यमान उपबन्धों में अन्य बातों के साथ साथ यह उपबंधित है कि ऐसा कोई काम, जिसके सम्बन्ध में धारा 40क(2)(ख) के अधीन निर्धारिती द्वारा कतिपय "विनिर्दिष्ट व्यक्तियों" को संदाय किया गया है, विशेष देशी संव्यवहार की परिधि में आएगा।

अनुपालन और रिपोर्ट करने के विषय के रूप में करदाताओं के लिए सम्बन्धित पक्षकारों, विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार की प्रकृति और मूल्य, विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के लिए आसन्निकट कीमत के अवधारण के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धति, विनिर्दिष्ट देशी से व्यवहार के रूप में न समझे गए कतिपय संव्यवहारों की बाबत स्थिति आदि की सूची के व्यौर देने के लिए प्ररूप 3गडख में चार्टर अकाउंटेंट का प्रमाण पत्र अभिप्राप्त करना आवश्यक है। इससे पर्याप्त रूप से करदाताओं का अनुपालन का बोझ बढ़ जाएगा।

करदाताओं के अनुपालन के भार को कम करने के लिए यह उपबंध करने का विनिश्चय किया गया है कि ऐसे व्यय को, जिसके संबंध में निर्धारिती द्वारा धारा 40क (2)(ख) के अधीन निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को संदाय किया गया है, अधिनियम की धारा 92 खक की परिधि से अपवर्जित किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चात्तर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 15 और 41]

अधिमानी शेयरों का साधारण शेयरों में कर निष्प्रभावी संपरिवर्तन

अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन, प्रत्याभूमि का एक प्ररूप से दूसरे प्ररूप में संपरिवर्तन को पूंजी अभिलाभ के उद्ग्रहण के प्रयोजन के लिए अंतरण के रूप में समझा जाता है। तथापि, किसी कंपनी के बंधपत्र या डिबेंचर की कर निष्प्रभाविता का उस कंपनी के शेयर या डिबेंचर में परिवर्तन के संबंध में उपबंध धारा 47 में दिए गए हैं। किसी कंपनी के अधिमानी, शेयर के साधारण शेयर के संपरिवर्तन के लिए इसी प्रकार के कर की निष्प्रभाविता का उपबंध नहीं किया गया है।

किसी कंपनी के अधिमानी शेयर के उस कंपनी के साधारण शेयर में संपरिवर्तन की कर निष्प्रभाविता का उपबंध करने के लिए, धारा 47 का यह उपबंध करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव है कि किसी कंपनी के अधिमानी शेयर का इसके साधारण शेयर में संपरिवर्तन को अंतरण नहीं समझा जाएगा।

धारा 49 में अर्जन की लागत तथा धृति की अवधि की बाबत धारा 2(42क) में पारिणामिक संशोधनों का भी प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चात्तर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 3, 23 और 25]

किसी विदेशी कंपनी के कर निष्प्रभावी निर्वलयन में अर्जन की लागत

धारा 47 (viंग) का विद्यमान उपबंध, किसी भारतीय कंपनी के निर्वलयन विदेशी कंपनी द्वारा पारिणामिक विदेशी कंपनी को अंतरण, अंतरण के रूप में नहीं समझा जाता है।

धारा 49 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि किसी पारिणामिक विदेशी कंपनी के पास में धारा 47(ग) में निर्दिष्ट भारतीय कंपनी के शेयरों के अर्जन की लागत वही होगी जैसा कि वह निर्वलीत विदेशी कंपनी के पास में थी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चात्तर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 25]

कार्बन प्रत्यय के अंतरण से आय

कार्बन प्रत्यय ऐसे प्रोत्साहन हैं जो किसी जीएचजी (हरित भवन गैस) के उत्सर्जन में जिसके अंतर्गत कार्बन डाई आक्साइड है, कमी के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम को दिए जाते हैं, जिसे अनेक प्रकार से किया जाता है जैसे कि पवन और सौर ऊर्जा, वन पुनःप्रजनन, ऊर्जा दक्ष मशीनरी, भूमि भराव मीथेन फेचर आदि को अपनाना। क्योटा प्रोटोकॉल, कतिपय विकसित देशों को उनके जीएजी उत्सर्जन में कमी लाने के लिए आबद्ध करता है और इसके लिए उन्हें कार्बन प्रत्यय दिये जाते हैं। उत्सर्जन में कमी से अस्तित्व, प्रमाणीकृत उत्सर्जन कमी (सीईआर) प्रमाण पत्र के रूप में किसी प्रत्यय का हकदार हो जाता है। सीईआर व्यापारीय है और इसका धारक किसी अस्तित्व जिसे कार्बन प्रत्यय पर प्रतिकूल स्थिति को पार पाने के लिए कार्बन प्रत्यय की आवश्यकता है, को अंतरण कर सकता है।

आयकर विभाग कार्बन प्रत्यय अंतरण की आय को व्यापार आय के रूप में ले रहे हैं जो कि 30% की दर कर के अधधीन है। तथापि न्यायालय द्वारा इस मुद्दे पर कि कब कार्बन प्रत्यय के अंतरण पर प्राप्त आय या प्राप्त होने वाली आय, राजस्व प्राप्ति है या पूंजी प्राप्ति है, भिन्न विनिश्चय दिए गए हैं।

कार्बन प्रत्यय के अंतरण से आय पर कराधान के मुद्दे पर और पर्यावरण संरक्षित करने के उपायों के प्रोत्साहन पर स्पष्टता: लाने के लिए नई धारा 115खखख के अंतःस्थापन का प्रस्ताव है जो उपबंध करती है कि जहां निर्धारिती की कुल आय के अंतर्गत कार्बन प्रत्यय के अंतरण से आय भी है तब ऐसी आय की सकल रकम पर दस प्रतिशत लागू अधिभार और उपकर के साथ की रियायती दर पर कराधेय होगा। अधिनियम के अधीन ऐसी आय के संदर्भ में कोई व्यय या भत्ता अनुज्ञात नहीं होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चात्तर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 45]

विहित समय के भीतर विवरणी पर कार्यवाही करना और कतिपय मामलों में प्रतिदाय रोकने के लिए समर्थ बनाना

धारा 143 की उपधारा (1घ) के उपबंधों में यह उपबंध है कि विवरणी पर कार्यवाही करना वहां आवश्यक नहीं होगा जहां उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती को सूचना जारी की गई है। उक्त उपधारा के वित्त अधिनियम 2016 द्वारा किए गए संशोधन में यह उपबंध है कि निर्धारण वर्ष 2017-2018 से, धारा 143(1) के अधीन कार्यवाही, निर्धारण आदेश के पारित करने से पहले की जानी है।

ऐसे वास्तविक मामलों में, जिनका नेमी रूप से निर्धारण संवीक्षा के लिए चयन किया गया है, प्रतिदाय के जारी किए जाने में विलम्ब की शिकायत को समाधान के लिए यह प्रस्तावित है कि धारा 143 (1फ) के उपबंध निर्धारण वर्ष 2017-2018 के लिए तथा उसके पश्चात् दी गई विवरणियों की बाबत लागू नहीं रहेंगे।

तथापि शंकास्पद मामलों में राजस्व की वसूली से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए अधिनियम में नई धारा 241 क अन्तः स्थापित करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् प्रारम्भ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए दी गई विवरणियों के लिए जहां धारा 143(1) के अधीन निर्धारिती को किसी रकम का प्रतिदाय शोध्य हो जाता है और निर्धारण अधिकारी की यह राय है कि प्रतिदाय की मंजूरी राजस्व की वसूली पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है तो वह, लेखबद्ध कारणों से और प्रधान आयुक्त या आयुक्त के पूर्व अनुमोदन से उस तारीख तक जिसको निर्धारण किया जाता है, प्रतिदाय को रोक सकेगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार पश्चात्तर्ती वर्षों और वर्ष 2017-18 के लिए दी गई विवरणियों पर लागू होंगे।

[खंड 57 और 76]

अग्रिम कर से संबंधित धारा 211 और धारा 234 ग का सुव्यवस्थीकरण

अधिनियम की धारा 211 में अग्रिम कर की किशतों के लिए और उन्हें जमा करने की देय तारीखों के लिए उपबंध है। उक्त धारा की उपधारा (1) के खंड (ख) में यह उपबंध है कि धारा 44 फक में निर्दिष्ट किसी पात्र कारबार में लगा कोई पात्र निर्धारिती, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 15 मार्च को या उससे पहले अग्रिम कर का एक ही किशत में संदाय करने का दायी है।

वित्त अधिनियम 2016 द्वारा उपधारणात्मक कराधान व्यवस्था का विस्तार वृत्तिकों तक भी कर दिया गया है। इसलिए उक्त खण्ड (ख) का संशोधन करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि कोई निर्धारिती, जो धारा 44कघक के अधीन उपबंधित उपधारणात्मक कराधान व्यवस्था के अनुसार लाभ और अभिलाभ घोषित करता है, 15 मार्च को या उससे पहले अग्रिम कर का एक ही किशत में संदाय करने का भी दायी होगा।

धारा 234 ग की उपधारा (1) में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव भी यह उपबंध करने के लिए है कि धारा 44 फक में निर्दिष्ट किसी निर्धारिती की बाबत उक्त धारा के अधीन ब्याज उद्गृहीत किया जाएगा, यदि 15 मार्च को या उससे पहले संदत अग्रिम कर विवरणी में दी गई आय पर देय कर से कम है।

वित्त अधिनियम 2016 द्वारा देशी कम्पनियों से प्राप्त कतिपय लाभांशों पर कर, अधिनियम की धारा 115खखक के अधीन 1 अप्रैल, 2017 से उद्गृहीत किया जाना है, यदि ऐसी आय दस लाख रुपये से अधिक है। तथापि यह हो सकता है कि घोषणा और लाभांश आय की प्राप्ति अनिश्चित प्रकृति की दृष्टि से अग्रिम कर का संदाय करने के लिए दायी कोई निर्धारिती धारा 233 में यथा विनिर्दिष्ट संदाय की समय सूची के भीतर ऐसे दायित्व का सही अवधारण करने के लिए समर्थ न हो, और इसलिए धारा 234 ग (1) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट अग्रिम कर के आस्थगन पर ब्याज का उद्ग्रहण उपगत करेगा।

इसलिए यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि अग्रिम कर के संदाय में कमी, धारा 115 खखक में निर्दिष्ट प्रकृति की आय के कम प्राक्कलन करने या प्राक्कलन करने में असफल रहने के कारण है तो धारा 234 ग के अधीन ब्याज, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा किए जाने के अध्याधीन उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चात्तर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 73 और 74]

कटौतीकर्ता के कारण प्रतिदाय पर ब्याज

अधिनियम की विद्यमान धारा 244 क में यह उपबंध है कि कोई निर्धारिती, अग्रिम कर, स्रोत पर कटौती किए गए या संगृहीत कर आदि के अधिक संदाय से उद्भूत प्रतिदाय पर ब्याज प्राप्त करने का हकदार है।

उक्त धारा में एक नई उपधारा (1ख) अतःस्थापित करने का प्रस्ताव यह उपबंध करने के लिए है कि जहां कटौती कर्ता को किसी रकम का प्रतिदाय शोध्य हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति, प्रतिदाय के अतिरिक्त ऐसे प्रतिदाय पर उस तारीख से, जिसको पारित किसी आदेश की दशा में उस तारीख से, जिसको कर संदत किया जाता है, उस तारीख तक जिसको प्रतिदाय मंजूर किया गया है, प्रत्येक मास या उस अवधि में किसी मास के भाग के लिए आधे प्रतिशत की दर से संगणित साधारण ब्याज प्राप्त करने का हकदार होगा।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि ऐसी अवधि के लिए ब्याज अनुज्ञात नहीं किया जाएगा जिसके लिए, प्रतिदाय के लिए कार्यवाहियों में विलम्ब कटौती कर्ता के कारण हुआ माना जा सकता है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

[खंड 77]

रुपए अंकित मूल्य बंधपत्रों को पूंजी लाभ छूट का विस्तार

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय कार्पोरेट को अनुज्ञा देने के संबंध में अनिवासी विनिधानकर्ता को राहत देने की दृष्टि से भारत के बाहर भारतीय कार्पोरेट को स्रोत से निधि हासिल करने के लिए उपाय के रूप में रुपए अंकित मूल्य बंधपत्रों को जारी करता है, वित्त अधिनियम, 2016 अन्य बातों के साथ साथ 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी रूप से अधिनियम की धारा 48 का संशोधन किया गया जिससे यह उपबंधित किया जा सके कि उसके द्वारा प्रतिभूत किसी भारतीय कंपनी के रुपए अंकितमूल्य बंधपत्र के मोचन के समय पर विदेशी करंसी के मुकाबले में रुपए के अधिमूल्यन के कारण उद्भूत अभिलाभों को प्रतिफल के पूर्व मूल्य की संगणना के लिए ध्यान में नहीं लिया जाएगा।

द्वितीय धारकों को पूंजीगत लाभों से छूट प्रदान करना अनुज्ञात करने के लिए भी अभ्यवेदन प्राप्त हुए हैं। विदेशी मार्केट में ऐसी लिखत की स्वीकार्यता और अंतरणीयता बढ़ाने के प्रयोजन से अनिवासी से अनिवासी को रुपये अंकित बंधपत्र के अंतरण की बाबत छूट अनुज्ञात करने के लिए भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

द्वितीयक धारकों को भी भारतीय कंपनी के रुपये अंकित बंधपत्र के विमोचन के समय विदेशी मुद्रा के प्रति रुपये मूल्य में वृद्धि के कारण उद्धृत होने वाले लाभों की बाबत अनुतोष प्रदान करने के लिए अधिनियम की धारा 48 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि रुपये की उक्त मूल्य वृद्धि प्रतिफल को पूर्ण मूल्य की संगणना के प्रयोजनों के लिए उपेक्षित कर दी जाएगी।

और अनिवासी से अनिवासी को रुपये अंकित बंधपत्र के अंतरण को सुकर बनाने की दृष्टि से, धारा 47 को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि पूंजीगत आस्ति का, जो भारत से बाहर भारतीय कंपनी का रुपये अंकित बंधपत्र है, अनिवासी से अनिवासी को कोई अंतरण, अंतरण नहीं माना जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चात्तर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 24]

विवाद के मामलों में संदत्त विदेशी कर हेतु प्रत्यय के दावे को समर्थ बनाना

आय-कर अधिनियम की धारा 155 के विद्यमान उपबंध कतिपय विनिर्दिष्ट त्रुटियों के मामलों में निर्धारण आदेश के संशोधन के लिए प्रक्रिया का उपबंध करते हैं।

आयकर अधिनियम 1962, में नियम 128 की दृष्टि से जो विदेशी कर प्रत्यय के दावे हेतु किसी तन्त्र का उपबंध करता है, यह उपबंध करने के लिए जहां संदत्त विदेशी कर हेतु प्रत्यय को निर्धारण वर्ष हेतु उन आधारों पर कि जहां विदेशी कर का संदाय विवाद में था, नहीं दिया गया है वहां निर्धारण अधिकारी धारा 143 की उप-धारा (1) के अधीन निर्धारण आदेश या कोई सूचना का परिशोधन करेगा यदि निर्धारिती उस माह के अन्त से जिसमें विवाद का निपटान हुआ है छः मास के भीतर, ऐसे विवाद के समाधान के प्रमाण को प्रस्तुत करता है। यह साक्ष्य प्रस्तुत करता है कि विदेशी कर दायित्व का उन्मोचन कर दिया गया है और कोई ऐसा वचन देता है कि संदत्त विदेशी कर की ऐसी रकम का प्रत्यय का प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से दावा नहीं किया गया है या निर्धारण अधिकारी के समक्ष किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए दावा नहीं किया जाएगा, धारा 155 की उपधारा (11क) को अन्तःस्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चात्तर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 62]

अग्रिम विनिर्णय हेतु प्राधिकरण की संरचना के लिए संशोधन

अधिनियम का अध्याय 19-ख आय-कर अधिनियम के अधीन अग्रिम विनिर्णय से संबंधित है।

कारबार की सुगमता का संवर्धन करने की दृष्टि के साथ सरकार द्वारा आय-कर केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, सीमाशुल्क और सेवा कर हेतु अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (एएआर) में आमेलित करने के लिए सरकार द्वारा विनिश्चय किया गया है। तदनुसार, विभिन्न एएआरएस के आमेलन को अनुज्ञात करने के लिए अध्याय 19ख में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

तदनुसार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 और वित्त अधिनियम, 1994 (जिसमें सेवा कर संबंधी मामलों के संबंध में उपबंध किए गए हैं) के अधीन अग्रिम विनिर्णय हेतु आवेदनों के निर्देश का उपबंध करने के लिए अधिनियम की धारा 245ड में आवेदन की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है। इसी प्रकार धारा 245थ, जो अग्रिम विनिर्णय हेतु आवेदन से संबंधित है, का संशोधन करने के लिए प्रस्ताव किया गया है।

इसके अतिरिक्त यह एएआर के राजस्व सदस्यों के रूप में नियुक्ति हेतु अर्हता का संशोधन करने का और प्रस्ताव करती है और केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड और भारतीय सीमाशुल्क और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क सेवा के किसी अधिकारी जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क के सदस्य होने के लिए अर्हता प्राप्त होते हैं, का सदस्य होने के लिए अर्हता प्राप्त भारतीय राजस्व सेवा का उपबंध करने के लिए एएआर के राजस्व सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए पात्रता होगी।

एएआर की दक्षता और क्षमता में सुधार करने के क्रम में, एएआर के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने के लिए उपलब्ध पूल में वृद्धि करने के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हेतु अर्हता का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है और उपबंध करती है कि किसी उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जो कम से कम सात वर्ष किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में रहा हो, भी एएआर के अध्यक्ष के रूप में पात्र होगा।

यह उपबंध करने का प्रस्ताव करती है कि राजस्व सदस्य अथवा विधि सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता पर रिक्ति के उद्धृत होने की तारीख से विचार किया जाएगा।

यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति, बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से उसके कृत्यों के निर्वहन करने में असमर्थता के कारण अथवा किसी घटना के कारण अध्यक्ष का पद रिक्त होता है, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जब तक नया अध्यक्ष अपने पद पर नहीं आ जाता है अथवा अध्यक्ष अपना कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

[खंड 79, 80 और 81]

धारा 253 का संशोधन

धारा 253 की उपधारा (1) के उपखंड (च) के विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (vi) अथवा (vik) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील योग्य होगा।

यह उक्त धारा के क्षेत्र का विस्तार करने का प्रस्ताव करती है जो उपबंध करती है कि धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) और (v) के अधीन विहित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील योग्य होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

[खंड 82]

स्रोत पर कर की कटौती अथवा संग्रहण के लिए असफलता के लिए शास्ति के संबंध में जारी निदेश के लिए बोर्ड को सशक्त बनाना

धारा 119 की उपधारा (2) का खंड (क) का विद्यमान उपबंध बोर्ड को शास्तियों के लगाने हेतु कार्यवाहियों के संस्थित किए जाने अथवा राजस्व के निर्धारण अथवा संग्रहण से संबंधित कार्य में अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा अपनाए जाने के लिए निदेशों अथवा अनुदेशों (निर्धारणकर्ता को प्रतिकूल नहीं बनाने हेतु) को बताने के लिए जारी किए जाने के लिए आदेश करने हेतु बोर्ड को सशक्त करती है।

वास्तविक कठिनाइयों को कम करने के क्रम में जो धारा 271ग अथवा 271गक के अधीन शास्ति के अधिरोपण के लिए सम्यक् स्रोत पर कर की कटौती और संग्रहण हेतु दायी किसी व्यक्ति को सामना कर सके, उक्त खंड में धारा 271ग अथवा 271गक के निर्देश में सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव किया जाता है जिससे बोर्ड को उक्त धाराओं के संबंध में भी निदेश या अनुदेश जारी करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

[खंड 49]

पुनरीक्षित रिटर्न भरने के लिए समय का निर्धारण, पुनःनिर्धारण और पुनःसंगणना और कम करने के लिए समय सीमा का सुव्यवस्थीकरण

धारा 153 के विद्यमान उपबंध, उसमें विनिर्दिष्ट, उसमें निर्दिष्ट निर्धारण, पुनःनिर्धारण और मामले की पुनःसंगठन के लिए समय सीमा विनिर्दिष्ट करती है।

मानव अंतरापृष्ठ को कम करने और तकनीकी, भारी कम्प्यूटरीकरण को आगे बढ़ाने के प्रयास में इसे विभाग के बाहर लाया गया है, जो कि विभाग के क्रियाकलापों में कुशलतापूर्वक संपूर्ण रूप से वृद्धि करके उद्ग्रहण किया हैं समान दृष्टि में, उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जो यह उपबंध करती है कि निर्धारण वर्ष 2018-19 के लिए धारा 143 अथवा धारा 144 के अधीन निर्धारण आदेश करने की समय सीमा निर्धारण वर्ष और आगे के निर्धारण वर्ष 2019-20 की समाप्ति को विद्यमान माह से घटाकर 18 माह करेगी, उक्त समय सीमा निर्धारण वर्ष जिसमें आय पहली बार निर्धारित की गई थी, की समाप्ति से 12 माह कर दी जाएगी।

यह और उपबंध करने के लिए उक्त धारा की उपधारा (2) का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है कि धारा 147 के अधीन निर्धारण, पुनःनिर्धारण अथवा पुनःसंगणन के क्रम में करने की समय सीमा को धारा 148 के अधीन दी गई नोटिसों अथवा 1 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात के संबंध में उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जिसमें धारा 148 के अधीन नोटिस दी गई थी, से 12 माह कर दी जाएगी।

यह उक्त धारा की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जो यह उपबंध करती है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 और आगे की धारा 254 अथवा धारा 264 के अधीन पारित किए गए अथवा प्राप्त किए गए किसी आदेश के अनुकरण में नए निर्धारण के आदेश करने की समय सीमा को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से जिसमें उसमें निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पारित धारा 263 अथवा धारा 264 के अधीन प्राप्त किए गए आदेश धारा 254 के अधीन आदेश किया गया है, 12 मास कर दी जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

यह उक्त धारा की उपधारा (5) का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जो उपबंध करती है कि जहां निर्धारणकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति अथवा जहां किसी निर्धारणकर्ता को प्रदान करने के लिए कोई अवसर सुना गया हो, के द्वारा किसी दस्तावेज के द्वारा जोड़े जाने के किसी मुद्दे की सत्यापन की अपेक्षा धारा 250 अथवा धारा 254 अथवा धारा 260 या धारा 262 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन कोई आदेश किया गया हो, उपधारा (3) के अधीन प्रदान की गई नए निर्धारण से संबंधित समय सीमा, ऐसे आदेश को प्रभावी बनाने के लिए आदेश अनुज्ञात होगा।

यह उक्त धारा की उपधारा (9) का संशोधन करने का भी प्रस्ताव करती है जो यह उपबंध करती है कि जहां धारा 142 की उपधारा अथवा धारा 143 की उपधारा (2) अथवा धारा 148 की अधीन नोटिस 1 जून, 2016 से पूर्व जारी की गई है, स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट समय की छूट के लिए ऐसी सम्यक तारीख को पूरी नहीं की गई हो, ऐसा निर्धारण और पुनर्निर्धारण धारा 153 जैसे कि वित्त अधिनियम 2016 द्वारा इसे संशोधन से तत्काल पूर्व होती है, के अनुसरण में, पूरी कर ली जाएगी।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से भूतलक्षीरूप से प्रभावी होगा।

यह, उसमें धारा 153ख के निर्देश का लोप करने के लिए उक्त धारा के स्पष्टीकरण के तीसरे परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है।

यह धारा 245क के खंड (ख) के स्पष्टीकरण में कार्यवाहियों के समापन के अर्थ के पारिणामिक संशोधन का भी प्रस्ताव करती है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि कार्यवाहियों की समाप्ति का धारा 153 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारण और पुनःनिर्धारण करने के लिए विनिर्दिष्ट समय के अनुसरण में अर्थ लगाया जाएगा।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

उपरोक्त यथा प्रस्तावित विभाग के शीघ्र निर्धारणों के क्रम में यह है कि किसी निर्धारण वर्ष के लिए रिटर्न का निर्धारण वर्ष की समाप्ति द्वारा भी रोका जाता है। अतः धारा 139 की उपधारा (5) के उपबंधों का संशोधन किए जाने का प्रस्ताव करती है जो यह उपबंध करती है कि पुनरीक्षित रिटर्न को तैयार करने की सीमा सुसंगत निर्धारण वर्ष अथवा निर्धारण को पूरा किया जाने से पूर्व जो भी पूर्व हो, की समाप्ति पर विद्यमान होगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 55, 58 और 78]

तलाशी निर्धारण पूर्ण करने के लिए समय सीमा की बाबत उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 153 ख के विद्यमान उपबंध, धारा 153क के अधीन निर्धारण को पूरा करने की समय सीमा का उपबंध करती है।

चूंकि धारा 153क के अधीन निर्धारण को पूरा करने की समय सीमा, पारिणामिक सुव्यवस्थीकरण करने का भी प्रस्ताव करती है। तदनुसार, यह उक्त धारा की उपधारा (1) का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जो उपबंध करती है कि धारा 153क के अधीन निर्धारण आदेश करने की समयसीमा को उस वित्तीय

वर्ष की समाप्ति में जिसमें धारा 132 अथवा धारा 132क के अधीन अध्यापेक्षा के लिए खोज के लिए प्राधिकार को अंतिम रूप से निष्पादित किया गया था। यह और प्रस्ताव किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 और आगे के लिए आयोजित तलाशी अथवा अभिग्रहीत मामले, की उक्त समय सीमा को उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर जिसमें धारा 132 अथवा धारा 132क के अधीन अध्यापेक्षा के लिए प्राधिकार को अंतिम रूप से, 12 मास और कम कर दी जाएगी।

यह और प्रस्ताव करती है जो उपबंध करती है कि धारा 153ग में अन्य व्यक्ति के मामले में निर्दिष्ट निर्धारण अथवा पुनःनिर्धारण करने की सीमा की अवधि, उन वित्तीय वर्ष जिसमें निर्धारणकर्ता अधिकारी अपनी अधिकारिता में ऐसे अन्य व्यक्ति के ऊपर जो भी बाद में हो के लिए धारा 153ग के अधीन बुक किया गया हो।

यह उक्त धारा के स्पष्टीकरण के परंतुक को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करती है जो यह उपबंध करती है कि जहां धारा 245जक के अधीन निपटान आयोग के पूर्व कार्यवाहियां घटा दी जाती हैं। निर्धारण और पुनःनिर्धारण के लिए इस धारा के अधीन समीा की अवधि को धारा 245जक की उपधारा (4) के अधीन निष्पादन की अवधि के पश्चात एक वर्ष से कम नहीं होगी; और जहां सीमा की ऐसी अवधि 1 वर्ष से कम है, यह एक वर्ष से विस्तारित की गई समझी जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

यह धारा 153ख की उपधारा (3) का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जो उपबंध करती है कि जहां धारा 153क या धारा 153ग के अधीन नोटिस 1 जून, 2016 से पूर्व जारी की गई है स्पष्टीकरण 1 में निर्दिष्ट समय की छूट के लिए ऐसी सम्यक तारीख को पूरी नहीं की गई हो, ऐसे निर्धारण जैसे कि वित्त अधिनियम 2016 द्वारा इसे संशोधन से तत्काल पूर्व होती है, के अनुसरण में पूरी कर ली जाएगी।

यह संशोधन 1 जून, 2016 भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी होगी।

[खंड 60]

ज. दुरुपयोग रोधी उपाय

धारा 10(38) के अधीन दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ की छूट

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(38) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी कंपनी या किसी साम्य अभिविव्यास्त निधि की कोई ईकाई का साम्य शेयर होने के कारण दीर्घकालिक पूंजी आस्ति के संव्यवहार द्वारा उत्पन्न आय पर कर से छूट है यदि ऐसा अंतरण 1 अक्टूबर, 2014 के पश्चात किया गया है और प्रतिभूति संव्यवहार कर (एलटीटी) से और वित्त अधिनियम (सं. 2), 2004 के अध्याय-7 के अधीन प्रभावी है।

यह देखा गया है कि धारा 10(38) के अधीन प्रदान की गई छूट का कतिपय व्यक्तियों द्वारा ऑफलाइन संव्यवहार करके दीर्घकालिक पूंजीगत लाभों की छूट के तौर पर अपनी बेहिसाब आय घोषित करने के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है। इस दुरुपयोग को रोकने की दृष्टि से, धारा 10(38) का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि इस धारा के अधीन 1 अक्टूबर, 2004 को या उसके पश्चात् साम्या शेयरों के अंतरण पर उद्भूत आय के लिए छूट केवल तभी उपलब्ध होगी यदि शेयर का अर्जन वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 के अधीन एसटीटी पर प्रभावी है। तथापि, वास्तविक मामलों को छूट की संरक्षा प्रदान करने के लिए जहां एसटीटी का संदाय नहीं किया जा सकता था, जैसे आईपीओ, एफपीओ बोनस या सूचीबद्ध कंपनी द्वारा जारी अधिकार में शेयर का अर्जन, सरकार की एफडीआई नीति के अनुसार अनिवारी द्वारा अर्जन आदि, अंतरणों को अधिसूचित करने का भी प्रस्ताव है जिसके लिए एसटीटी को प्रभावीता या अर्जन की शर्त लागू नहीं होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

कतिपय मामलों में प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के लिए उचित बाजार मूल्य

अधिनियम के विद्यमान उपबंध के अधीन, "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभावी आय, पूंजी आस्ति के अन्तरण पर उद्भूत अथवा प्राप्ति पर प्रतिफल के पूर्ण मूल्य की रकम के लिए गणना की जाती है।

यह सुनिश्चित करने के क्रम में कि प्रतिफल को पूर्ण मूल्य समझने योग्य नहीं है, अधिनियम, कतिपय मामलों में प्रतिफल को पूर्ण मूल्य को मानने हेतु भी उपबंध अंतर्विष्ट किये हैं जैसे कतिपय मामलों में अचल संपत्ति के अंतरण हेतु प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में स्टाम्प ड्यूटी मूल्य के में माना जा रहा है।

"पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय की गणना हेतु प्रतिफल का पूर्ण मूल्य को मानने संबंधी उपबंधों के सुव्यवस्था के क्रम में यह, एक नई धारा 50गक को अंतःस्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया जाता है जो उपबंध करती है कि कंपनी के अंश के अंतरण हेतु प्रतिफल, विहित रीति के अनुसरण में सुनिश्चित किया गए ऐसे अंश के उचित बाजार मूल्य (एफएमसी) से कम है, एफएमवी को "शीर्ष अभिलाभ" के शीर्ष के अधीन आय की गणना के उद्देश्य हेतु प्रतिफल के पूर्ण मूल्य के रूप में माना जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 26]

अन्य स्रोतों से आय के विस्तार को वृहत करना

धारा 56(2)(vii) के विद्यमान उपबंधों के अधीन, किसी धन की राशि या किसी संपत्ति जो एचयूएफ या किसी व्यष्टि द्वारा पर्याप्त प्रतिफल (50,000/- रुपए की विनिर्दिष्ट सीमा में) अथवा बिना प्रतिफल के प्राप्त की जाती है, कतिपय अपवादों के अधीन "अन्य स्रोत से आय" शीर्ष के अधीन निवासी के हाथों में आयकर से प्रभावी होगी। तथापि, किसी फर्म या कंपनी द्वारा कतिपय शेयरों की प्राप्ति, जिसमें जनता सारवान रूप से हितबद्ध नहीं होती है, 50,000 रु. की अधिकता में ऐसी प्राप्ति के मामले में आयकर भी प्रभावी होती है और अपर्याप्त प्रतिफल के लिए बिना प्रतिफल के प्राप्त की जाती है।

इस धारा के उद्देश्यों के लिए संपत्ति की विद्यमान परिभाषा है जिसके अंतर्गत अचल संपत्ति, सोनार, शेयर, पेंटिंग आदि है। ये, दुरुपयोग रोधी उपबंध, कतिपय मामलों में व्यष्टि अथवा एचयूएफ और फर्म या कंपनी के मामले में वर्तमान में लागू होते हैं। अतः धन की राशि अथवा बिना प्रतिफल की संपत्ति अथवा अपर्याप्त प्रतिफल अन्य निर्धारित के मामले में उपबंध दुरुपयोग रोधी इन पर लागू नहीं होती है।

धन की राशि अथवा बिना प्रतिफल की संपत्ति प्राप्ति के व्यवहार्य को रोकने के क्रम में अथवा अपर्याप्त प्रतिफल के, धारा 56 की उपधारा (2) में नए खंड (x) को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करती है जो उपबंध करती है कि अपर्याप्त प्रतिफल के लिए बिना प्रतिफल के किसी व्यक्ति द्वारा धन की राशि अथवा संपत्ति की प्राप्ति "अन्य स्रोत से आय" के शीर्ष की अधीन प्राप्तकर्ता के हाथों में कर प्रभावी होगा।

अर्जन की लागत के अवधारण के लिए धारा 49 में भी पारिणामिक संशोधन प्रस्तावित है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा और 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् धनराशि या संपत्ति की सभी प्राप्ति धारा 56 की उपधारा (2) के प्रस्तावित खंड (x) के अनुसार कर से प्रभावी होंगे।

[खंड 25, 29]

निवासी को संदाय से अकटौती से अननुज्ञात करना

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 58 के विद्यमान उपबंध उन रकमों को विनिर्दिष्ट करते हैं जो अन्य स्रोतों से आय की संगणना करने में कटौती योग्य नहीं है, जिनके अंतर्गत कतिपय अभन्ते भी हैं जो मद कारबार और वृत्ति से लाभ और अभिलाभ के अधीन आय की संगणना करने में किए जाते हैं। इन अभन्तों में अभन्ते जैसे नकद व्यय का अभन्ता, अनिवासी को संदाय से कर की अकटौती के लिए अभन्ता आदि।

शीर्ष "कारबार और वृत्ति से लाभ या अभिलाभ" के अधीन आय की संगणना करने के लिए, निवासी को भी संदाय से कर की अकटौती के लिए अभन्ता किया जाता है। स्रोत से कर कटौती के अनुपालन को सुधारने और कर आधार का विस्तार करने के दृष्टिकोण से, उक्त धारा को संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे के उपबंध, जहां तक हो सके, अन्य स्रोतों से आय मद के अधीन प्रभावी आय की संगणना करने में लागू होंगे जैसे वे कारबार और वृत्ति से लाभ और अभिलाभ मद के अधीन प्रभावी आय की संगणना करने में लागू होते हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 30]

कतिपय मामलों में ब्याज कटौती की सीमा

प्राप्तिक तौर पर कोई कंपनी ऋण और साम्या के मिश्रण के माध्यम में वित्त पोषित या पूंजीकृत की जाती है। वह तरीका जिससे कोई कंपनी पूंजीकृत की जाती है, अक्सर उस लाभ की रकम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है जो वह कर के प्रयोजनों के लिए रिपोर्ट करती है, चूंकि प्रारूपिक रूप से देशों के कर विधान कर प्रयोजनों के लिए लाभ पाने हेतु संदत्त या संदेय ब्याज के लिए कटौती अनुज्ञात करते हैं जबकि साम्या अभिदाय पर संदत्त लाभांश कटौती योग्य नहीं होता। इसलिए, किसी कंपनी में ऋण का उच्च स्तर होने और अतः इसके द्वारा संदत्त ब्याज की रकम से इसका कराधेय लाभ निम्न है। इस कारण से साम्या की तुलना में ऋण अक्सर वित्त की अधिक कर दक्ष पद्धति है। बहुराष्ट्रीय समूह अक्सर इन लाभों को अधिकतम करने के लिए उनके वित्तीय इंतजामों को करने में सक्षम होते हैं। इस कारण से, देशों के कर प्रशासक अक्सर ऐसे नियम बनाते हैं जो ब्याज की रकम की सीमा निर्धारित करते हैं जो कर प्रयोजनों के लिए कंपनी के लाभ की संगणना करने में कटौती की जा सकती है। ऐसे नियम अत्यधिक ब्याज संदायों के माध्यम से लाभ की सीमा पार अंतरण को न्यून करने के लिए अभिकल्पित किए जाते हैं, और अतः किसी कंपनी के कर आधार को संरक्षित करते हैं।

समूह-20 देशों की पहल के अधीन, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने अपनी बीईपीएस परियोजना में कार्ययोजना 4 में एमएनई का अत्यधिक ब्याज कटौती के माध्यम से आधार क्षरा और लाभ अंतरण का मुद्दा उठाया। ओईसीडी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कई कदमों की सिफारिश की है।

उपर्युक्त को दृष्टिकोण में रखते हुए, ओईसीडी बी ईपीएस कार्य योजना 4 की सिफारिशों के अनुरूप ब्याज, करों, अवक्षयण और मोक (ईबीआईटीडीए) या सहबद्ध उपक्रमों को संदत्त या संदेय ब्याज, जो भी कम हो, के पूर्व किसी निकाय द्वारा अपने सहबद्ध समूहों को दावाकृत ब्याज व्यय इसकी आय के 30% तक सीमित रखने का उपबंध करने के लिए एक नई धारा 94ख अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है।

यह उपबंध किसी भारतीय कंपनी, या किसी विदेशी कंपनी के स्थायी स्थापन का लागू होगा जो उधारकर्ता है और किसी अनिवासी या अनिवासी के स्थायी स्थापन को निर्गत ऋण के किसी प्रकार के लिए ब्याज का संदाय करता है और जो उधारकर्ता का 'सहबद्ध उपक्रम' है। तथापि, ऋण को किसी सहबद्ध उपक्रम द्वारा निर्गत वाले को विवक्षित या स्पष्ट प्रतिभूति का या उधार देने वाले के समक्ष समनुरूप और मिलती जुलती निधि की रकम जमा करने का उपबंध करता है।

ये उपबंध मूल्यांकन के तुरन्त पश्चात्वर्ती आठ निर्धारण वर्षों को अननुज्ञात ब्याज व्यय का अग्रसरण अनुज्ञात करेंगे जिसके लिए अननुज्ञापन पहले किया गया है और अधिकतम अनुज्ञेय ब्याज व्यय की सीमा तक "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" मद के अधीन संगणित रकम के लिए मुजरा किया गया।

केवल बड़े ब्याज संदायों को लक्षित करने के लिए, एक करोड़ रुपये की ब्याज व्यय की सीमा का उपबंध करने का प्रस्ताव है, जिससे अधिक होने पर उपबंध लागू होगा।

उक्त उपबंधों के दायरे से बैंकों, बीमा कारबार को अपवर्जित करने का प्रस्ताव है क्योंकि ब्याज संदाय अंतर्वलित करने वाली आधार क्षरण और लाभ अंतरण इन कारबारों की रूप से सुलझने की संभावना नहीं है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चात्वर्ती वर्ष के संबंध में लागू होगा।

[खंड 43]

कतिपय मामलों में द्वितीयक समायोजन

द्वितीयक समायोजन वह समायोजन जो निर्धारित और इसके सहबद्ध उपक्रम के खाता बहियों में किया जाता है तथा यह दर्शित करता है कि निर्धारित और इसके सहबद्ध उपक्रम के बीच लाभों का वास्तविक आबंटन हुआ है; प्राथमिक समायोजना के परिणामस्वरूप निर्धारित अंतरण कीमत से संगत है से अभिप्रेत है।

बहुराष्ट्रीय उपक्रम और कर प्रशासन के लिए ओईसीडी अंतरण कीमत मार्गनिर्देश (ओईसीडी अंतरण कीमत मार्गनिर्देश) के अनुसार द्वितीयक समायोजन आन्वयिक लाभांश, आन्वयिक सम्या अभिदायों या आन्वयिक ऋणों का रूप में हो सकते हैं।

द्वितीयक समायोजन के उपबंध अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं और की कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में लागू अंतरण कीमत नियमों का पहले से ही हिस्सा है। जबकि द्वितीयक समायोजन के प्रति नजरिया अलग-अलग देशों के लिए अलग हो सकता है; वे आसन्निकट स्थिति के साथ संव्यवहार के आर्थिक फायदे के पुनः संरक्षण की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता को प्रस्तुत करते हैं।

ओईसीडी अंतरण कीमत मार्गनिर्देश और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप अंतरण कीमत उपबंधों को संरक्षित करने के लिए एक नई धारा 92 गड अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि निर्धारिती से द्वितीयक समायोजन करना अपेक्षित होगा जहां कीमत अंतरण के लिए प्राथमिक समायोजन निर्धारिती द्वारा अपनी आय की विवरण में स्वतः ही किया गया है; या निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया निर्धारिती द्वारा स्वीकार किया गया है, या धारा 92 गघ के अधीन निर्धारिती द्वारा प्रविष्ट अग्रिम कीमत करार द्वारा अवधारित किया जाता है; या धारा 92 गख के अधीन विरचित सुरक्षित बंदरगाह नियमों के अनुसार है अथवा धारा 90 या धारा 90क के अधीन किए गए करार क अधीन पारस्परिक सहमति की प्रक्रिया के माध्यम से किसी निर्धारिती के संकल्प के परिणामस्वरूप उद्भूत हुआ है।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि जहां अंतरण कीमत को प्राथमिक समायोजन के परिणामस्वरूप, यथास्थिति, निर्धारिती की कुल आय में वृद्धि हुई है या हानि में कमी हुई है, अतिरिक्त धन जो इसके सहबद्ध उपक्रम के पास उपलब्ध है, यदि विहित समय के भीतर भारत में वापस नहीं आता है तो, ऐसे सहबद्ध उपक्रम को निर्धारिती द्वारा दिया गया अग्रिम समझा जाएगा और ऐसे अग्रि पर ब्याज ऐसी रीति में जो विहित की जाए, निर्धारिती की आय के रूप में संगणित किया जाएगा।

यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि ऐसा द्वितीयक समायोजन नहीं किया जाएगा, यदि किसी पूर्ववर्ती वर्ष में निर्धारिती द्वारा की गई प्राथमिक समायोजन की रकम एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं है और प्राथमिक समायोजन 1 अप्रैल, 2016 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष या उससे पूर्व की बाबत किया जाता है। यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 42]

छूट प्राप्त निकायों द्वारा अन्य छूट प्राप्त निकायों को समग्र संदान के मामले में छूट पर निर्बंधन

अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अधीन धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास द्वारा किसी अन्य न्यास या संस्था को किए गए संदाय या धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या (v) या (vi) या (vik) में निर्दिष्ट किसी निधि या किसी न्यास या संस्था को किए गए संदायो को, संचित आय से किए गए संदान के सिवाय, भी इसके प्रयोजनों के लिए आय का अनुप्रयोजन समझा जाता है। तथापि, इन छूट प्राप्त निकायों द्वारा छूट प्राप्त निकाय को दिया गया संदान, इस विशिष्ट निदेश के साथ कि यह समग्र का हिस्सा बनेगा, यद्यपि दाता न्यास के हाथों में आय का अनुप्रयोजन माना जाता है किन्तु प्राप्तकर्ता न्यास की आय नहीं माना जाता है। अतः, न्यास बिना वास्तविक अनुप्रयोजन के समग्र संदान में लगे रहते हैं।

उसी प्रकार संगृहीत आय में से किए गए के संदान के सिवाय धारा बकक के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी न्यास या संस्थान को धारा 10 के खंड (23ग) के उपखंड (iv) या उपखंड (v) या उपखंड (vi) या उपखंड (छक) के अधीन छूट प्राप्त निकायों द्वारा किया गया संदान इसके उद्देश्यों के प्रयोजनों के लिए यथा लागू होने के रूप में समझा गया है।

तथापि इन छूट प्राप्त निकायों द्वारा किसी दूसरे छूट प्राप्त निकाय को दिए गए संदान जोकि संग्रह के ही भाग का प्रारूप होगा विनिर्दिष्ट निदेशों के साथ दाता न्यास के हाथों में आय पर लागू होना समझा जाएगा लेकिन इसे प्राप्तकर्ता नियासी की आय के रूप में नहीं समझा जाएगा, जो ऐसे न्यास बिना वास्तविक आवेदन के संग्रह देने में अंतरवलित न्यास हैं।

अतः, अधिनियम की धारा 11 में एक नया स्पष्टीकरण अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट आय से प्रत्यय या संदत्त की गई रकम, जो इस विशिष्ट निदेश के साथ अभिदाय होगा। कि वह न्यास या संस्था के समग्र का हिस्सा बनेगा, आय का अनुप्रयोजन नहीं माना जाएगा।

धारा 10 के खंड (23ग) में एक परंतुक अंतःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि उनकी आय से प्रत्यय की गई या संदत्त किसी रकम की बाबत उक्त खंड के उपखंड (iv), (v), (vi) या (vi क) के अधीन छूट प्राप्त निकायों पर उपर्युक्त समान निर्बंधन लागू होंगे।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से लागू होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6 और 8]

कतिपय छूट प्राप्त निकायों द्वारा विवरणी को बाध्यकारी रूप से दाखिल करना

धारा 139 की उपधारा (4ग) के विद्यमान उपबंध कतिपय निकायों द्वारा विवरणी दाखिल करने को बाध्यकारी बनाते हैं जो आय-कर के उपग्रहण से छूट प्राप्त हैं।

यह पुष्टि करने के लिए कि कतिपय निकाय जिन्हें राजपत्र में अधिसूचित किया गया है या किसी अधिनियम के अधीन गठित किया गया है और उन्हें धारा 10 के अधीन छूट प्राप्त हैं, वास्तविक रूप से उन कार्यकलापों को करते हैं जिनके लिए उन्हें अधिनियम के अधीन छूट प्रदान की गई है, यह उपबंध करने का प्रस्ताव है कि धारा 10 के खंड (23ककक) में यथानिर्दिष्ट कोई व्यक्ति, खंड (23डग) या खंड (23डघ) में निर्दिष्ट विनिधानकर्ता संरक्षण निधि, खंड (23डड) में निर्दिष्ट क्रोड समझौता प्रत्याभूति निधि और खंड (23क) में निर्दिष्ट किसी बोर्ड या प्राधिकारी से आय की विवरणी दाखिल करना बाध्यकारी रूप से अपेक्षित होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 तथा पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 55]

विवरणी को विलंब से फाइल करने के लिए फीस

कर अनुपालन में सुधार के लिए गैर-अंतर्भेदी सूचना चालित सोच को दृष्टिगत रखते हुए तथा कर प्रशासन में सूचना के प्रभावी प्रयोग के लिए यह आवश्यक है कि विवरणी धारा 139(1) में विनिर्दिष्ट शोध्य तारीखों के भीतर फाइल की जाएं। और निर्धारण करने के लिए प्रस्तावित कम की गई समय सीमाएं भी इस पूर्वापेक्षा पर आधारित हैं कि विवरणियां समय पर फाइल की जाएं।

इसलिए, अधिनियम में एक नई धारा 234च अंतः स्थापित करने का प्रस्ताव है जिससे उपबंध किया जा सके कि विवरणी दाखिल करने में विलंब के लिए फीस निर्धारण वर्ष 2018-19 और उससे आगे उस मामले में उद्ग्रहीत की जाएगी जहां धारा 139 की उपधारा (1) के अधीन विवरणी फाइल करने के लिए विनिर्दिष्ट शोध्य तारीखों के भीतर विवरणी फाइल नहीं की जाती। प्रस्तावित फीस संरचना निम्नानुसार है:

- (i) पांच हजार रुपये की फीस यदि विवरणी शोध्य तारीख के पश्चात् किन्तु निर्धारण वर्ष की 31 दिसंबर को या उसके पूर्व दाखिल की जाती है
- (ii) किसी अन्य मामले में दस हजार रुपये फीस।

तथापि, उस मामलों में जहां कुल आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं है, यह प्रस्तावित है कि फीस की रकम एक हजार रूपए से अधिक नहीं होगी।

चूंकि प्रस्तावित फीस निर्धारण वर्ष 2018-19 और उसके पश्चात् धारा 234 च के अधीन भारत की जाएगी धारा 140 क में परिणामिक संशोधन करने का भी प्रस्ताव है जिससे आय की विवरणी दाखिल करने में विलंब की दशा में संदेय कर और ब्याज के साथ आप की विवरणी दाखिल करने में विलंब क लिए फीस भी संदेय होगी, धारा 143 की उपधारा (1) में पारिणामिक संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि यथास्थिति, संदेय रकम या शोध्य प्रतिदाय की संगणना में उक्त उपधारा के अधीन विवरणी को प्रक्रियागत करने के कारण, धारा 234च के अधीन संदेय फीस भी विचार में ली जाएगी।

पारिणामिक तौर पर यह भी प्रस्ताव है कि आय की शास्ति दाखिल करने में असफलता के लिए शास्ति की बाबत धारा 271च के उपबंध निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू नहीं होंगे।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चातवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 56, 57, 75 और 85]

कानूनी रिपोर्ट या प्रमाणपत्र में गलत सूचना दाखिल करने के लिए वृत्तिकों पर शास्ति

हाल के समय में सरकार का जोर स्वैच्छिक अनुपालन पर है। अर्द्ध वृत्तिक द्वारा विभिन्न रिपोर्टों का प्रमाणीकरण और प्रमाणपत्र का उपबंध अधिनियम में यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि अधिनियम के उपबंधों के अधीन किसी निर्धारिती द्वारा दाखिल सूचना सही हो। अधिनियम के अधीन कई उपबंध विद्यमान हैं जो गलत सूचना दाखिल करने पर व्यतिक्रमी निर्धारिती को दण्डित करते हैं।

तथापि, किसी व्यक्ति द्वारा गलत जानकारी देने के लिए, जो उसके प्रमाणीकरण के लिए उत्तरदायी है, शास्ति के उद्ग्रहण के लिए कोई दण्डिक उपबंध विद्यमान नहीं है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिपोर्ट या प्रमाणपत्र देने वाला व्यक्ति ऐसा प्रमाणपत्र देने से पूर्व सम्यक् सावधानी बरतता है, यह उपबंध प्रस्तावित है कि यदि अधिनियम उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन के कोई अकाउंटेंट या मर्चेंट बैंकर या रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन रिपोर्ट या प्रमाणपत्र में गलत सूचना देता है तो निर्धारण अधिकारी या आयुक्त (अपील) उसे शास्ति के रूप में ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट या प्रमाणपत्र के लिए दस हजार रुपये की धनराशि का संदाय करने का निदेश दे सकेगा। "अकाउंटेंट", "मर्चेंट बैंकर" और "रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक" पदों को परिभाषित करने का भी प्रस्ताव है। धारा 273ख के संशोधन के माध्यम से यह उपबंध करने का भी प्रस्ताव है कि यदि वह व्यक्ति साबित करता है कि उक्त धारा में निर्दिष्ट असफलता के लिए युक्तियुक्त कारण था, तो प्रस्तावित धारा 271ज की बाबत शास्ति अधिरोपणीय नहीं होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी होगा।

[खंड 86, 87]

झ. सुव्यवस्थीकरण उपाय

भारतीय लेखा मानक (इंडि-एस) के साथ धारा 115जख के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

केंद्रीय सरकार ने भारतीय लेखा मानक (इंडि-एस) को अधिसूचित किया है जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्ट मानक (आईएफआरएस) को साथ अभिसारित करती है तथा कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 को विहित करती है जो इन इंडि-एस के क्रियान्वयन के लिए रोड मैप अधिकथित करती है।

वैश्विक रूप से विभिन्न पहुंच को अंगीकृत आईआफआरएस से उत्पन्न होने वाले कर संबंधी मुद्दों के साथ अंगीकृत किया गया है। तथ्य के संगत कंपनी के संपूर्ण क्षौतिजता को सुनिश्चित करने के लिए कि वे इंडि-एस अथवा विद्यमान भारतीय जीएपी का पालन करती है, केंद्रीय सरकार ने आय के विशिष्ट शीर्ष हेतु कर योग्य आय की गणना के लिए आय संगणना और प्रकटीकरण मानकों को जारी किया है।

जैसे कि इंडि-एस आधारित बही लाभ वित्तीय विवरण विद्यमान भारतीय जीएपी पर आधारित बही लाभ से भिन्न प्रतीत होती है, केंद्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने अंगीकरण के वर्ष और उसके पश्चात् के लिए कंपनियों के पालन करने वाले इंडि-एस हेतु धारा 115जख के अधीन दायी न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) की संगणना हेतु ढांचा कार्य का सुझाव प्रदान करने के लिए जून, 2015 में एक समिति का गठन किया गया है।

समिति ने 18 मार्च, 2016 को पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे व्यापक जन-साधारण के परामर्श के लिए सीबीडीटी द्वारा पब्लिक डोमेन के समक्ष रखा गया था। समिति ने 5 आगस्त, 2016 को दूसरी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे पब्लिक डोमेन के समक्ष रखा गया था। पहली और दूसरी अंतरिम रिपोर्ट के संबंध में प्राप्त टीका टिप्पणियों/सुझावों की समिति द्वारा समीक्षा की गई थी। प्राप्त सभी सुझावों/टीका टिप्पणियों को देखने के पश्चात्, समिति ने 22 दिसंबर, 2016 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।

उपरोक्त की दृष्टि में, यह धारा 115जख का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जो उपबंध करती है कि अंगीकरण के वर्ष और उसके पश्चात् के लिए

कंपनियों के पालन करने वाले इंडि-एएस हेतु बही लाभ की संगणना हेतु ढांचा कार्य का उपबंध करती है। इस प्रस्तावित ढांचा कार्य के मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं —

क. वित्तीय विवरण का पालन करने वाले इंडि-एएस पर एमएटी —

(i) अधिनियम की धारा 115अख के अधीन विशिष्टतया पहले ही होने के सिवाय कंपनियों के पालन करने वाले इंडि-एएस की अन्य व्यापक आय से पूर्व शुद्ध अभिलाभ के लिए कोई अतिरिक्त समायोजन नहीं किया जाएगा।

(ii) अन्य व्यापक आय जिसके अंतर्गत कतिपय मद भी हैं जिसे आरक्षित रूप से अभिलेख कर के स्थायी किया जाएगा और अतः बही अभिलाभ की संगणना में लाभ और हानि के विवरण को पुनः वर्गीकरण या सम्मिलित कभी नहीं किया जाएगा। ये मद नीचे यथा विनिर्दिष्ट समय बिंदु पर एमएटी के उद्देश्य हेतु बही लाभ में सम्मिलित किया जाएगा —

क्रम सं.	मद	समय बिंदु
1	संयंत्र, संपत्ति या उपस्कर और अमूर्त आस्तियों के अधिशेष के पुनर्मूल्यांकन में परिवर्तन (इंडि-एएस 16 और इंडि एएस 38)	पुनर्मूल्यांकन/समापन/सेवानिवृत्ति अन्यथा स्थानांतरण के समय बही लाभ को सम्मिलित करने के लिए
2	अन्य व्यापक आय के माध्यम से स्वच्छ मूल्य पर अभिहीत की गई साम्या लिखत में निवेश से अभिलाभ और हानियां (इंडि एएस 109)	पुनर्मूल्यांकन/समापन/सेवानिवृत्ति अन्यथा स्थानांतरण के समय बही लाभ को सम्मिलित करने के लिए
3	परिभाषित की गई लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (इंडि एस 19)	उत्पन्न हुए लाभ और हानियों के पुनर्मापन के रूप में प्रत्येक वर्ष बही लाभ को सम्मिलित करने के लिए
4	कोई अन्य मद	उत्पन्न हुए लाभ और हानियों के पुनर्मापन के रूप में प्रत्येक वर्ष बही लाभ को सम्मिलित करने के लिए

(iii) इंडि एएस 10 की परिशिष्ट क उपबंध करती है कि शेयर धारकों के लिए नकद रहित आस्तियों के किसी वितरण को स्वच्छ मूल्य के लिए गणना की जाएगी। आस्तियों और स्वच्छ मूल्य की मूल्यांकन करने के बीच में भिन्नता को लाभ और हानि लेखा में अभिलिखित की जाएगी। तत्स्थानी रूप से आरक्षितियों को पणधारकों के लिए 'माने गए लाभांश' के रूप में वितरण को अभिलेख करने के लिए स्वच्छ मूल्य पर उधार किया जाता है। जैसा कि रखी गई अर्जन में तत्स्थानी समायोजन किया गया है, आमेलन न करने पर उत्पन्न होने वाली यह भिन्नता बही लाभ से बाहर हो जाएगी। तथापि, किसी ऐसी पारिणामिक कंपनी के मामले में जहां उसके द्वारा प्राप्त किए जा रहे आश्वासन अथवा आश्वासन के दायित्व और संपत्ति को समामेलित न करने के पूर्व तत्काल रूप से समामेलन न की गई कंपनी के लेखाओं में प्रतीत होने वाले मूल्यों से भिन्न मूल्य पर अभिलिखित की जाती है, ऐसे मूल्य में कोई परिवर्तन पारिणामिक कंपनी के बही लाभ की गणना के उद्देश्य हेतु उपेक्षा नहीं की जाएगी।

ख. प्रथम समय अंगीकरण पर एमएटी —

(i) विद्यमान भारतीय जीएपी से इंडि एएस के लिए परिवर्तन की गणना से उत्पन्न होने वाले समायोजन को इंडि एएस के परिवर्तन की तारीख पर अन्य साम्या में प्रत्यक्ष रूप से अभिलिखित किए जाने की अपेक्षा की जाती है। इन मदों में से कई को पश्चातवर्ती रूप से बही लाभ की गणना में लाभ और हानि के विवरण के लिए पुनः वर्गीकरण कभी नहीं किया जाएगा। तदनुसार, निम्नलिखित उपचार प्रस्तावित किया गया है;

(I) अन्य व्यापक आय में अभिलिखित किए गए उन समायोजनों और जिन्हें पश्चातवर्ती रूप से लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकरण किया जाएगा, उस वर्ष में बही लाभ में सम्मिलित किया जाएगा जिसे लाभ और हानि के लिए पुनः वर्गीकरण किया जाता है।

(II) अन्य व्यापक आय में अभिलिखित किए गए उन समायोजनों और जिन्हें पश्चातवर्ती रूप से लाभ और हानि के लिए पुनः कभी नहीं वर्गीकरण किया जाएगा, निम्नलिखित रूप में बही लाभ में सम्मिलित किया जाएगा —

क्रम सं.	मद	समय बिंदु
1	संयंत्र, संपत्ति या उपस्कर और अमूर्त आस्तियों के अधिशेष के पुनर्मूल्यांकन में परिवर्तन (इंडि-एएस 16 और इंडि एएस 38)	पुनर्मूल्यांकन/समापन/सेवानिवृत्ति अन्यथा स्थानांतरण के समय बही लाभ को सम्मिलित करने के लिए
2	अन्य व्यापक आय के माध्यम से स्वच्छ मूल्य पर अभिहीत की गई साम्या लिखत में निवेश से अभिलाभ और हानियां (इंडि एएस 109)	पुनर्मूल्यांकन/समापन/सेवानिवृत्ति अन्यथा स्थानांतरण के समय बही लाभ को सम्मिलित करने के लिए
3	परिभाषित की गई लाभ योजनाओं का पुनर्मापन (इंडि एस 19)	इंडि-एएस के अंगीकरण के प्रथम समय के वर्ष से आरंभ होने वाले पांच वर्ष की अवधि के ऊपर समान रूप से बही लाभ में सम्मिलित करने के लिए
4	कोई अन्य मद	इंडि-एएस के अंगीकरण के प्रथम समय के वर्ष से आरंभ होने वाले पांच वर्ष की अवधि के ऊपर समान रूप से बही लाभ में सम्मिलित करने के लिए

(III) कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 3 के प्रभाग 2 में यथा निर्दिष्ट आरक्षिती और अधिशेष (पूंजी आरक्षिती और प्रतिभूति प्रीमियम आरक्षिती को छोड़कर) में अभिलेख किए गए अन्य सभी समायोजन और जिन्हें लाभ और हानि लेखा के लिए पश्चातवर्ती रूप से पुनर्वर्गीकरण कभी नहीं किया जाएगा। निम्नलिखित के अधीन रहते हुए इंडि एएस के अंगीकरण के प्रथम समय के वर्ष से आरंभ हो कर पांच वर्ष की अवधि के ऊपर समान रूप से बही लाभ में सम्मिलित किया जाएगा —

(क) मानी गई लागत के रूप में स्वच्छ मूल्य पर पीपीई और अमूर्त आस्तियां

किसी अस्तित्व में इंडि एएस 101 के पैरा डी 5 और डी 7 में यथा निर्दिष्ट पीपीई और अमूर्त आस्तियों के किसी मद हेतु मानी गई लागत के रूप में इंडि एएस तुलनपत्र को खोलने के समय इसकी अपनी स्वच्छ मूल्य का प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे मामलों में निम्नानुसार प्रतिपादन किया जाएगा —

- * अधिनियम की धारा 115अख के अधीन बही लाभ की गणना हेतु विद्यमान उपबंध यह उपबंध करते हैं कि आस्तियों के सुव्यवस्थीकरण के मामले में ऐसे सुव्यवस्थीकरण को लागू करना बही लाभ की गणना के उद्देश्य हेतु उपेक्षित समझा जाएगा। तथापि, पीपीई और अमूर्त आस्तियों के मद के संबंध के साथ प्रथम समय अंगीकरण पर अर्जन को बनाए रखने में समायोजन को बही लाभ की गणना के उद्देश्य हेतु उपेक्षा की जाएगी।
- * अवमूल्यन की गणना करते समय पूर्वोक्त समायोजन से अर्जित राशि की उपेक्षा की जाएगी।
- * इसी प्रकार ऐसी आस्तियों के सुव्यवस्थीकरण/निपटान/सेवानिवृत्ति पर होने वाले लाभ/हानि की गणना करते समय पूर्वोक्त समायोजित अर्जन की उपेक्षा की जाएगी।

(ख) मानी गई लागत के रूप में आनुषंगिकों, संयुक्त जोखिमों तथा साझेदारों में निवेश

किसी अस्तित्व में इंडि एएस 115 के पैरा डी15 में यथा निर्दिष्ट उसके पृथक् वित्तीय विवरण में आनुषंगिकों, संयुक्त जोखिमों तथा साझेदारों में निवेश हेतु मानी गई लागत के रूप में इंडि एएस तुलनपत्र के खोले जाने में या आरंभ करने में स्वच्छ मूल्य का प्रयोग किया जा सकता है। समायोजन से अर्जन के मामले में ऐसे निवेश के सुव्यवस्थीकरण के समय बही लाभ में सम्मिलित किया जाएगा।

(ग) संचित उद्ग्रहण भिन्नताएं

- * किसी अस्तित्व को विकल्प के रूप में चुना जा सकता है जिसमें सभी विदेशी प्रचालनों हेतु संचित उद्ग्रहण भिन्नताओं को इंडि एएस के परिवर्तन की तारीख को शून्य माना जाता है। इसके अतिरिक्त किसी विदेशी प्रचालन के पश्चातवर्ती निपटान पर होने वाले लाभ या हानि को इंडि एएस के परिवर्तन की तारीख से पूर्व पार करने के लिए उद्ग्रहण भिन्नताओं से छूट प्रदान की जाएगी और परिवर्तन की तारीख के पश्चात् केवल उद्ग्रहण भिन्नताओं को सम्मिलित किया जाएगा।
- * ऐसे मामलों में, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उस परिवर्तन की तारीख को ऐसे संचित उद्ग्रहण भिन्नताओं को जिसे अर्जित करने के लिए स्थानांतरित की गई है, गणना में ली जाती है, इसमें इंडि एएस 21 के पैरा 48 में यथा विनिर्दिष्ट विदेशी प्रचालन के निपटान के समय बही लाभ में सम्मिलित किया जाएगा।

(ii) परिवर्तन के समय अर्जित करने के लिए सभी अन्य समायोजन (जिसके अंतर्गत उदाहरण के लिए दायित्व का गैर-प्रवर्तन, आस्ति, सेवानिवृत्त आक्षेप, विदेशी विनिमय पूंजीकरण/गैर-पूंजीकरण, उधारी लागत समायोजन आदि हैं) को इंडि एएस के अंगीकरण के प्रथम समय के वर्ष से आरंभ होने वाले पांच वर्ष की अवधि को पूरा करने के लिए समान रूप से बही लाभ में सम्मिलित किया जाएगा।

(iii) अधिनियम की धारा 115अख अंतर्गत कर और इसके उपबंधों की गणना के समायोजन हेतु पहले ही उपबंध करती है। इंडि एएस के लिए प्रवर्तन की गणना पर आरक्षित और अधिशेष में अभिलिखित किसी अंतर्गत कर के समायोजन की भी उपेक्षा की जाएगी।

(ग) प्रथम समय अंगीकरण के समायोजन हेतु निर्देश वर्ष इंडि एएस के अंगीकरण के प्रथम वर्ष में कंपनी तत्काल कार्यवाही वर्ष हेतु तुलनात्मक वित्तीय विवरण के साथ रिपोर्ट किए गए वर्ष हेतु इंडि एएस वित्तीय विवरण तैयार करेगी। इंडि एएस 101 के अनुसार एक कंपनी तुलनात्मक वित्तीय वर्ष की तारीख के आरंभ पर सभी इंडि एएस समायोजन करेगी। अस्तित्व कार्यवाही वर्ष की तारीख की समाप्ति के साथ कार्यवाही वर्ष की तारीख के आरंभ पर पूर्ववर्ती भारतीय जीएएपी और इंडि एएस रकम के मध्य ये साम्या समाधान को प्रस्तुत करने की अपेक्षा भी करती है। यह प्रस्ताव करती है कि प्रस्तावित समायोजन और अंगीकरण की तारीख की बही लाभ की गणना के उद्देश्य हेतु, अंगीकरण के प्रथम वर्ष की तारीख को आरंभ किए जाने के रूप में समायोजित की गई रकम पर विचार किया जाएगा। उदाहरण के लिए ऐसी कंपनियां जिन्होंने 1 अप्रैल, 2016 के प्रभाव से इंडि एएस को अंगीकृत किया है, से इंडि एएस की अपेक्षाओं के अनुसार वर्ष 2016-17 हेतु उनके वित्तीय विवरण को तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसी कंपनियों से 1 अप्रैल, 2015 और 2015-16 की तुलनात्मक अवधि हेतु वित्तीय विवरण के पुनर्कथन को तुलनपत्र आरंभ करके तैयारी करने की भी अपेक्षा की जाती है। ऐसे मामले में 31 मार्च, 2016 को प्रथम समय अंगीकृत समायोजन को पूर्ववर्ती वर्ष 2016-17 (निर्धारण वर्ष 2017-18 और उसके पश्चात् हेतु दायित्व एमएटी की गणना के लिए विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ऐसे मामले में उपरोक्त प्रस्ताव किए गए पांच वर्ष की अवधि को 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 पूर्ववर्ती माना जाएगा। इंडि एएस के अनुसार आज्ञापक रूप से वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए कतिपय कंपनियों द्वारा अंगीकार किए जाने की अपेक्षा की जाती है।

ये संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 तथा पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 47]

धारा 112 के लागू होने के संबंध में स्पष्टीकरण

वित्त अधिनियम, 2012 ने 1 अप्रैल, 2013 से धारा 112 (1) (ग) का संशोधन अनिवासी के मामले में असूचीबद्ध प्रतिभूतियों के अंतरण से उद्भूत दीर्घकालिक पूंजी आस्तियों के लिए दस प्रतिशत कराधान की रियायती दर का उपबंध करने के लिए की थी। एक अनिश्चतता थी कि क्या धारा 112 (ग) (iii) के उपबंध प्राइवेट कंपनी के शेयर अंतरण को लागू है। वित्त अधिनियम, 2016 ने धारा 112 (1) (ग) का संशोधन यह स्पष्ट करे के लिए किया कि उस कंपनी के शेयर जिसमें पब्लिक सारवान रूप से हितबद्ध नहीं है 1 अप्रैल, 2017 से दस प्रतिशत की दर पर कर से प्रभावी होंगे। चूंकि रियायती दर का उपबंध 1 अप्रैल, 2013 से किया गया था, इस संशोधन के लागू होने के बारे में मध्यक्षेप अवधि में अनिश्चतता थी।

वित्त अधिनियम, 2016 के संशोधन को स्पष्ट करने के लिए कि यह 1 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 112 (1) (ग) (iii) के संशोधन की तारीख वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा 01-04-2017 के बजाय 01-04-2013 होगी।

यह संशोधन भूतलक्षी रूप से 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 150]

धारा 87क के अधीन अनुज्ञेय आयकर में छूट की सीमा का सुव्यवस्थीकरण

धारा 87क के विद्यमान उपबंधों के अधीन ऐसे आवासी व्यष्टि के लिए देय आयकर से 5000/- रुपए की छूट के लिए उपबंध करती है यदि यह आय 5,00,000/- रुपए से अधिक नहीं है। 2,50,000/- रुपए से 5,00,000/- रुपए की आय स्लैब में व्यष्टियों के लिए कर दर के प्रस्तावित सुव्यवस्थीकरण की दृष्टि में धारा 87क का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जिससे उपबंध किया जा सके कि आवासी व्यष्टि की दशा में जिसने 2500/- रुपए से 5000/- रुपए की विद्यमानता से इस धारा के अधीन उपलब्ध छूट की अधिकतम रकम को कम किया जा सकता है। यह भी प्रस्ताव किए जाने का उपबंध करता है यह छूट केवल उन आवासी व्यष्टियों को उपलब्ध होगी जिनकी कुल आय 3,50,000/- रुपए से अधिक नहीं है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 38]

धारा 10कक के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 10कक के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कतिपय शर्तों को पूर्ण करने के अध्याधीन, एसईजेड में प्रचालित इकाई से लाभों और अभिलाभों की बाबत, निर्धारिती की कुल आय से कटौती अनुज्ञात है।

धारा 10कक निर्धारिती की कुल आय की संगणना में कटौती अनुज्ञात करती है, अंतः धारा 10कक के उपबंधों को प्रभावी करने से पूर्व अधिनियम के उपबंध के अनुसरण में यथा संगणित निर्धारिती की कुल आय के लिए कटौती अनुज्ञात की जानी है। तथापि, (धारा 10कक से संबंधित अंतर्विष्ट है) न्यायालयों का यह दृष्टिकोण रहा है कि कटौती उपक्रम की कुल आय में से अनुज्ञात की जाती है ना कि निर्धारिती की कुल आय से किसी संदेह के निपटान की दृष्टि के साथ इस धारा के अधीन अनुज्ञात की गई कटौती के क्वांटम का संबंध है, आयकर अधिनियम की धारा 10कक में नए स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे उपबंध किया जा सके आयकर अधिनियम के उपबंधों के साथ अनुसरण में गणना की गई निर्धारणकर्ता की कुल आय से अनुज्ञात की जाएगी और धारा 10कक के अधीन कटौती निर्धारणकर्ता की कुल आय से अधिक नहीं होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 7]

पारस्परिक निधि की स्कीम के भीतर योजनाओं का समेकन

वित्त अधिनियम 2016 ने अधिनियम की धारा 47 का संशोधन किया जिससे कि पारस्परिक निधि की उस धारा की समेकित योजना में इकाईयों के आवंटन के प्रतिफल के प्रतिफल में बनाई गई पारस्परिक निधि स्कीम की समेकित योजना में इकाईयों के अंतरण की कर निरपेक्षता का उपबंध किया जा सके।

धारा 2(42क) और धारा 49 का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि धारा 47(xix) में निर्दिष्ट पारस्परिक निधि की समेकित योजना में इकाईयों के अर्जन की लागत पारस्परिक निधि स्कीम की समेकित योजना में इकाईयों की लागत होगी और पारस्परिक निधि स्कीम की समेकित योजना की इकाईयों की धृति की अवधि में वह अवधि सम्मिलित होगी जिसके लिए पारस्परिक निधि स्कीम की समेकित योजना में इकाईयां निर्धारिती द्वारा धारित की गई थीं।

ये संशोधन तदनुसार 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2017-18 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 3 और 25]

धारा 195 की उपधारा (6) के अधीन आने वाले संदायों के मामले में "संदाय के लिए पायी व्यक्ति" की परिभाषा

अधिनियम की धारा 204क विद्यमान उपबंध में, नियोक्ता, कंपनी या उसका प्रधान कार्यालय अथवा भुगतानकर्ता को सम्मिलित करते हुए "भुगतान के लिए दायी व्यक्ति" के अर्थ को परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 204 का खंड (iii) अन्य बातों के साथ उपबंध करता है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य किसी राशि के संदाय या उधार के मामले में, "भुगतान करने वाला दायी व्यक्ति" स्वयं दायी होगा अथवा भुगतान करने वाली कंपनी स्वयं है जिसके अन्तर्गत उसका प्रधान अधिकारी भी है तथापि उक्त धारा, धारा 195 की उपधारा (6) के अनुसार किसी राशि के संदाय के संबंध में नहीं आती है। जो किसी राशि के संदाय जबकि वह कर के लिए प्रभार्य हो अथवा नहीं के संबंध में जानकारी तैयार करने के लिए "भुगतान करने वाला व्यक्ति" आजापक होती है।

इस प्रकार अधिनियम की धारा 195(6) के अनुसरण में किसी अनिवासी से निवास के संदाय के मामले में "भुगतान करने वाला दायी व्यक्ति" के अर्थ को स्पष्ट करने के क्रम में, अधिनियम की उक्त धारा 204 का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जो उपबंध करती है कि किसी अनिवासी को संदाय संबंधी जानकारी तैयार करने के मामले में, जो किसी राशि जो इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभार्य नहीं है किसी कंपनी अथवा किसी विदेशी कंपनी न होते हुए अथवा यदि वह भुगतान करने वाली कंपनी है, कंपनी स्वयं हो जिसके अंतर्गत उसका प्रधान अधिकारी सम्मिलित है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

[खंड 70]

धारा 90 और धारा 90क के अधीन किए गए करार में प्रयोग 'निबंधन' के निर्वचन के संबंध में स्पष्टीकरण

अधिनियम की धारा 90 के विद्यमान उपबंधों के अधीन वह आय जिसपर आयकर और उस विदेशी राज्य में आयकर अधिनियम, आय के दोहरे कराधान से बचाव, आयकर अथवा आयकर की वसूली से बचाव या अपवंचन के निवारण हेतु सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए, उक्त अधिनियम के अधीन संदाय कर दिया गया हो के संबंध में अनुतोष प्रदान करने हेतु भारत के बाहर किसी देश की सरकार के साथ करार करने के लिए केन्द्रीय सरकार पर शक्ति सुनिश्चित की जाती है। भारत के बाहर विनिर्दिष्ट राज्य क्षेत्र द्वारा किसी विनिर्दिष्ट संगम के साथ भारत में किसी विनिर्दिष्ट संगम किसी करार के मामले में अधिनियम की धारा 90क में समान उपबंध किए गए हो। अधिनियम की धारा 90 और 90क में और उपबंध किया गया है कि किसी "पदावधि" का प्रयोग किन्तु इस अधिनियम में या संबंधित उपबंधों की उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में परिभाषित नहीं किया गया है, इस आधार पर शासकीय राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा

जारी अधिसूचना में करने के लिए अर्थ निर्धारित किया जाएगा, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, परन्तु उसका अर्थ इस अधिनियम अथवा करार के उपबंधों के साथ असंगत नहीं होता है।

आय-कर सरलीकरण समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में अनिवासियों के कराधान से संबंधित परिहार्य मुकदमों को कम करने के क्रम में उनके आवेदन के उद्देश्यों के लिए डीटीए में प्रयोग "पदावधि" के निर्वचन के संबंध में अधिनियम में अधिक स्पष्टता लाने का सुझाव दिया है।

उपरोक्त बहस और मुकदमों को कम करके स्पष्टता को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 90 और धारा 90क का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जो उपबंध करती है कि जहां अधिनियम की धारा 90 और 90क की उपधारा (1) के अधीन करार करने में प्रयोग "पदावधि" को उक्त करार के अधीन परिभाषित की गई हो, उक्त पदावधि उक्त करार में यथा उपबंधित अर्थ के अंतर्गत समझी जाएगी और जहां पदावधि करार में परिभाषित नहीं की गई है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, यह अधिनियम में यथा परिभाषित अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी तकनीकी स्पष्टीकरण के अर्थ में समनुदेशित की जाएगी।

ये संशोधन 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चात्तवर्ती वर्ष के संबंध में लागू होंगी।

[खंड 39 और 40]

धारा 35कघ की उपधारा (7ख) के निबंधन में कटौती को वापिस लेने की दशा में आस्ति की वास्तविक लागत

अधिनियम की धारा 35कघ के विद्यमान उपबंध अन्य बातों के साथ किसी भूमि या सुनाम या वित्तीय लिखत के अर्जन के लिए उदभूत पूंजी व्यय के अलावा विनिर्दिष्ट कारबार के लिए पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान, कारबार के प्रयोजन के लिए पूर्ण रूप से या अन्य रूप से, उदभूत पूंजी व्यय पर विनिधान से सहबद्ध कटौती के लिए उपबंध करते हैं। धारा 35कघ की उपधारा (7ख) और यह उपबंध करती है कि जहां कोई ऐसी आस्ति जिसपर धारा 35कघ के फायदे का दावा और अनुज्ञात किया गया है, का विनिर्दिष्ट कारबार से अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया है, तो धारा 35कघ के अधीन पहले से प्रदान की गई कटौती का फायदा वापिस ले लिया जाएगा। तथापि, यह और उपबंध करती है कि फायदे या वापिस किया जाना सामान्य अवक्षयण के बराबर होगा जिसका वह हकदार ऐसे रहा होगा।

धारा 43 की उपधारा (1) कतिपय प्रस्थितियों में अधिनियम की धारा 32 के अधीन अवक्षयण का दावा करने के प्रयोजन के लिए "वास्तविक लागत" को परिभाषित करती है। तथापि, ऐसी आस्ति के अवक्षयण के भत्ते के प्रयोजनों के लिए वास्तविक लागत के अवधारण पर कोई स्पष्टता नहीं है जिसकी बाबत ऐसी कटौती जिसे अधिनियम की धारा 35कघ के अधीन किसी पूर्ववर्ती वर्ष में पहले से अनुज्ञात है, को उक्त धारा की उपधारा (7ख) के निबंधन में वापिस ले लिया गया है।

आयकर सरलीकरण समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए और स्पष्टता लाने के लिए यह उपबंध करने के लिए अधिनियम की धारा 43 के उपबंधों का संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है कि जहां कोई पूंजी आहित जिसकी बाबत कटौती को धारा 35कघ के अधीन अनुज्ञात किया गया था को उक्त धारा की उपधारा (7ख) के उपबंधों के अनुसरण में किसी पूर्ववर्ती वर्ष में वापिस लिया गया है वहां निर्धारिती की वास्तविक लागत ऐसी दर से जो इसके अर्जन की तारीख से कारबार के प्रयोजन के लिए उपयुक्त किये आस्ति के समय अनुज्ञेय रही है की प्रवृत्त दर से संगणित अवक्षयण की रकम के बराबर किसी घटी रकम निर्धारिती की वास्तविक लागत होगी।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चात्तवर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 16]

धारा 11 और धारा 12 के अधीन छूट प्राप्त अस्तित्वों की दशा में उद्देश्यों में परिवर्तन या उपांतरण करने और आय की विवरणी फाइल करने की बाबत प्रक्रिया को स्पष्ट करना

अधिनियम की धारा 12क के विद्यमान उपबंध किसी न्यास या संस्था की आय के बाबत छूट के फायदों से संबंधित धारा 11 और धारा 12 के लागू होने के लिए शर्तों का उपबंध करती है।

इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 12कक के उपबंध किसी न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करते हैं, जो उन्हें धारा 11 और धारा 12 के फायदों के लिए हकदार बनाता है। यह ऐसी परिस्थितियों का भी उपबंध करती है, जिसके अधीन रजिस्ट्रीकरण को रद्द किया जा सकता है, ऐसी एक परिस्थिति यह है कि प्रधान आयुक्त या आयुक्त, उसका यह समाधान हो जाने पर कि उसके क्रियाकलाप वास्तविक नहीं हैं और उन्हें रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने के पश्चात् उसके उद्देश्यों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा है। तथापि, वर्तमान में अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है जो उक्त न्यास या संस्था के लिए, रजिस्ट्रीकरण मंजूर किए जाने के पश्चात् उद्देश्यों के अंगीकृत या उनमें उपांतरण करने की दशा में नये रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना आज्ञापक बनाता हो।

अतः, धारा 12क का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी न्यास या संस्था को धारा 12कक के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है या जिसने धारा 12क (जैसी कि वह वित्त अधिनियम (संख्या 2) अधिनियम, 1996 द्वारा उसके संशोधन से पूर्व विद्यमान थी) के अधीन किसी भी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और तत्पश्चात् उसने उद्देश्यों को अंगीकृत किया है या ऐसे उद्देश्यों में, जो रजिस्ट्रीकरण की शर्तों के अनुरूप नहीं हैं, उपांतरण किये हैं, वहां उससे यह अपेक्षित होगा कि वह उद्देश्यों के ऐसे अंगीकरण या उपांतरण की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर विहित प्ररूप और रीति में आवेदन करके नया रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करें।

इसके अतिरिक्त, उक्त धारा के विद्यमान उपबंधों के अनुसार, अधिनियम की धारा 12 कक के अधीन रजिस्ट्रीकृत अस्तित्वों से यह अपेक्षित है कि वे धारा 139 की उपधारा (4क) के अधीन आय की विवरणी फाइल करें, यदि उनकी कुल आय, धारा 11 और धारा 12 के उपबंधों को प्रभावी किए बिना उस अधिकतम रकम से अधिक हो जाती है, जो आय-कर से प्रभावी नहीं है। तथापि, इस बारे में कोई स्पष्टता नहीं है कि क्या आय की उक्त विवरणी धारा 139 के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर या अन्यथा फाइल की जानी है।

इस संबंध में स्पष्टता लाने के लिए, अधिनियम की धारा 12क का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिस से ऐसी और शर्त का उपबंध किया जा सके कि कर से प्रभार्य आय को प्राप्त करने वाला व्यक्ति अधिनियम की धारा 139 के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर आय की विवरणी प्रस्तुत करेगा।

ये संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति के हैं।

ये संशोधन 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चात्तर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 9 और 10]

धारा 115 न घ के अधीन बढ़ी हुई आय पर कर के उद्ग्रहण की दशा में अस्तित्वों के पूंजी आस्ति के अर्जन की लागत

अधिनियम की धारा 49 के विद्यमान उपबंध पूंजी आस्ति के अर्जन की कतिपय पद्धतियों के निर्देश से लागत की संगणना के लिए उपबंध करते हैं।

उक्त धारा का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां कोई पूंजी अभिलाभ किसी ऐसी आस्ति के, जो ऐसी आस्ति है, जो किसी न्यास या संस्था द्वारा धारित है और जिसके संबंध में बढ़ी हुई आय की संगणना की गई है और उस पर अध्याय 12 डख के उपबंधों के अनुसार कर का संदाय किया गया है, वहां ऐसी आस्ति की अर्जन की लागत को, उस आस्ति का ऐसा उचित बाजार मूल्य समझा जाएगा, जिसे धारा 115 न घ की उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनिर्दिष्ट तारीख को यथा विद्यमान बढ़ी हुई आय की संगणना के लिए हिसाब में लिया गया है।

प्रस्तावित संशोधन पारिणामिक प्रकृति के हैं।

ये संशोधन 1 जून, 2016 से प्रभावी होंगे और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चात्तर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 25]

टीसीएस व्यवस्था में पेन कोट करने के तंत्र को मजबूत करना

स्थायी खाता संख्या (पेन) को कोड ना करने की दशा में उच्चतर दर (20% की दर से या लागू दर से, जो भी अधिक हो) स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) के लिए कानूनी उपबंध अधिनियम की धारा 206 कक के अधीन उपबंधित हैं और यह धारा अप्रैल 2010 से विद्यमान है। पेन विभागीय डाटा बेस में जानकारी को जोड़ने हेतु एक सामान्य धागे के रूप में कार्य करता है। यह भी उल्लेखनीय है कि पेन के आबंटन की प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बनाया गया है। पेन के लिए आवेदन ऑन लाइन रूप से भी किया जा सकता है और एक सप्ताह के भीतर पेन का आबंटन कर दिया जाता है।

पेन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए, अधिनियम में नई धारा 206 गग अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव है, जिस में निम्नलिखित उपबंध हैं —

(I) ऐसी राशि या रकम का, जिस पर अध्याय 17खख के अधीन स्रोत पर कर संग्रहणीय है, संदाय करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा कर संग्रहण करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् संग्रहकर्ता कहा गया है) अपना स्थायी खाता संख्यांक देगा जिसमें असफल रहने पर अध्याय 17खख में उल्लिखित के सुसंगत उपबंध में विनिर्दिष्ट दर का दो गुना या पांच प्रतिशत की दर से कर संग्रहीत किया जाएगा।

(II) धारा 206ग की उपधारा (1क) के अधीन कोई भी घोषणा तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक ऐसी घोषणा में व्यक्ति अपना स्थायी खाता संख्यांक नहीं देता है।

(III) उस दशा में, जब उपधारा (2) के अधीन कोई घोषणा अविधिमान्य हो जाती है, संग्रहकर्ता, उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर कर का संग्रह करेगा।

(IV) धारा 206ग की उपधारा (9) के अधीन कोई भी प्रमाणपत्र तब तक प्रदान नहीं किया जाएगा जब तक आवेदन में आवेदक का स्थायी खाता संख्यांक नहीं है।

(V) संग्रहकर्ता व्यक्ति के सही स्थायी खाता संख्यांक के बारे में जानता है, संग्रहकर्ता और व्यक्ति दोनों द्वारा उनके बीच होने वाले सभी पत्राचार, बिलों और वाउचरों के लेन-देन में स्थायी खाता संख्यांक की आज्ञालक उद्धृत के लिए उपबंध भी प्रस्तावित है।

(VI) वह व्यक्ति, जिससे संग्रह किया गया है, अपना स्थायी खाता संख्यांक संग्रहकर्ता को देगा और उसे दोनों समस्त पत्राचार, बिलों, वाउचरों और ऐसे अन्य दस्तावेजों में उपदर्शित करेंगे जो एक दूसरे को भेजे जाते हैं।

(VII) जहां संग्रहकर्ता को दिया गया स्थायी खाता संख्यांक अविधिमान्य है या उस व्यक्ति से संबंधित नहीं है, जिससे संग्रह किया गया है, वहां यह समझा जाएगा कि उस व्यक्ति ने, जिससे संग्रह किया गया है, संग्रहकर्ता को स्थायी खाता संख्यांक नहीं दिया है।

(VIII) अधिनियम की प्रस्तावित धारा 206गग के उपबंध ऐसे अनिवासी जिसका भारत में स्थायी स्थापन नहीं है, को छूट देते हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

[खंड 72]

धारा 80गगछ के अधीन कटौती का सुव्यवस्थीकरण

धारा 80गगछ के अधीन कटौती का सुदृढीकरण आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80गगछ के विद्यमान उपबंधों के अधीन, कतिपय दशाओं को पूरा करने के अधीन साम्या उन्मुखरण निधि की सूचीबद्ध साम्या शेयर या सूचीबद्ध इकाई में निवेश के लिए आवासी व्यष्टि 25001 रुपए तक अनुज्ञात की जाती है यह कटौती वित्त अधिनियम 2012 द्वारा पुरःस्थापित की गई थी, तथापि तथ्य पर विचार करते हुए कटौती का लाभ उठाए व्यष्टियों की सीमित संख्या को अधिनियम के अध्याय 6-क के अधीन लाभ उठाए गए कटौती के गुणवत्ता का भी सुव्यवस्थी करना है। अधिनियम की धारा 80गगछ के अधीन कोई कटौती का उपबंध द्वारा इस कटौती निर्धारण वर्ष 2018-19 से अनुज्ञात की जाएगी। तथापि, कोई निर्धारिती जिसने निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए इस धारा के अधीन कटौती का दावा पूर्व में किया है, उसे निर्धारण वर्ष 2019-20 तक इस धारा के अधीन कटौती अनुज्ञात की जाएगी, यदि वह इस धारा के उपबंधों के अनुसार कटौती का दावा करने के लिए अन्यथा पात्र है।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2016-17 और पश्चात्तर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 34]

गृह संपत्ति से हानि के मुजरा करने पर निर्बंधन

अधिनियम की धारा 71 एक शीर्ष से हानि का अन्य शीर्ष से होने वाली आय के प्रति मुजरा करने से संबंधित है।

अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम व्यवहारों के अनुरूप यह उक्त धारा के लिए उपधारा (3क) अतःस्थापित करने का प्रस्ताव करती है जो उपबंध करती है कि 'गृह संपत्ति से आय' शीर्ष के अधीन हानि का मुजरा अन्य शीर्ष की आय के प्रति किसी निर्धारण वर्ष के लिए दो लाख रुपए तक निर्बंधित की जाएगी। तथापि, अधिनियम के विद्यमान उपबंधों के अनुसार पश्चात्कर्ती वर्षों में मुजरे के लिए अग्रनयन करना भी अनुज्ञात किय जाएगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चात्कर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगी।

[खंड 31]

तलाशी करने के विश्वास के कारण को प्रकट न करना

धारा 132 की उपधारा (1) और उपधारा (1क) उपबंध करती है कि उसके कब्जे में जानकारी पर आधारित जहां उसमें, विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी उक्त उपधारा में निर्देश की परिस्थितियों के 'विश्वास के कारण' अथवा 'संदेह के कारण' उसके 'संदेह के कारण' को किया है, वह तलाशी और अभिग्रहण से बाहर किए जाने के लिए उसमें विनिर्दिष्ट प्राधिकारी प्राधिकृत कर सकेगा।

उसी प्रकार, धारा 132क की उपधारा (1) उपबंध करती है कि 'विश्वास के कारण' आधारित विनिर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी, इस प्रकार प्राधिकृत आय-कर प्राधिकारी के लिए लेखा, दस्तावेजों या आस्तियों के बही के परिदान करने के लिए कुछ अन्य अधिकारी से अपेक्षा के लिए उसमें विनिर्दिष्ट अन्य आय प्राधिकारी को प्राधिकृत कर सकेगी।

धारा 132 और धारा 132क के अधीन कार्यवाहियों के प्रमाण-विद्यमान गोपनीय और संवेदनशील होते हैं। तथापि, कतिपय न्यायिक उद्घोषणाएं, धारा 132क के अधीन अपेक्षा करने के लिए अथवा धारा 132 के अधीन तलाशी करने के लिए आय-कर प्राधिकारी द्वारा अभिलेख किए गए 'विश्वास के कारण' अथवा 'संदेह के कारण' के प्रकटन के संबंध में संदिग्धता सृजित करती है। अतः यह धारा 132 की उपधारा (1क) और उपधारा (1) और धारा 132क की उपधारा (1) के लिए घोषणा करती है कि किसी स्पष्टीकरण को अतःस्थापित करने का प्रस्ताव करती है। 'विश्वास के कारण' अथवा 'संदेह के कारण', जैसा लागू होता है, किसी व्यक्ति या किसी प्राधिकरण अथवा अपीलीय अधिकरण को प्रकट नहीं करेगी।

संशोधन उक्त उपबंधों अर्थात् 1 अप्रैल, 1961 से धारा 132 की उपधारा (1) और धारा 132 की उपधारा (1क) और 1 अक्टूबर, 1975 से धारा 132क की उपधारा (1) के अधिनियम की तारीख से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होते हैं।

[खंड 50 और 51]

अंतिम कुर्की और प्राधिकृत अधिकारी के लिए मूल्यांकन अधिकारी के लिए निर्देश करने की शक्ति

अधिनियम की धारा 132, उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अधीन तलाशी और अभिग्रहण करने की शक्ति का उपबंध करती है।

तलाशी मामलों में राजस्व के ब्याज और सुरक्षित वसूली के संरक्षित करने के क्रम में, उक्त धारा की उपधारा (9ख) और उपधारा (9ग) को अतःस्थापित करने का प्रस्ताव करती है जो उपबंध करती है कि तलाशी और अभिग्रहण के क्रम की अथवा उस तारीख से 60 दिन की अवधि के लिए प्राधिकारिता की सीमा के भीतर जिसमें तलाशी अंतिम रूप से निष्पादित की गई थी, प्राधिकृत अधिकारी का इस बात का समाधान होने पर कि राजस्व के ब्याज की सुरक्षा के लिए इस प्रकार आवश्यकता है जैसा कि प्रधान महानिदेशक अथवा महानिदेशक अथवा प्रधान निदेशक अथवा निदेशक के पूर्व अनुमोदन के साथ निर्धारणकर्ता से संबंधित किसी संपत्ति की मूल रूप से कुर्की की जा सकती है। यह प्रस्ताव किया गया है कि ऐसी अनंतिम कुर्की को ऐसी कुर्की के आदेश की तारीख से छह मास के अवमान प्रभावी नहीं रहेंगे।

विभाग के अन्वेषण खंड द्वारा निर्धारणकर्ता द्वारा निवेश या संपत्ति के प्ररूप में होने वाली आय के अप्रकटीकरण के सही प्राक्कलन और मात्रात्मकता को सुनिश्चित करने के क्रम में, तलाशी के मामले में उपबंध करने हेतु उक्त धारा में नई उपधारा (9घ) अतःस्थापित करने का और प्रस्ताव करती है, प्राधिकृत अधिकारी, उक्त उपधारा के अधीन उपबंध की गई रीति में मूल्यांकन हेतु संपत्ति की स्वच्छ बाजार कीमत के प्राक्कलन के उद्देश्य हेतु धारा 142क में निर्दिष्ट मूल्यांकन अधिकारी के प्रतिनिर्देश कर सकता है। यह भी उपबंध किया जाता है कि मूल्यांकन अधिकारी, ऐसे निर्देश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर मूल्यांकन रिपोर्ट को तैयार करेगा।

यह धारा 132 के लिए स्पष्टीकरण 1 का संशोधन करने का भी प्रस्ताव करती है, जिससे उपबंध किया जा सके कि उपधारा 9क, उपधारा 9ख और उपधारा 9घ के उद्देश्य हेतु 'तलाशी के लिए प्राधिकार का निष्पादन' का अर्थ धारा 153ख की उपधारा (2) में इसे समनुदेशित करने के लिए होगा।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2017 से प्रभावी होगा।

[खंड 50]

सूचना मांगने की शक्ति के संबंध में उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण

धारा 133 का विद्यमान उपबंध, अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के उद्देश्य हेतु सूचना मांगने के लिए कतिपय आय-कर प्राधिकारियों को सशक्त करती है। उक्त धारा का द्वितीय परंतुक उपबंध करता है कि ऐसे मामले में किसी जांच के संबंध में शक्ति जहां कोई कार्यवाही लंबित नहीं है ऐसे प्राधिकारियों के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रधान निदेशक या निदेशक अथवा प्रधान आयुक्त या आयुक्त की पंक्ति से नीचे किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा व्यवहार्य नहीं की जाएगी।

अन्वेषण निदेशालय में कार्य करने वाले प्राधिकारियों की कार्य करने के ढंग की अपेक्षा पर विचार करते हुए, उक्त धारा के पहले परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है और उपबंध करती है कि उक्त धारा के खंड (6) में यथा निर्देशित अधिनियम के अधीन जांच या कार्यवाहियों के संबंध में शक्ति, को संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक और सहायक निदेशक द्वारा भी व्यवहार्य किया जा सकता है।

उक्त धारा के द्वितीय परंतुक का संशोधन करने का और प्रस्ताव करती है, जो उपबंध करती है कि संयुक्त निदेशक, या सहायक निदेशक, उच्चतर प्राधिकारियों के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी जांच के संबंध में शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2017, से प्रभावी होगा।

[खंड 52]

सर्वेक्षण की शक्ति का विस्तार

धारा 133क के विद्यमान उपबंध आय-कर प्राधिकारी को किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत करता है जिसमें कारबार या वृत्ति चलाई जाती है या जिसमें सर्वेक्षण करने के प्रयोजनों के लिए या वृत्ति से संबंधित कोई भी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या नकदी का भाग या स्टॉक या अन्य मूल्यवान वस्तु या चीज रखी जाती है।

उपधारा (1) का संशोधन करके उक्त धारा की परिधि को व्यापक बनाने का प्रस्ताव है जिससे कि ऐसे स्थान को सम्मिलित किया जा सके जिसमें पूर्ण प्रयोजन के लिए कोई क्रियाकलाप किया जाता है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

[खंड 53]

धारा 133ग के अधीन सूचना के केन्द्रीयकृत रूप से जारी किए जाने और सूचना की कार्यवाही करने को समर्थ बनाने के लिए विधायी ढांचा

अधिनियम की धारा 133ग विहित आय प्राधिकारी को उसके कब्जे में सूचना के सत्यापन के प्रयोजन के लिए सूचना और दस्तावेज मांगने, नोटिस जारी करने के लिए सशक्त करती है।

इस प्रकार प्राप्त सूचना और दस्तावेजों के सत्यापन और विश्लेषण के शीघ्र निपटान करने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड को सशक्त करने के लिए धारा 133ग का संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे उसे उसके कब्जे में सूचना के सत्यापन के प्रयोजन के लिए सूचना और दस्तावेज मांगने के नोटिस के केन्द्रीयकृत रूप से जारी किए जाने के लिए, ऐसे दस्तावेजों की कार्यवाही करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्धारण अधिकारी को उसका परिणाम, यदि कोई हो, उपलब्ध कराने के लिए स्कीम बनाई जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होगा।

[खंड 54]

आय घोषणा स्कीम, 2016 के उपबंधों का सुव्यवस्थीकरण और धारा 153क और धारा 153ग का पारिणामिक संशोधन

वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 197 के खण्ड (ग) के विद्यमान उपबंधों में यह उपबंध है कि जहां कोई आय प्रोद्भूत, उद्भूत हुई है या प्राप्त की गई है या आय घोषणा स्कीम, 2016 (स्कीम) के प्रारंभ से पूर्व ऐसी आय के कारण कोई आस्ति अर्जित की गई है और ऐसी आय की बाबत कोई घोषणा इस स्कीम के अधीन नहीं की गई है, वहां ऐसी आय, उस वर्ष में जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 142, धारा 143 की उपधारा (2) या धारा 148 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन निर्धारण अधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है यथास्थिति, प्रोद्भूत, उद्भूत या प्राप्त हुई समझी जाएगी और उक्त अधिनियम के उपबंध तदनुसार लागू होंगे।

वास्तविक कठिनाइयों का उल्लेख करने वाले पणधारियों से प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, यदि उक्त उपबंध लागू किया जाता है, तो वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 197 के उपखंड (ग) का लोप करने का प्रस्ताव है।

यह संशोधन 1 जून, 2016 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा।

तथापि, इन मामलों में राजस्व के हित का संरक्षण करने के लिए जहां तलाशी या अभिग्रहण (जिसमें धारा 132 के मामले भी हैं) के दौरान वास्तविक साक्ष्य पाए जाते हैं, और उन्हें किसी आस्ति में अप्रकटित आय विनिधान के रूप में व्यपदिष्ट किया जाता है, वहां यह प्रस्ताव है कि उक्त धारा के अधीन नोटिस दसवें निर्धारण वर्ष तक पहले ही उपबंधित छठे निर्धारण वर्ष से परे किसी निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए जारी किया जा सकता है, यदि —

(i) निर्धारण अधिकारी अपने कब्जे में ऐसी लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज या साक्ष्य रखता है जो यह प्रकट करते हैं कि ऐसी आय जो निर्धारण से छूट गई है, एक वर्ष में या सुसंगत चार निर्धारण वर्षों (छठे वर्ष से परे आने वाले) में पचास लाख आय या उससे अधिक हो जाती है या उसका कुल योग पचास लाख रुपए होने की संभावना है,

(ii) निर्धारण से छूट गई ऐसी आय आस्ति के रूप में व्यपदिष्ट की जाती है,

(iii) निर्धारण से छूट गई आय या उसका भाग ऐसे वर्ष वर्षों से संबंधित है।

तथापि, यह प्रस्ताव है कि धारा 153क के संशोधित उपबंध वहां लागू होंगे जहां धारा 132 के अधीन तलाशी 1 अप्रैल, 2017 को या उसके पश्चात् आरंभ की जाती है या धारा 132 क के अधीन अध्यक्षता की जाती है।

धारा 153ग की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक को पारिणामिक रूप से संशोधन करने का प्रस्ताव भी है जिससे धारा 153क में यथाविनिर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष के प्रतिनिर्देश का उपबंध किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी होंगे।

[खंड 59.61 और 150]

मुख्यमंत्री राहत निधि अथवा उपराज्यपाल राहत निधि की आय से छूट

धारा 10 के खंड (23ग) में अन्तर्विष्ट विद्यमान उपबंधों के अधीन, कतिपय निधियों की आय के संबंध में छूट का उपबंध किया गया है जिसमें, अन्य बातों के साथ प्रधानमंत्री राहत निधि सम्मिलित है।

धारा 80छ की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (त्त जच) पर विनिर्दिष्ट मुख्यमंत्री राहत निधि अथवा उपराज्यपाल राहत निधि, जो राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री राहत निधि के समान प्रकृति की है, उक्त खंड के अधीन छूट नहीं प्राप्त है। ऐसी छूट की अनुपस्थिति में ऐसी निधियों को, उक्त अधिनियम की धारा 11 और धारा 12 के अधीन उसकी आय से छूट प्राप्त करने के क्रम में अधिनियम की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए अभिप्राप्त है और कतिपय शर्तों को पूरा करने के लिए अपेक्षित हैं।

अतः उक्त खंड को संशोधित करने का प्रस्ताव किया जाता है जिससे कि मुख्यमंत्री राहत निधि अथवा उपराज्यपाल राहत निधि के लिए भी छूट का लाभ प्रदान किया जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 1998 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा। वह तारीख जो मुख्यमंत्री राहत निधि या उपराज्यपाल राहत निधि को संदेय किसी राशि की कटौती से संबंधित धारा 86छ की उपधारा (2) के खंड (क) के उपखंड (त्त जच) में प्रवृत्त होगी, और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1998-99 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगी।

[खंड 6]

एफ ई आर ए के स्थान पर एफ ई एम ए का सही निर्देश

धारा 10 के खंड 4 का विद्यमान उपखंड (ii) विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार भारत में किसी बैंक में अनिवासी (विदेशी) खाते में प्रत्यय द्वारा धन पर ब्याज के द्वारा किसी व्यक्ति की आय को निर्दिष्ट करता है। उक्त उपखंड का परंतुक व्यक्ति को विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 2 के खंड (थ) में यथा परिभाषित भारत से बाहर निवासी व्यक्ति के रूप में निर्दिष्ट करता है, जो निरसित कर दिया गया और 1999 का अधिनियम 42 अर्थात् विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम, 1999 (फेमा) के तौर पर पुनः अधिनियमित किया गया। भारत से बाहर व्यक्ति की परिभाषा फेमा के खण्ड (ब) में है।

“भारत से बाहर निवासी व्यक्ति” पद की सही परिभाषा को सही दर्शित करने के लिए उक्त परंतुक का संशोधन करने का प्रस्ताव है। यह संशोधन स्पष्टीकारक प्रकृति का है।

यह संशोधन 1 अप्रैल, 2013 से भूतलक्षी रूप से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2013-14 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होगा।

[खंड 6]

ज. एन.पी.एस. अंशदाताओं हेतु फायदा

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से भागतः निकासी के लिए कर छूट

धारा 10 का खंड (12क) के विद्यमान उपबंध स्कीम के बंद होने या विकल्प देने के समय किसी कर्मचारी के लिए संदत्त राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास से संदेय कुल रकम का चालीस प्रतिशत से छूट प्रदान करती है।

एनपीएस के सदस्य होने के लिए किसी कर्मचारी के लिए और अनुतोष का उपबंध करने के क्रम में, धारा 10 में नई धारा (12ख) अंतःस्थापित करने का प्रस्ताव करती है जो पेंशन निधि विनियमक विकास प्राधिकरण अधिनियम 2013 और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधन के अनुसरण में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए अभिदाय के 25 प्रतिशत से अधिक कर से भागतः निकासी करने के लिए छूट का उपबंध कर सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चात्वर्ती निर्धारण वर्षों के संबंध में अनुज्ञात होंगे।

[खंड 6]

स्वयं नियोजित व्यक्ति के लिए धारा 80गगघ के अधीन कटौती का सुव्यवस्थीकरण

धारा 80गगघ (1) के विद्यमान उपबंध, यह उपबंध करता है कि कर्मचारियों या अन्य व्यक्ति निर्धारिती को या अन्य व्यक्ति राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास (एनपीएस) में निक्षेप की गई रकम के संबंध में कटौती अनुज्ञात होगी। अधिनियम की धारा 80गगघ (1) के अधीन कटौती कर्मचारी की दशा में वेतन का 10 प्रतिशत या अन्य व्यष्टियों की दशा में सफल कुल आय का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकेगा। तथापि अधिनियम की धारा 80गगघ (2) के उपबंधों के अधीन, उनके द्वारा अभिदाय के संबद्ध में कटौती कर्मचारी के वेतन का 10 प्रतिशत तक अनुज्ञात है। इस प्रकार कर्मचारी के मामले में धारा 80गगघ के अधीन अनुज्ञात कटौती वेतन का 20 प्रतिशत तक जोड़ा जा सकेगा जबकि अन्य व्यष्टिकों के मामले में, धारा 80गगघ के अधीन कुल कटौती सकल कुल आय का 10 प्रतिशत तक सीमित की गई है।

किसी व्यष्टिक जो कि कर्मचारी है और किसी ऐसे व्यष्टिक जो स्वयं नियोजित है के मध्य समानता का उपबंध करने के क्रम में धारा 80गगघ का संशोधन करने का प्रस्ताव करती है जिसके सकल कुल आय के 10 प्रतिशत की ऊपरी सीमा को कर्मचारी के सिवाय व्यष्टिक के मामले में 20 प्रतिशत करने के लिए वृद्धि की जा सके।

यह संशोधन 1 अप्रैल 2018 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2018-19 और पश्चात्वर्ती वर्षों के संबंध में लागू होंगे।

[खंड 33]

सीमा शुल्क

- टिप्पण:** (क) “आधारित सीमाशुल्क” से सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन उद्गृहीत सीमा शुल्क अभिप्रेत है।
- (ख) “सीवीडी” से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उद्गृहीत अतिरिक्त सीमाशुल्क अभिप्रेत है।
- (ग) “विशेष अतिरिक्त शुल्क” से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) के अधीन उद्गृहीत विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क अभिप्रेत है।
- (घ) “निर्यात शुल्क” से सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल पर उद्गृहीत सीमाशुल्क अभिप्रेत है।
- (ङ) वर्ग कोष्ठकों [] में खंड सं. वित्त विधेयक, 2017 के सुसंगत खंड को दर्शित करता है।

वित्त विधेयक, 2017 के माध्यम से किए जाने वाले संशोधन, जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो अपने प्रवर्तन की तारीख से प्रवर्तित होते हैं।

I. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में संशोधन:

क्र. सं.	संशोधन	वित्त विधेयक 2017 के खंड
1.	धारा 2 का निम्नलिखित के लिए संशोधन किया जा रहा है;	
(क)	किसी हितधारी स्वामी को ऐसे व्यक्ति जिसकी ओर से माल आयात या निर्यात किया जा रहा हो या जो आयात या निर्यात किए जा रहे माल पर प्रभारी नियंत्रण रखता हो को परिभाषित करने के लिए धारा (3क) को अंतःस्थापित करना;	
(ख)	खंड (13) में सीमा शुल्क केन्द्र की परिभाषा में विदेशी डाकघर और अर्न्तराष्ट्रीय कुरियर टर्मिनल को सम्मिलित करने के लिए;	
(ग)	खंड (13) में कतिपय शब्दों का लोप करने के लिए जिससे कि धारा 82 के प्रस्ताव के लोप के साथ सम्मिलित किया जा सके;	[88]
(घ)	यह उपबंध करने के लिए है कि खंड (20) की विद्यमान परिभाषा जिसमें हिताधिकार स्वामी सम्मिलित है;	
(ङ)	यह उपबंध करने के लिए है कि खंड (26) में आयातकर्ता की विद्यमान परिभाषा जिसमें हिताधिकारी स्वामी सम्मिलित है;	
(च)	खंड (30ख) को इस प्रकार अंतस्थापित किया जाए जो यात्री नाम अभिलेख सूचना को पारिभाषित करती है;	
(छ)	विदेशी डाक घर और अर्न्तराष्ट्रीय कुरियर टर्मिनल को पारिभाषित करना है।	
2.	विदेशी डाकघर और अर्न्तराष्ट्रीय कुरियर टर्मिनल को अधिसूचित करने के लिए बोर्ड को सशक्त करने के लिए धारा 7 का संशोधन किया जा रहा है।	[89]
3.	स्वतः निर्धारण के सत्यापन के लिए दस्तावेजों की अपेक्षाओं को युक्तिसंगत बनाने के लिए धारा 17 का संशोधन किया जा रहा है।	[90]
4.	धारा 27 की उपधारा (2) को संशोधित किया जा रहा है जिससे, परिधि के अनुचित समृद्धि को ध्यान में रखते हुए किसी आयातकर्ता द्वारा, घरेलू उपयोग के लिए माल की निकासी के अनुज्ञात करने वाले किसी आदेश के किए जाने से पूर्व संदत्त अधिक शुल्क,—	[91]
(i)	जहां स्वतः निर्धारित प्रवेश पत्र की दशा में, शुल्क का अधिक संदाय प्रवेश से सुव्यक्त है; या	
(ii)	जहां पुनः निर्धारण की दशा में पुनः निर्धारित प्रवेश पत्र में वास्तविक रूप से संदेय शुल्क उपदर्शित किया जाता है।	
5.	धारा 28 (ङ) के खंड (ङ) का संशोधन किया जा रहा है जिससे आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 245ण के अधीन यथा गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण अभिप्रेत “प्राधिकरण” की परिभाषा को रखा जा सके।	[92]
6.	धारा 28घ का संशोधन किया जा रहा है जो यह उपबंध करती है कि आय-कर अधिनियम 1961 की धारा 245ण के अधीन गठित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण, सीमाशुल्क अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अग्रिम विनिर्णय देने के लिए प्राधिकरण होगा। यह और उपबंध करता है कि भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) से ऐसा सदस्य, जो बोर्ड का सदस्य होने के लिए अर्हित है, सीमाशुल्क अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण का राजस्व	[93]

क्र. सं.	संशोधन	वित्त विधेयक 2017 के खंड
	सदस्य होगा। यह अग्रिम विनिर्णय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क और सेवाकर प्राधिकरण के समक्ष लंबित आवेदनों को आय-कर अधिनियम की धारा 245ण के अधीन गठित प्राधिकरण उसी प्रक्रम से अंतरित करने का उपबंध किया जा सके जिसपर वह उस तारीख को वित्त विधेयक 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है।	
7.	रिक्तियों से संबंधित धारा 28छ कार्यवाहियों की अविधिमाम्य से संबंधित नहीं है, का लोप किया जा रहा है।	[94]
8.	धारा 28ज की उपधारा (3) का संशोधन किया जा रहा है जिससे आय-कर अधिनियम के अनुरूप दो हजार पांच सौ रुपए से दस हजार रुपए करने के लिए अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन फीस में वृद्धि की जा सके।	[95]
9.	धारा 28झ की उपधारा (6) का संशोधन किया जा रहा है जिससे छः मास की समय-सीमा का उपबंध किया जा सके जिसके द्वारा प्राधिकरण आय-कर अधिनियम के अनुरूप इसके विनिर्णय की घोषणा करेगा।	[96]
10.	एक नई धारा 30क को पुरःस्थापित किया जा रहा है जो इसे किसी ऐसे प्रवहरण का, जो भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में प्रवेश करता है, भारसाधक व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए; उचित अधिकारी को ऐसे प्ररूप में ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए ऐसी रीति से तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, किसी वायुयान या किसी जलयान की दशा में, पहुंचने में पूर्व की और किसी यान की दशा में आगमन के समय की, यात्री और कर्मिदल सूची; और आने वाले यात्रियों की यात्र नाम अभिलेख सूचना परिदत्त करेगा। धारा, सूचना के परिदान में विलंब की दशा में, पचास हजार रुपए अनधिक की ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो विहित की जाए, का भी उपबंध करने के लिए आशायित है।	[97]
11.	नई धारा 41क को पुरःस्थापित किया जा रहा है जो किसी ऐसे प्रवहरण का, जो भारत से बाहर किसी स्थान की भारत से प्रस्थान करता है, भारसाधक व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाए, उचित अधिकारी को ऐसे प्ररूप में ऐसी विशिष्टियां अंतर्विष्ट करते हुए ऐसी नीति से तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित की जाए, यात्री और कर्मिदल प्रस्थान सूची और प्रस्थान करने वाले यात्रियों की यात्री नाम अभिलेख सूचना, परिदत्त करेगा। धारा सूचना के परिदान में विलंब की दशा में, पचास हजार रुपए से अनधिक की ऐसी आशायित का दायी होगा जो विहित की जाए, का भी उपबंध करने के लिए आशयित है।	[98]
12.	धारा 46 की उपधारा (3) को प्रतिस्थापित किया जा रहा है जो इसे प्रवेशपत्र उस दिन के, जिसको माल का वहन करने वाला ऐसा वायुयान या जलयान या यान ऐसे किसी सीमाशुल्क स्टेशन पर पहुंचता है, जिस पर ऐसे माल की घरेलू उपभोग या भांडागार के लिए निकासी की जानी है पश्चात् आगामी दिवस (अवकाशों को छोड़कर) के अंत में पूर्व प्रस्तुत करेगा और देरी से प्रस्तुत किए जाने वाले प्रवेश पत्र का संदाय करने के लिए जो विहित की जाए, का उपबंध करने के लिए है।	[99]
13.	धारा 47 की उपधारा (2) का संशोधन किया जा रहा है जो उस पर शुल्क और ब्याज के संदाय की रीति का उपबंध कर सकता है जो स्वतः निर्धारित प्रवेश पत्र की दशा में जो विहित की जाए निर्धारण पुनःनिर्धारण या अनंतिम निर्धारण किया जा सके।	[100]
14.	धारा 49 भांडागार के लिए प्रवेश किए गए आयातित माल को उससे हटाए जाने के लिए धारा 49 के लिए अधीन भंडार की प्रसुविधा का विस्तार करने के लिए संशोधन किया जा रहा है।	[101]
15.	धारा 82 के लोप किए जाने के उद्देश्य के साथ सम्मेलन करने के लिए निर्यात के लिए भांडागार माल के निकासी से संबंधित धारा 69 का संशोधन किया जा रहा है।	[102]
16.	माल के साथ घोषणा या लेबल जो संबंधित धारा 82 की प्रविष्टि का लोप किया गया समझा जा रहा है।	[103]
17.	धारा 84, बोर्ड को विनियम बनाने के लिए सशक्त करने के लिए संशोधन किया जा रहा है जो उस प्ररूप और रीति जिसमें पोस्ट द्वारा आयातित या निर्यात किए गए आयातित माल के संबंध में किसी प्रविष्टि को किया जा सके।	[104]
18.	धारा 127ख का संशोधन किया जा रहा है जिससे एक नई उपधारा (5) अंतःस्थापित किया जा सके जिसमें उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी आवेदन से भिन्न कोई ऐसा व्यक्ति भी समझौता आयोग को सुनिश्चित कर सकेगा।	[105]
19.	धारा 127ग की उपधारा (3) का संशोधन किया जा रहा है जिससे उसमें कतिपय शब्दों को प्रतिस्थापित किया जा सके। यह धारा समझौता आयोग को समर्थ बनाने के लिए उसमें एक नई उपधारा (5क) को और अंतःस्थापित करने के लिए है जिससे कि अभिलेख के देखने पर ही प्रकट होने वाली किसी गलती का परिशोधन करने के लिए उपधारा 5 के अधीन समझौता आयोग द्वारा पारित आदेश का संशोधन किया जा सके।	[106]
20.	धारा 157 का संशोधन किया जा रहा है जिससे कि बोर्ड के आगमन और प्रस्थान के लिए यात्री और कर्मिदल सूची तथा यात्री नाम अभिलेख सूचना प्रदान और सूचना देने में विलंब के मामले में शास्ति का प्ररूप विशिष्टियां रीति और समय विनिर्दिष्ट करने के लिए विनियम बनाने हेतु सशक्त किया जा सके।	[107]

II. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 में संशोधन

क्र.सं.	संशोधन	वित्त अधिनियम, 2017 का खंड
1.	धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ग) का प्रतिस्थापन किया जा रहा है जिससे साहियकी-रोधी अन्वेषणों की परिधि से उसमें विनिर्दिष्ट गैर-अनुयोज्य साहियकियों में तीन प्रवर्गों की छूट को वापस लिया जा सके।	[108]

III. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में संशोधन

क्र.सं.	संशोधन	[वित्त अधिनियम, 2017 के खंड]
क. शुल्क की दरों को प्रभावित नहीं करने वाले संशोधन		
1.	(i) गुवार अवचूर्ण और इसके उत्पादों के संबंध में सीमाशुल्क को एचएस नाम पद्धति के साथ समन्वय बनाने के लिए मद संख्या 13023210 और 13023220 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों को हटाना और नई मद संख्या 11061010 तथा मद संख्या 11061090 का सृजन करना।	
	(ii) डब्ल्यू सी ओ वर्गीकरण विनिश्चय के अनुसरण में सीमाशुल्क टैरिफ को समन्वय बनाने के लिए परिष्कृत विरजित निर्गन्धीकृत ताड़ स्टेरिन के लिए नई मद संख्या 15119030 का सृजन।	[109(ख)]
	(iii) टैरिफ 38231111 से टैरिफ मद 38231190 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का टैरिफ मद 38231100 से प्रतिस्थापन।	
	(iv) पीवीसी रेज़िन के संबंध में टैरिफ मद 39041010 से 39042290 तक का टैरिफ मद 39041010 से 39042200 तक से प्रतिस्थापन।	
2.	अध्याय 98 के अध्याय टिप्पण (4) का संशोधन करना जिससे कोरियर सेवा द्वारा आयतित माल पर शीर्षक 9803 और 9804 का लागू न होना को हटाया जा सके। शीर्षक 9804 का संशोधन करना जिससे कि इस शीर्षक के अधीन, कोरियर, समुद्र या भूमि द्वारा व्यक्तिगत आयात के वर्गीकरण का भी विस्तार किया जा सके।	[109(ख)]

ख. बी.सी.डी. दरों को प्रभावित करने वाले संशोधन [वित्त अधिनियम, 2017 का खंड 109(क)]

वस्तुएं	शुल्क की दर	
	से	तक
1. भूने हुए, नमक मिलाया हुआ या भूने हुए और नमक मिलाया हुआ काजू	30%	45%
2. घरेलू प्रकार के फिल्टरों के लिए आर ओ झिल्ली तन्तू	7.5%	10%

संशोधन, जिसमें शुल्क दरों में वृद्धि भी है अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण तुरन्त रूप से प्रभावी होंगे।

IV. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975, की दूसरी अनुसूची में संशोधन [वित्त अधिनियम, 2017 का खंड 110]

क्र.सं.	संशोधन	शुल्क की दर	
		से	तक
निर्यात शुल्क को प्रभावित करने वाले संशोधन			
अयस्क और सान्द्र			
1.	अन्य एल्यूमीनियम अयस्क जिसमें लेटराईट भी है	शून्य	30%

उपरोक्त संशोधन, जिसमें शुल्क दरों में वृद्धि भी है अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अधीन घोषणा के कारण तुरन्त रूप से प्रभावी होंगे।

V. अन्य प्रस्ताव जिनमें बीसीडी, सीवीडी, एसएडी और निर्यात शुल्क भी है।

क्र.सं.	वस्तु	बीसीडी/उत्पाद शुल्क/सीवी शुल्क/ एसएडी/निर्यात शुल्क	
		से	तक
क. अयस्क और सान्द्र			
1.	अन्य एल्यूमीनियम अयस्क जिसमें लेटराईट भी है	निर्यात शुल्क - शून्य	निर्यात शुल्क - 15%
ख. खनिज ईंधन और खनिज तेल			
2.	द्रवीकृत प्राकृतिक गैस	बीसीडी - 5%	बीसीडी - 2.5%
ग. रसायन और पेट्रोरसायन			
3.	ओ. जाईलीन	बीसीडी - 2.5%	बीसीडी - शून्य
4.	मध्यम गुणवत्ता वाला टेरैफथेलिक अम्ल (एमटीए) और अर्हित टेरैफथेलिक अम्ल (क्यूटीए)	बीसीडी - 7.5%	बीसीडी - 5%
5.	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन, हाईड्रोजन परॉक्साइड के विनिर्माण में उपयोग के लिए 2-ईथयिल एन्थाक्विनोन [29146990]	बीसीडी - 7.5%	बीसीडी - 2.5%
6.	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन पॉली कारबोक्सीलेट ईथर के विनिर्माण में उपयोग के लिए मिट्टी-2 चूर्ण (एल्यूमेक्स)	बीसीडी - 7.5%	बीसीडी - 5%
7.	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन पॉली कारबोक्सीलेट ईथर के विनिर्माण में उपयोग के लिए विनाईल पालीईथाईलीन ग्लाइकोल (वी पी ई जी)	बीसीडी - 10%	बीसीडी - 7.5%
घ. वस्त्र			
8.	कतिपय विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यक्षीन टुना मछली पकड़ने के लिए एकल तन्तु लम्बी रेखा प्रणाली में प्रयुक्त होने वाले नायलोन एकल तन्तु यार्न	बीसीडी - 7.5%	बीसीडी - 5%
ङ. परिष्कृत चमड़ा, जूता और अन्य चमड़े के उत्पाद			
9.	वनस्पति शोधन सार, ठाठ सार और हरीतीकी फल सार	बीसीडी - 7.5%	बीसीडी - 2.5%
10.	निर्यात के लिए उक्त माल के विनिर्माण में उपयोग के लिए चमड़ा जूतादि या कृत्रिम जूतादि या अन्य चमड़ा उत्पादों के विनिर्माण के लिए पात्र मर्दों के शुल्क मुक्त आयात की सीमा	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त निर्यात माल के एफ ओ बी मूल्य का 3%	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में उक्त निर्यात माल के एफ ओ बी मूल्य का 5%
च. धातुएं			
11.	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन, विनिर्दिष्ट दूर संचार श्रेणी आष्टिकल फाइबर के विनिर्माण के लिए सह पालीमर लेपित एमएसटेप्स स्टेनलेस इस्पात की टेप	बीसीडी कुछ नहीं	बीसीडी - 10%
12.	निकेल	बीसीडी - 2.5%	बीसीडी - कुछ नहीं
13.	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन, सी आर जी ओ इस्पात के विनिर्माण में उपयोग के लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड लेपित शीत बेल्लित इस्पात कॉइल [72251990]	बीसीडी - 10%	बीसीडी - 5%
14.	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन, गर्म बेल्लित कॉइल 7208, जब उन्हें शीर्ष 7305 और 7306 के अंतर्गत आने वाले वेल्ड की गई ट्यूबों और पाइपों के विनिर्माण में उपयोग के लिए आयात किया जाता है।	बीसीडी - 12.5%	बीसीडी - 10%
छ. पूंजी माल			
15.	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन, सभी सी एन सी मशीन औजारों के विनिर्माण में उपयोग के लिए गोलिका पेंच, रेखीय गति मार्गदर्शक और सी एन सी प्रणाली।	गोलिका पेंच, रेखीय गति मार्गदर्शन 7.5% सी एन सी प्रणाली बीसीडी - 10%	बीसीडी - 2.5%

क्र.सं.	वस्तु	बीसीडी/उत्पाद शुल्क/सीवी शुल्क/ एसएडी/निर्यात शुल्क	
ज. इलैक्ट्रॉनिक / हार्डवेयर			
16.	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन, मोबाइल फोन के विनिर्माण के लिए प्रचलित मुद्रण सर्किट बोर्ड (पीसीबी)	एसएडी - शून्य	एसएडी - 2%
झ. नवीकरणीय ऊर्जा			
17.	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन सौर सैल/पैनल/माड्यूल के विनिर्माण में उपयोग के लिए सौर पायित कांच	बीसीडी - 5%	बीसीडी - शून्य
18.	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन, सौर शक्ति चालित उपस्कर या प्रणालियां, चपटी प्लेट सौर संग्राहक, सौर फोटोवोल्टेइक मॉड्यूल और पैनल जल पम्पिंग और अन्य अनुप्रयोगों के लिए उपयोग हेतु सौर पायित ग्लास के लिए हिस्से/कच्चा माल	सीवीडी - 12.5%	सीवीडी - 6%
19.	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन, वायु प्रचालित ऊर्जा जनित्र (डब्ल्यू ओ ई जी) के लिए ढलवां संगठकों के विनिर्माण के लिए रेसिन और उत्प्रेरक	बीसीडी - 7.5% सीवीडी - 12.5%	बीसीडी - 5% सीवीडी - शून्य
		एसएडी - 4%	एसएडी - शून्य
20.	कतिपय विनिर्दिष्ट दशाओं के अध्यक्षीन, देश में स्थापित की जाने वाली ईंधन सैल आधारित शक्ति जनन प्रणालियों के लिए या प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए मशीनरी के अपेक्षित सभी मद	बीसीडी - 10% / 7.5% सीवीडी - 12.5%	बीसीडी - 5% सीवीडी - 6%
21.	कतिपय विनिर्दिष्ट दशाओं के अध्यक्षीन, बायोगैस/बायो-मिथेन/हाइड्रोजन उत्पाद पर प्रचलित तन्त्र के नियन्त्रण के लिए अपेक्षित मशीनरी के सभी मद	बीसीडी - 10% / 7.5% सीवीडी - 12.5%	बीसीडी - 5% सीवीडी - 6%
ज. प्रकीर्ण			
22.	घरेलू प्रकार के फिल्टरों के लिए आर.ओ. झिल्ली तन्तु के विनिर्माण में प्रयोग के लिए झिल्ली शीट और ट्राइकोट/स्पेसर	सीवीडी - 12.5%	सीवीडी - 6%
23.	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन, के अध्यक्षीन, एलईडी लाइटों या फिक्सचर जिसके अंतर्गत एलईडी लैंप भी हैं, के सभी पुर्जों का विनिर्माण	लागू बीसीडी सीवीडी	बीसीडी - 5% सीवीडी - 6%
24.	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन, एलईडी लाइट या फिक्सचर, जिसके अंतर्गत एलईडी लैम्प भी हैं, के लिए एलईडी ड्राइवर और एमसीपीसीबी के विनिर्माण में उपयोग के लिए सभी आगत	लागू बीसीडी	5%
25.	पार्सल, पैकेट और पत्रों के माध्यम से आयातित माल के लिए अन्यूनीकृत सीमाशुल्क छूट सीमा	प्रति पारेषिती 100 रु. से अनधिक संदेय शुल्क	प्रति पारेषिती 1000 रु. से अनधिक सीआईएफ मूल्य
26.	एम-पीओएस (जिसमें मोबाइल फोन, या टेबलेट कम्प्यूटर नहीं हैं) मानक रूपान्तरण 1.5.1 के अनुसार सूक्ष्म एटीएम, अंगुली छाप पहचान यन्त्र/स्कैनर और नेत्रपुतली स्कैनर के लिए लघुकृत कार्ड रीडर	लागू बीसीडी, सीवीडी, एसएडी	बीसीडी-शून्य सीवीडी-शून्य एसएडी-शून्य
27.	एम-पीओएस (जिसमें मोबाइल फोन, या टेबलेट कम्प्यूटर) मानक रूपान्तरण 1.5.1 के अनुसार सूक्ष्म एटीएम, अंगुली छाप पहचान यन्त्र/स्कैनर और नेत्रपुतली स्कैनर के लिए लघुकृत कार्ड रीडर के विनिर्माण के लिए पुर्जे और संघटक	लागू बीसीडी, सीवीडी, एसएडी	बीसीडी-शून्य सीवीडी-शून्य एसएडी-शून्य
28.	रजत पदक, ऐसे चांदी के सिक्के जिसमें 99.9% से कम चांदी नहीं है, चांदी का अर्द्धविनिर्मित प्ररूप और चांदी की वस्तुएं	सीवीडी शून्य	सीवीडी - 12.5%
29.	अधिसूचना संख्या 12/2012, सीमाशुल्क तारीख 17.03.2012 (क्र.सं. 357क) का फायदा लेते हुए पेट्रोलियम और कोल बेड मिथेन के प्रचालन के लिए ऐसा आयातित माल जो उक्त प्रयोजन के लिए और अपेक्षित नहीं है, ऐसे माल को सीधी रेखा पद्धति (अवक्षयण मूल्य का मूल मूल्य से 30% से कम नहीं होने के अध्यक्षीन) के अनुसार संगठित अवक्षयण मूल्य पर लागू सीमाशुल्क या उत्पाद शुल्क में संदाय पर निपटान को अनुज्ञात किया जा रहा है।		

उत्पाद शुल्क

टिप्पण: "आधारिक उत्पाद शुल्क"से केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की प्रथम अनुसूची में वर्णित उत्पाद शुल्क अभिप्रेत है।

I केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 में संशोधन

क्रम सं.	संशोधन	वित्त विधेयक, 2017 के खंड
1.	धारा 23क के खंड (ड) का संशोधन किया जा रहा है जिससे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 245-ण के अधीन अग्रिम व्यवस्था के लिए यथा गठित प्राधिकरण से अभिप्रेत "प्राधिकरण" की परिभाषा का प्रतिस्थापन किया जा सके।	[111]
2.	रिक्तियों से संबंधित धारा 23ख जो कार्यवाहियों को अविधिमाम्य न करे, का लोप किया जा रहा है।	[112]
3.	धारा 23ग की उपधारा (3) का संशोधन किया जा रहा है जिससे आयकर अधिनियम के अनुरूप अग्रिम व्यवस्था लेने के लिए आवेदन फीस को दो हजार पांच सौ रुपये से बढ़ाकर दस हजार किया जा सके।	[113]
4.	धारा 23 घ की उपधारा (6) का संशोधन किया जा रहा है जिससे आयकर अधिनियम के अनुरूप प्राधिकरण, द्वारा उसकी व्यवस्था को सुनाने के लिए छह मास की समय सीमा उपबंधित की जा सकेगी।	[114]
5.	नई धारा 23-झ का अंतःस्थापन किया जा रहा है जिससे अग्रिम विनिर्णय (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर) प्राधिकरण के समक्ष लंबित आवेदनों को आयकर अधिनियम की धारा 245-ण के अधीन गठित प्राधिकरण को उसी प्रक्रम से अंतरित करने का उपबंध किया जा सके जिस पर वह उस तारीख को वित्त विधेयक, 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है,	[115]
6.	धारा 32ड का संशोधन किया जा रहा है जिससे उपधारा (1) में निर्दिष्ट निर्धारिती के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को समझौता आयोग को आवेदन देने के लिए समर्थ बनाने हेतु उपधारा (5) का अंतःस्थापन किया जाता है।	[116]
7.	धारा 32च की उपधारा (3) का संशोधन किया जा रहा है जिससे इसमें कतिपय शब्दों का प्रतिस्थापन किया जाए। यह इसमें एक नई उपधारा (5क) के अंतःस्थापन की मांग करता है जिससे समझौता आयोग को उपधारा (5) के अधीन पारित आदेश का संशोधन करने के लिए समर्थ किया जाए, ताकि अभिलेख को देखने से प्रकट होने वाली किसी त्रुटि को ठीक किया जा सके।	[117]

II. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ, अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में संशोधन [वित्त विधेयक, 2017 का खंड 118]

क्रम संख्या	संशोधन	शुल्क की दर	
	संशोधन जिनमें आधारिक उत्पाद-शुल्क की दर में परिवर्तन अंतर्वलित है।		
	वस्तु	से	तक
क	तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद		
1.	सिगार और चैरूट	12.5% या 3755 रु. प्रति हजार, जो भी अधिक हो	12.5% या 4006 रु. प्रति हजार, जो भी अधिक हो

2.	सिगरीला	12.5% या 3755 रु. प्रति हजार, जो भी अधिक हो	12.5% या 4006 रु. प्रति हजार, जो भी अधिक हो
3.	तम्बाकू अनुकल्प की सिग्रेट	3755 रु. प्रति हजार	4006 रु. प्रति हजार
4.	तम्बाकू अनुकल्प की सिगरीला	12.5% या 3755 रु. प्रति हजार जो भी अधिक हो	12.5% या 4006 रु. प्रति हजार, जो भी अधिक हो
5.	तम्बाकू के अन्य अनुकल्प	12.5% या 3755 रु. प्रति हजार, जो भी अधिक हो	12.5% या 4006 रु. प्रति हजार, जो भी अधिक हो

संशोधन जिनमें शुल्क दरों में परिवर्तन अंतर्वलित हैं, अनन्तिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा द्वारा तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

III. अन्य प्रस्ताव जिनमें उत्पाद शुल्क दरों में परिवर्तन अंतर्वलित है:

क्रम सं.	वस्तु	से	तक
	संशोधन जिनमें वित्त अधिनियम, 2005 के अधीन अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर में परिवर्तन अंतर्वलित है		
ख	पान मसाला		
6.	पान मसाला	6%	9%
ग	तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद		
7.	गैर विनिर्मित तम्बाकू	4.2%	8.3%
	संशोधन जिसमें आधारिक उत्पाद शुल्क की दर में परिवर्तन अंतर्वलित है।		
8.	पत्र बेलित बीड़ी-हस्त निर्मित	21 रु. प्रति हजार	28 रु. प्रति हजार
9.	पत्र बेलित बीड़ी-मशीन निर्मित	21 रु. प्रति हजार	78 रु. प्रति हजार
घ	नवीकरणीय उर्जा		
10.	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन रहते हुए सौर फोटोवोलिक सैल्स/मोड्यूल, सौर उर्जा जनित्र उपस्कर या प्रणालियां, सपाट प्लेट सौर संग्रहक, सौर फोटोवोलिक मोड्यूल और जल पम्पिंग के लिए पैनल और अन्य एप्लिकेशन में उपयोग हेतु सौर पायित कांच।	शून्य	6%
11.	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन रहते हुए सौर फोटोवोलिक सैल्स/मोड्यूल, सौर उर्जा जनित्र उपस्कर या प्रणालियां, सपाट प्लेट सौर संग्रहक, सौर फोटोवोलिक मोड्यूल और जल पम्पिंग के लिए पैनल और अन्य एप्लिकेशन में उपयोग हेतु और पायित कांच के लिए पुर्जे/कच्चा माल के विनिर्माण हेतु।	12.5%	6%
12.	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन रहते हुए वायु प्रचालित उर्जा जनित्र (डब्ल्यू.ओ.ई.जी) के लिए ढलवां घटकों के विनिर्माण हेतु रेजिन और उत्प्रेरक	12.5%	शून्य
13.	ईंधन सेल आधारिक उर्जा जनित्र प्रणालियां या प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित मशीन की सभी मदें जिन्हें देश में स्थापित किया जाना है।	12.5%	6%
14.	बायोगैस/बायो-मैथेन/हाइड्रोजन के उपोत्पाद पर प्रचालित प्रणालियों के संतुलन हेतु अपेक्षित मशीन की सभी मदें	12.5%	6%

ड	प्रकीर्ण		
15	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन रहते हुए घरेलू प्रकार के फिल्टरों के लिए आर.ओ झिल्ली तन्तु के विनिर्माण में प्रयोग के लिए झिल्ली शीट और ट्राईकोट/स्पेसर	12.5%	6%
17.	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन रहते हुए एल.ई.डी लाईटों या फिक्सचर, जिसके अंतर्गत एल.ई.डी लैंप है, के सभी पुर्जों का विनिर्माण	लागू शुल्क	6%
18.	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन रहते हुए एम.पीओ.एस (जिसमें मोबाईल फोन, या टैबलेट कम्प्यूटर नहीं है), मानक रूपांतरण 1.5.1 के अनुसार सूक्ष्म एटीएम अंगुली छाप पहचान यन्त्र/स्कैनर और नेत्र पुतली स्कैनर के लिए लघुकृत कार्ड रीडर	लागू शुल्क	शून्य
19.	वास्तविक उपयोक्ता दशा के अध्यक्षीन रहते हुए एम.पीओ.एस (जिसमें मोबाईल फोन, या टैबलेट कम्प्यूटर नहीं है), मानक रूपांतरण 1.5.1 के अनुसार सूक्ष्म एटीएम अंगुली छाप पहचान यन्त्र/स्कैनर और नेत्र पुतली स्कैनर के लिए लघुकृत कार्ड रीडर के विनिर्माण के लिए पुर्जे और शुल्क	लागू शुल्क	शून्य
20	(क) अध्याय 71 में आने वाली वस्तुओं के विनिर्माण के दौरान उदभूत मूल्यवान धातुओं तथा मूल्यवान धातु सहित चलित धातु का अपशिष्ट और कबाड़ (ख) पट्टियां, तारें, शीटें, प्लेट और सिल्वर फोयल (ग) चांदी के आभूषण, हीरा, माणिक्य पन्ना या नीलम जड़ित के सिवाय (घ) उपर 99.9% की शुद्धि वाले चांदी के सिक्के, जिनके उपर ब्रांड नाम है और जब चांदी से उनका विनिर्माण किया गया तो उन पर समुचित उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क संदत किया गया।	शून्य	शून्य, शर्त के अध्यक्षीन ऐसी वस्तुओं के विनिर्माता द्वारा प्राप्त आगत या आगत सेवाएं या पूंजी मालों पर कोई प्रत्यय शुल्क संदत नहीं होगा।

IV. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 और सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 में संशोधन

क्रम सं.	संशोधन
1.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 21 में उपनियम (2) का अंतः स्थापन किया जा रहा है जिससे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5 के साथ पठित उक्त नियम 21 के अधीन शुल्क प्रतिप्रेषण देने के लिए तीन मास की समय सीमा (और आगे छह मास तक विस्तारित हो सकती है) उपबंधित की जा सके।
2.	सेनवेट प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 10 में उपनियम (4) का अंतःस्थापन किया जा रहा है जिससे फैक्टरी के स्थान परिवर्तन, विक्रय, विलय इत्यादि पर सेनवेट प्रत्यय के अंतरण से संबंधित प्रार्थना के अनुमोदन हेतु तीन मास की समय सीमा (और आगे छह मास तक विस्तारित हो सकती है) उपबंधित की जा सके।

V. भूतलक्षी संशोधन

क्रम सं.	संशोधन	वित्त विधेयक, 2017 का खंड
1.	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची की टैरिफ मद 8702 90 21 से 8702 90 29 के अधीन आने वाले 13 व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटर यानों पर भूतलक्षी प्रभाव से [01.01.2017 से प्रभावी] [वर्तमान टैरिफ दर 27% के विपरीत] 12.5% की उत्पाद शुल्क टैरिफ दर विनिर्दिष्ट करना।	[119]

VI. वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची में संशोधन

[वित्त विधेयक, 2017 का खंड 146]

क्रम सं.	संशोधन	शुल्क की दर	
		से	तक
	अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की दर में परिवर्तन अंतर्वलित करने वाले संशोधन		
	वस्तु		
क	तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद		
1.	65 मिमी से कम लम्बाई की गैर-फिल्टर सिगरेट	215 रु. प्रति हजार	311 रु. प्रति हजार
2.	65 मिमी से अधिक किन्तु 70 मिमी से कम की गैर फिल्टर सिगरेट	370 रु. प्रति हजार	541 रु. प्रति हजार
3.	65 मिमी से कम लम्बाई की फिल्टर सिगरेट	215 रु. प्रति हजार	311 रु. प्रति हजार
4.	65 मिमी से अधिक किन्तु 70 मिमी से कम की गैर-फिल्टर सिगरेट	260 रु. प्रति हजार	386 रु. प्रति हजार
5.	70 मिमी से अधिक किन्तु 75 मिमी से कम लम्बाई की फिल्टर सिगरेट	370 रु. प्रति हजार	541 रु. प्रति हजार
6.	अन्य सिगरेट	560 रु. प्रति हजार	811 रु. प्रति हजार
7.	चबाने वाली तम्बाकू (जिसके अंतर्गत फिल्टर खैनी भी है)	10%	12%
8.	जर्दा सुगंधित तम्बाकू	10%	12%
9.	तम्बाकू युक्त पान मसाला (गुटखा)	10%	12%

अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम, 1931 के अधीन घोषणा के कारण शुल्क दरों में परिवर्तन अंतर्वलित करने वाले संशोधन तत्काल प्रभावी होंगे।

सेवा कर

(क)	विधायी परिवर्तन	विद्यमान	प्रस्तावित
1.	"मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर को अपवर्जित करते हुए माल के विनिर्माण या उत्पादन की कोटि में आने वाले किसी प्रसंस्करण को करने के माध्यम से सेवाओं" की बाबत नकारात्मक सूची प्रविष्टि का लोप किए जाने का प्रस्ताव है। तथापि, इसी प्रविष्टि को छूट संबंधी अधिसूचना सं. 25/2012-एसटी सेवाकर तारीख 20 जून, 2012 में रखा जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप "विनिर्माण की कोटि में आने वाली प्रक्रिया" [खंड 40 धारा 65ख] की परिभाषा का वित्त अधिनियम, 1944 से लोप किए जाने का भी प्रस्ताव है और इसे साधारण छूट संबंधी अधिसूचना में समाविष्ट किया जा रहा है (विधेयक के खंड 120 और खंड 121 देखें)	शून्य	शून्य
2.	केन्द्रीय सरकार की समूह बीमा स्कीम के अधीन सेना, नौ सेना और वायु सेना के सदस्यों के लिए जीवन बीमा के माध्यम से सेना नौ सेना और वायु सेना, समूह बीमा निधियों द्वारा प्रदान की गई या प्रदान किए जाने के लिए करार पाई गई करादेय सेवाएं कर के लिए सेवा कर छूट 10 सितंबर, 2004 से प्रभावी की जा रही है (विधेयक का खंड 127 देखें)	14%	शून्य
3.	छूट संबंधी अधिसूचना सं. 41/2016-एसटी सेवा कर तारीख 22.09.2016 के फायदा को को 1.6.2007, वह तारीख जब स्थावर संपत्ति के किराए पर देने की सेवाएं कराधेय हो गई थीं, से विस्तारित किया जा रहा है। अधिसूचना सं. 41/2016-एसटी सेवाकर तारीख 22.09.2016, सेवाकर से राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विकास निगमों/उपक्रमों द्वारा औद्योगिक यूनिटों को औद्योगिक भूखंडों के दीर्घ कालिक पट्टे (30 वर्ष या अधिक) अनुदत्त करने के लिए संदेय एक मुश्त अपफ्रन्ट रकम (जो प्रीमियम, सलामी, लागत, कीमत विकास प्रभार नामक या किसी भी नाम से ज्ञात हो) को छूट प्रदान करती हैं (विधेयक का खंड 127 देखें)	14%	शून्य
4.	सेवाकर (मूल्य अवधारण) नियम, 2006 के नियम 2क का 1.7.2010 से संशोधन किया जा रहा है जिससे कि यह स्पष्ट किया जा सके कि, माल और यथास्थिति भूमि या भूमि का अविभाजित शेयर के अन्तरण को अन्तर्वलित करने वाली संकर्म संविदा के निष्पादन में सेवा भाग के मूल्य में ऐसी भूमि या भूमि के अविभाजित शेयर सम्मिलित नहीं होगा (विधेयक का खंड 128 देखें)	4.2%	4.2%
ख.	अग्रिम विनिर्णय प्रभावीकरण के बारे में अन्य विधायी परिवर्तन	वित्त विधेयक, 2017 का खंड	
5.	धारा 96क के खंड (घ) का संशोधन किया जा रहा है जिससे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28ड के अधीन यथागतित अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण का अर्थ लगाने के लिए "प्राधिकरण" की परिभाषा को प्रति स्थापित किया जा सके	[122]	
6.	कार्यवाहियों को अविधिमाम्य न करने वाली रिक्तियों से संबंधित धारा 96ख का लोप किया जा रहा है।	[123]	
7.	धारा 96ग की उपधारा (3) का संशोधन किया जा रहा है जिससे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अनुरूप पच्चीस सौ रु. से दस हजार रुपए तक अग्रिम निर्णय चाहने के लिए आवेदन फीस में वृद्धि की जा सके।	[124]	

(क)	विधायी परिवर्तन	विद्यमान	प्रस्तावित
8.	धारा 96घ की उपधारा (6) का संशोधन किया जा रहा है जिससे प्राधिकरण केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अनुसार छह मास की समय सीमा के भीतर अपना विनिर्णय घोषित करेगा।	[125]	
9.	एक नई धारा 96 जक का अंतः स्थापन किया जा रहा है जिससे उस तारीख से ही जिसको वित्त विधेयक 2017 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, अग्रिम विनिर्णय के लिए प्राधिकरण, (केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर) आयकर अधिनियम की धारा 245ण के अधीन गठित प्राधिकरण, के समक्ष लंबित आवेदन उसी प्रक्रम से अंतरित करने का उपबंध किया जा सके जिस पर ऐसी कार्यवाहियां ऐसी अनुमति की तारीख को थीं।	[126]	
ग.	नई छूटें		
1.	केन्द्रीय सरकार की समूह बीमा स्कीमों के अधीन क्रमशः सेना, नौसेना और वायु सेना के सदस्यों को जीवन बीमा द्वारा सेना, नौसेना और वायु सेना समूह बीमा निधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराने के लिए करार पाई गई सेवाओं को 2 फरवरी, 2017 से सेवा कर से छूट दी जा रही है।	14%	शून्य
2.	अधिसूचना सं.25/2012-एसटी, 20.06.2012, की क्र. सं.9ख द्वारा छूट को संशोधित किया जा रहा है जिससे अधिसूचना में प्रकट होने वाले शब्द "आवासीय" का लोप किया जा सके। अन्य सभी पहलुओं से छूट समान रहेगी। अधिसूचना सं. 25/2012-एसटी की क्र.सं.9ख भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) द्वारा प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएम) के लिए और प्रबंध में दो वर्षीय पूर्णकालिक आवासीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी) के माध्यम से प्रदान की जा रही सेवाओं को छूट प्रदान करती है, जिनके लिए प्रवेश आईआईएम द्वारा सामान्य प्रवेश परीक्षा (सीएटी) के आधार पर किए जाते हैं।	14%	शून्य
3.	क्षेत्रीय संपर्क स्कीम (आरसीएस) के अधीन, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित क्षेत्रीय संपर्क स्कीम (आरसीएस) के प्रचालनों के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, क्षेत्रीय संपर्क स्कीम (आरसीएस) विमानपत्तन से प्रारंभ होने वाली या उस पर समाप्त होने वाली सामान के साथ या उसके बिना यात्रियों के यातायात की सेवाओं के लिए चयनित एयरलाइन प्रचालक को संदेय वायुबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ) की रकम के संबंध में सेवा कर से छूट प्रदान की जा रही है।	14%	शून्य
घ	सुव्यवस्थीकरण उपाय		
1.	केन्द्रीय मूल्य वर्धितकर प्रत्यय नियम, 2004 के नियम 6 के उपनियम (3) और (3क) के प्रयोजनों के लिए के स्पष्टीकरण-I (ड) का संशोधन किया जा रहा है जिससे जमाओं, ऋणों या अग्रिमों के माध्यम से सेवा प्रदान करने में लगी गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों समेत बैंक और वित्तीय संस्थाओं को इसके दायरे से बाहर किया जा सके। केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर नियम, 2004 में यह उपबंध किया गया है कि कराधेय सेवाओं और छूट प्राप्त सेवाओं का उपबंध करने के लिए प्रयुक्त आगत और निर्गत सेवाओं पर सामान्य आगत कर प्रत्यय का प्रतिवर्तन करने के प्रयोजन के लिए मूल्य में ब्याज या छूट के रूप में प्रतिफल हेतु जमाओं, ऋणों या अग्रिमों के माध्यम से सेवा का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।		